

LOK SABHA DEBATES
(Original Version)

Eighth Session
(Seventeenth Lok Sabha)



(Vol. XVII contains Nos.11 to 20)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora
Joint Secretary

Mahavir Singh
Director

Narad Prasad Kimothi
Sunita Arora
Joint Director

Meenakshi Rawat
Editor

© 2022 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

**Seventeenth Series, Vol. XVII, Eighth Session, 2022/1944 (Saka)
No. 20, Tuesday, March 29, 2022/Chaitra 08, 1944 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 361 to 368	10-39
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 369 to 380	40-154
Unstarred Question Nos. 4141 to 4370	155-732

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 735-751

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

32nd Report 752

**STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES
AND SKILL DEVELOPMENT**

Statements 752-754

STATEMENTS BY MINISTERS 754-755

- (i) Status of implementation of the recommendations contained in the 307th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Industry on impact of Covid-19 on the PSUs and the initiatives taken by the PSUs under 'Atmanirbhar Bharat Abhiyaan' pertaining to the Ministry of Heavy Industries

Shri Krishan Pal 754

- (ii) Status of implementation of the recommendations /observations contained in the 230th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on 'Atrocities and Crimes against Women and Children' pertaining to the Ministry of Home Affairs

Shri Ajay Misra Teni 755

ELECTION TO COMMITTEE

Central Advisory Committee for the
National Cadet Corps 756

MATTERS UNDER RULE 377	785-809
(i) Regarding benefit of reservation to people converted to Christianity and Islam	
Shri Subhash Chandra Baheria	785
(ii) Regarding ESI benefits to LIC agents	
Shri N.K. Premachandran	786
(iii) Regarding setting up of a Medical Equipment Park at Sambalpur, Odisha	
Shri Nitesh Ganga Deb	787
(iv) Need to develop historical places in Ganganagar Parliamentary Constituency, Rajasthan as tourist destinations	
Shri Nihal Chand Chouhan	788
(v) Regarding covid-19 vaccination of children of 15-18 years age group	
Shri Vivek Narayan Shejwalkar	789
(vi) Need to provide funds for construction of new class rooms in schools under Samagra Shiksha Abhiyan in Ajmer Parliamentary Constituency, Rajasthan	
Shri Bhagirath Choudhary	790

- (vii) Need to construct an RoB at Level crossing no. B/159 in Banaskantha Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Parbatbhai Savabhai Patel

791

- (viii) Need to set up a processing unit at Gumla district, Jharkhand for production of oil from Sal and Mahua seeds

Shri Sudarshan Bhagat

792

- (ix) Need to improve healthcare facilities in Jharkhand

Shri Jayant Sinha

793

- (x) Regarding rectification of software programme of PMAY Gramin

Shri Sudhakar Tukaram Shrangare

794

- (xi) Regarding benefit of reservation to OBCs in Delhi Judicial Services & Delhi Higher Judicial Services

Shri Ramesh Bidhuri

795-796

- (xii) Need to set up Agro-Processing and Research Centre in Rajgarh district, Madhya Pradesh

Shri Rodmal Nagar

797

- (xiii) Need to shift railway warehouse situated at Deoria Sadar railway station to Ahilyapur or Nunkhar

Dr. Ramapati Ram Tripathi

798

- (xiv) Regarding development of a comprehensive plan to combat climate change
- Shri Ravneet Singh** 799
- (xv) Need to protect the interests of Adivasis of Chhattisgarh presently living in Andhra Pradesh and Telangana
- Shri Deepak Bajj** 800
- (xvi) Regarding beautification of beaches in Tamil Nadu
- Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian** 801-802
- (xvii) Regarding reconsideration of the methodology for fixing Minimum Support Price (MSP)
- Shri Pocha Brahmananda Reddy** 803
- (xviii) Regarding construction of a dam on Masan river in Bihar
- Shri Sunil Kumar** 804
- (xix) Regarding special fund for women SHGs in Odisha
- Shri Anubhav Mohanty** 805
- (xx) Regarding expeditious construction of Airport in Shravasti, Uttar Pradesh
- Shri Ramshiromani Verma** 806
- (xxi) Regarding prevalence of cancer in children
- Shri Hasnain Masoodi** 808

(xxii) Regarding extension of city gas distribution scheme in some districts of Kerala

Shri Thomas Chazhikadan 809

CHARTERED ACCOUNTANTS, COST AND WORKS ACCOUNTANTS AND COMPANY SECRETARIES (AMENDMENT) BILL, 2021	810-913
Motion to Consider	810
Rao Inderjit Singh	810
Dr. M.K. Vishnu Prasad	811-816
Shri Subhash Chandra Baheria	816-823
Shri A. Raja	823-828
Prof. Sougata Ray	828-834
Dr. Beesetti Venkata Satyavathi	834-837
Shri Rahul Ramesh Shewale	837-841
Shri Kaushlendra Kumar	841-842
Shri Bhartruhari Mahtab	842-850
Shrimati Supriya Sadanand Sule	850-860
Shri E.T. Mohammed Basheer	860-862
Shri Balubhau alias Suresh Narayan Dhanorkar	862-863
Shri Gopal Shetty	863-868
Shri N.K. Premachandran	869-877
Shri Girish Chandra	878-879
Shri Hanuman Beniwal	879-883

Shri P. Ravindhranath	883-885
Shrimati Navneet Ravi Rana	885-888
Shri Thomas Chazhikadan	888-891
Shri Saptagiri Sankar Ulaka	892-895
Shri Anurag Sharma	895-900
Shri Arvind Sawant	900-903
Shri Ravi Kishan	904-906
Kunwar Danish Ali	906-908
Shri Adhir Ranjan Chaudhry	908-913

*** ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions	857
Member-wise Index to Unstarred Questions	858-864

*** ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions	865
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	866

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Tuesday, March 29, 2022/ Chaitra 08, 1944 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-361, डॉ. सुजय विखे पाटील।

(Q. 361)

डॉ. सुजय विखे पाटील: महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, ऑर्गेनिक फॉर्मिंग एक बड़ा अपकमिंग सेक्टर है। जब भी कोई किसान कन्वेंशनल केमिकल फॉर्मिंग से ऑर्गेनिक फॉर्मिंग की तरफ शिफ्ट होता है तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर पेस्ट अटैक्स हो या लो प्रोडक्टिविटी हो।

महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि इस लो प्रोडक्टिविटी के मसले को हल करने के लिए क्या सरकार किसी तरीके की सब्सिडी का प्रावधान करने का विचार कर रही है?

श्री कैलाश चौधरी : महोदय, माननीय सदस्य ने ऑर्गेनिक खेती के बारे में बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब से प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई है तब से लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। इस दृष्टि से हमने दो कार्यक्रम, योजनाएं प्रारम्भ की हैं, जिसमें एक परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और दूसरी मिशन ऑर्गेनिक वेल्यू चेन डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए है। हमने ये दो महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारम्भ की हैं और इन योजनाओं के अंदर हम किसान को सपोर्ट करते हैं। किसान को 50 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर की सहायता दी जाती है। इसमें से 31 हजार रुपये डायरेक्ट किसान के खाते में दिए जाते हैं और साथ ही 19 हजार रुपये उसको ट्रेनिंग और अन्य कम्पाउंड के लिए दिए जाते हैं ताकि किसान को हुए किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई हो सके। निश्चित रूप से इसको लेकर, मुझे आपको बताते हुए इस बात की खुशी है कि यह सहायता इसमें भी दी जाती है और साथ ही प्राकृतिक खेती के अंदर भी हमने प्रति हैक्टेयर 12,200 रुपये देने का प्रावधान किया है। उसी का परिणाम है कि ऑर्गेनिक खेती के अंदर, फसल के

अंदर लगातार वृद्धि हो रही है। अगर देखा जाए तो आज लगभग 38.19 लाख हेक्टेयर एरिया ऑर्गेनिक खेती के लिए कवर किया गया है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अंदर हमारी परम्परागत कृषि विकास योजना है, नमामि गंगे के अंदर भी क्षेत्र को बढ़ाया गया है, लॉर्ज एरिया सर्टिफिकेशन है और इस तरह से हमारे कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनमें किसानों को सपोर्ट किया जाता है ताकि किसान ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाए। यह आज देश की सबसे बड़ी माँग है। एक्सपोर्ट के अंदर भी भारत की ऑर्गेनिक फसल की डिमांड बढ़ी है।

डॉ. सुजय विखे पाटील : हमारे प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है और इस हेतु ऑर्गेनिक फार्मिंग तथा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन वर्तमान में एक्सपोर्ट के लिए लगने वाला सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, वह बड़ा महंगा और लम्बा है, जिसकी वजह से किसान को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सप्लाय चैन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन और सर्टिफिकेशन की इस लम्बी प्रक्रिया को सरल बनाने का कोई प्रावधान या विचार सरकार कर रही है?

श्री कैलाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि पहले यह प्रक्रिया बहुत लम्बी थी और किसानों के लिए थोड़ी महंगी भी पड़ती थी। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, उसके बाद से लगातार इस दिशा में काम किए गए कि सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को कम कर सकें और उसके रेट भी कम हो सकें। वर्ष 2001 में यह प्रारंभ हुई थी और एनपीपीओ के अंतर्गत इसका ग्रुप सर्टिफिकेशन होता था। उस समय लगभग दस से पन्द्रह हजार रुपये सर्टिफिकेशन के लिए पैसा लगता था, किसान का पर हेक्टेयर के लिए प्रति ईयर पैसा लगता था। लेकिन हमने अब किसानों के लिए इस तरह से व्यवस्था की है कि अगर किसान ग्रुप सर्टिफिकेशन के अंदर आता है और अगर 500 किसान एक साथ ग्रुप सर्टिफिकेशन करवाते हैं तो उनका 50 हजार से 75 हजार रुपये के बीच में सर्टिफिकेशन हो जाता है। उसके अतिरिक्त इंटरनेशनल कंट्रोल सिस्टम का भी खर्चा है, वह भी लगभग 500 रुपये आता है। अगर 500 किसान ग्रुप में करते हैं तो हजार रुपये के अंदर सर्टिफिकेशन हो जाता है और वही पहले लगभग 15-20 हजार रुपये खर्चा आता था।

दूसरा, हम लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत भी सर्टिफिकेशन करते हैं। उसके अंदर एक पंचायत या कोई ब्लॉक या पंचायत समिति है, उसके अंदर पहले परंपरागत कृषि के तहत कभी पेस्टिसाइड्स या यूरिया, डीएपी का उपयोग नहीं किया है। अगर राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र को नोटिफाई करके भारत सरकार को भेजती है तो लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत हम पूरे एरिये को ही ऑर्गेनिक जोन घोषित कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो सर्टिफिकेशन का चार्ज होता है, वह भी किसान को नहीं देना पड़ता है। लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन का जो चार्ज होगा, जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन करती है, उसका पूरा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। इसलिए किसानों के लिए लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन भी शुरू किया है। मुझे लगता है कि राज्यों को इसकी ओर जाना चाहिए, ताकि ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती का एरिया और ज्यादा बढ़ सके।

श्री कृष्णपालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा गृह राज्य मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक फार्मिंग में अग्रणी है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी और यशस्वी मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मेरे प्रदेश में एक लाख से अधिक ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसानों के परिश्रम के कारण मध्य प्रदेश से पाँच लाख टन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का निर्यात हुआ है, जो कि पूरे देश में, जितने टोटल एरिया में फार्मिंग होती है, उसका 40 परसेंट एरिया मेरे मध्य प्रदेश से आता है। इसी कारण हमारे मध्य प्रदेश को पिछले पाँच बार से कृषि कर्मण अवार्ड से भी नवाजा जा रहा है। उसके लिए सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएँ बनी हैं, उनके लिए मेरे मध्य प्रदेश की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जवाब दे रहे हो या प्रश्न पूछ रहे हो?

श्री कृष्णपालसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। मैं स्वयं एक किसान हूँ और किसान के साथ-साथ एक डॉक्टर होने के नाते रसायन मुक्त उपज की मांग पूरे विश्व में है। मेरा यह मानना है कि पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स के अधिक प्रयोग से बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बढ़ोतरी के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग को बढ़ावा देना अत्यावश्यक है।

मेरे क्षेत्र में कई किसान आय बढ़ाने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग के माध्यम से अलग-अलग फल, सब्जियाँ व फसल उगाना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान में मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए कोई भी बीमा योजना नहीं होने के कारण ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए निर्धारित प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार इन किसानों के लिए एक विशेष बीमा योजना या प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए कोई प्रावधान करेगी, जिसकी सिफारिश वर्ष 2018 में ऐस्टिमेट समिति द्वारा भी की गई थी?

श्री कैलाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सदस्य कृषि के लिए सक्रिय हैं और हमेशा चिंता करते हैं। इन्होंने मल्टीपल क्रॉपिंग का प्रश्न उठाया है। मुझे इस बात की जानकारी देनी है, जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने नई फसल बीमा नीति लागू की है और नई फसल बीमा नीति के अंदर यह भी प्रावधान किया है कि वह स्वैच्छिक भी कर सकता है। जैसा कि इन्होंने अपने एरिया की चिंता और पूरे देश की चिंता की है तो उसके अंदर अगर राज्य नोटिफाइड करता है, चाहे वह मल्टीपल है या कैसी भी खेती है और उसके अंदर चाहे खाद्यान्न हो, दलहन हो, तिलहन हो, कमर्शियल क्रॉप हो या हॉर्टिकल्चर हो, अगर उसके अंदर कोई भी फसल होती है तो उसको इस दायरे में लिया गया है। उसमें इतना ही है कि राज्य इसको नोटिफाइड करे और राज्य नोटिफाइड करेगा तो हो जाएगा। दूसरा, इसमें एक और स्कीम है, जिसके अंदर यह है कि नॉन-नोटिफाइड क्रॉप है तो उसमें भी एक योजना है, जिसमें रीस्ट्रक्चर, वेदरबेस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर भी इसको कवर किया जाता है। मुझे लगता है कि यह स्कीम आवश्यक है, जिसके अंदर राज्य सरकार को उस फसल को नोटिफाई करना पड़ेगा, चाहे वह मल्टीपल है या कोई भी फसल है। इसके लिए सरकार के अंदर और नई फसल बीमा योजना के अंदर इसको लिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : अगर कोई भी सदस्य मूल प्रश्न या सप्लिमेंट्री प्रश्न संक्षिप्त में नहीं पूछेगा तो मैं उसको अवसर नहीं दूंगा और माननीय मंत्री जी आप भी संक्षिप्त में जवाब दें। जो भी प्रश्न पूछें उसका संक्षिप्त में जवाब दें।

SHRI PRATHAP SIMHA: Sir, our beloved Prime Minister, Narendra Modi ji has been giving a lot of importance to organic farming. ICAR has developed various types of organic fertilizers. After doing the field trials, they are found to be very effective. Sadly, in the meanwhile, the prices of potassium sulphate and various other fertilizers have doubled. There is a 12 per cent GST imposed on organic fertilizers. I would request the hon. Minister, through you, Sir, to reduce the GST on organic fertilizers.

श्री कैलाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने लगातार प्रयास किया है और आगे भी कर रही है। जैविक खेती से किसान की इनकम भी ज्यादा होती है। जीएसटी का विषय कृषि विभाग से संबंधित नहीं है। इसके लिए माननीय सदस्य संबंधित विभाग से बात करेंगे तो अच्छा होगा, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है।

SHRI SHRINIWAS DADASAHEB PATIL: Thank you, Sir, for giving me the opportunity. I was the Governor of Sikkim from 2013 to 2018. During my tenure, Sikkim was declared as the first hundred per cent organic State in India by the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. An Ordinance was issued by me, as the Governor of Sikkim, which was followed by the introduction of a Bill in the Legislative Assembly. It was further debated and passed as an Act. The Act prohibits use of dangerous chemical fertilizers and poisonous pesticides by farmers.

My supplementary is, whether the hon. Minister of Agriculture, the Government of India, has any plan to follow the case study of Sikkim and take

any legislative measures with regard to the financial assistance scheme so as to promote organic farming in other States of the country.

श्री कैलाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत, सिक्किम के अंदर भी लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत पूरे प्रदेश को इसके अंदर कवर किया गया। वैसे अगर कोई भी राज्य यह कहता है कि मैं पूरे राज्य को ऑर्गेनिक जोन घोषित करना चाहता हूँ या किसी एक पार्टिकुलर ब्लॉक को भी घोषित करना चाहे तो वह उसके अंदर कर सकता है, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार भारत सरकार को रिक्मेंडेशन करेगी। दूसरा, मैंने पहले भी जिक्र किया कि कौन-कौन सी सहायता या सरकार की तरफ से सहयोग किया जाता है। पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत और नॉर्थ-ईस्टर्न क्षेत्र के लिए जो योजना है, उसके तहत सरकारें किसानों को सहयोग प्रदान करती हैं।

माननीय अध्यक्ष : एक प्रश्न पर 15 मिनट लगते हैं।

श्री जी.टी. नामग्याला

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल: अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। वर्ष 2018 से लद्दाख ने एक संकल्प लिया है कि मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव के तहत पूरे लद्दाख को हम ऑर्गेनिक एरिया डिक्लेयर करना चाहते हैं।

उसी संदर्भ में, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, लेह में जब मैं काउंसिल का चेयरमैन था, हमने एक पॉलिसी बनाई - मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी 'मोदी' पॉलिसी ऑफ लद्दाख। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से प्रेरणा लेते हुए पॉलिसी का नाम 'मोदी ऑफ लद्दाख' नाम दिया, जिसे केन्द्र सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी, जिसमें से हमें 200 करोड़ रुपये परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत मिले। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। केवल यही पॉलिसी नहीं, बल्कि बाकी सभी सेन्ट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट चाहिए।

सर, अभी हाल में मैंने लेह और कारगिल, दोनों जिलों में 19 फरवरी और 21 फरवरी 'दिशा' कमेटी की मीटिंग की थी। मेरी जानकारी में यह आया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अभी तक ग्राउण्ड पर एक भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। सॉयल हेल्थ कार्ड बहुत धीमी गति से इम्प्लीमेंट हो रहा है। लद्दाख में 'ई-नाम' (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) ग्राउण्ड में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उसी तरह, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। कमांड एरिया डेवलपमेंट एण्ड वाटरशेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम ग्राउण्ड पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

... (व्यवधान)

श्री जामयांग शेरींग नामग्याल : सर, इसी से मेरा प्रश्न बनता है। फसल बीमा योजना ग्राउण्ड पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। मैंने जब पता किया कि यह क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है तो मुझे वहां के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स यह बता रहे हैं कि इसका सारा डी.पी.आर. बनाकर स्टेट सेक्रेटरी के थ्रू सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया है।

मेरा माननीय मंत्री से प्रश्न के साथ-साथ यह निवेदन है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास जितने भी डी.पी.आर. आते हैं, इन्हें टाइमली सैंक्शन करने की कृपा करें।

श्री कैलाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि इन्होंने सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, कृषि सिंचाई योजना, आर.के.वी.वाई. के बारे में कहा है तो इनमें राज्य सरकारों की तरफ से जो प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से टाइम लगता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम यह प्रयास करते हैं और सरकार लगातार यह प्रयास करती है कि वे प्रोजेक्ट्स हमारे पास तुरन्त आएँ और उन्हें हम स्वीकृत करें।

महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि लद्दाख के अन्दर 5,000 हेक्टेयर एरिया को ऑर्गेनिक प्रोग्राम के तहत लिया है और लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन के तहत ही किया है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर वे लद्दाख के अन्दर और भी कुछ करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड का भी प्रावधान है। उससे भी किसानों को सहयोग किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-362, श्री गणेश सिंह ।

(Q. 362)

श्री गणेश सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, 'खेल' राज्य का विषय है, किन्तु 'खेलो इंडिया, खेलो' के तहत 247 एकैडमीज़ को मान्यता दी गई है। मेरे मध्य प्रदेश में 15 एकैडमीज़ को मान्यता मिली है, मगर मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह पूरा इलाका खाली है। वहां कोई एकैडमी नहीं है। भोपाल में 9, ग्वालियर में 2, जबलपुर में 2 और इंदौर में एक एकैडमी को मान्यता दी गई है। इसके अलावा, खेल मंत्रालय ने खेल उद्यान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल कोचिंग को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है, इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

मैं अपने लोक सभा क्षेत्र में सांसद खेल ट्रॉफी वर्ष 2013 से लगातार करा रहा हूँ। गांवों में जो खिलाड़ी मौजूद हैं, उनकी प्रतिभा को कैसे आगे लाया जाए, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। इस वर्ष तो 7500 खिलाड़ियों ने अपने खेल का प्रदर्शन किया है। मैं वर्ष 2013 से लगातार माननीय खेल मंत्री जी से मांग कर रहा हूँ कि वहां पर एक प्रशिक्षण केन्द्र बनाया जाए। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने प्रधान मंत्री जी के नाम से अभी एक स्टेडियम भी बनाया है। मैंने अपने दो पुराने स्टेडियम्स को रेनोवेट भी करवाया है। कॉलेज कैम्पस में मैंने एक इनडोर स्टेडियम बनवाया है। अभी मैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से वहां खेल का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स भी बनवा रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे हमारे सतना में एक राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र देंगे?

श्री निशीथ प्रामाणिक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी का लक्ष्य और मिशन है कि इंडिया को एक स्पोर्टिंग कंट्री बनाया जाए और इसके लिए निरन्तर प्रयास भी चल रहे हैं। पूरे देश में लगभग 1000 'खेलो इंडिया' सेन्टर्स बनाने का निर्णय इस सरकार ने लिया है। वर्ष 2024 से पहले इस लक्ष्य को पूरा करने का हमारा इरादा है।

माननीय वरिष्ठ सांसद जी ने अभी तक जो कार्य किया है और खेल के प्रति उनकी जो भावना है, उसका मैं सम्मान करता हूँ। माननीय सदस्य का जो प्रस्ताव है और उन्होंने बोला है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है या नहीं तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि संबंधित राज्य के माध्यम से इसके लिए कोई प्रस्ताव आना चाहिए। मेरे कार्यकाल में अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए मैं उनको एश्योर करता हूँ। अभी तक 'खेलो इंडिया' के तहत 478 सेन्टर्स बन चुके हैं। माननीय सदस्य अगर चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में भी खेलो इंडिया सेन्टर बने, यहाँ उपस्थित पक्ष-विपक्ष के सभी सदस्यों से मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में 'खेलो इंडिया' के तहत सेन्टर बने तो आप इसका प्रस्ताव राज्य के माध्यम से कीजिए। भारत सरकार खेल क्षेत्र के विकास के लिए हर एक राज्य, जिले, कांस्टीटुएंसी और माननीय सदस्य के साथ है। मैं एश्योर करना चाहूँगा कि अगर उनका कोई प्रस्ताव राज्य के माध्यम से आता है तो उनके क्षेत्र में खेलो इंडिया सेन्टर का काम हम लोग जरूर करेंगे।

श्री गणेश सिंह : धन्यवाद, मंत्री जी।

मंत्री जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत देश गाँवों का देश है। गाँवों में हरेक तरह के खेलों के खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन उनकी खोज हम शहरों में कर रहे हैं। गाँवों के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए ओलम्पिक के जितने खेल हैं, उन सारे खेलों के अच्छे-अच्छे खिलाड़ी गाँवों में मिल जाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या हमारे भारत देश में इस प्रकार का विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हैं? क्या हम किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर सकते हैं, यदि हाँ, तो मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें? मैं अपने संसदीय क्षेत्र सतना में किसी विश्वस्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की सौगात माँग रहा हूँ। इसके बारे में अभी उन्होंने अपने उतर में भी कहा है, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ कि इसको स्पष्ट करें।

श्री निशीथ प्रामाणिक: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन को यह बताना चाहूँगा कि माननीय सांसद जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अगर हम वर्ष 2020 के टोकियो ओलम्पिक के बारे में देखें तो उसमें भारत को अभी तक की सबसे ज्यादा सफलता मिली है और सबसे ज्यादा पदक प्राप्त हुए

हैं। उसमें भाग लेने वाले जो खिलाड़ी हैं, उसके बारे में अगर हम लोग थोड़ा देखें तो उनमें से ज्यादातर खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, चाहे नीरज चोपड़ा जी हों, चाहे मीराबाई चानू जी हों, चाहे लवलीना जी हों। सभी ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। हमारी सरकार ने 'खेलो इंडिया' के तहत खेलो इंडिया सेन्टर बनाने का निर्णय लिया है। ये सारे सेन्टर्स छोटे-छोटे शहरों में ही बनाए जा रहे हैं। जिलों के जो छोटे शहर या ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ से ही ज्यादातर खिलाड़ी इन खेलो इंडिया सेन्टर में आते हैं। इसके अलावा भी 247 अकादमीज हैं, जिनको 'खेलो इंडिया' के तहत मान्यता दी गई है। इसमें भी ग्रामीण क्षेत्र से आए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग एवं कोचिंग दी जाती है। महोदय, प्रश्न थोड़ा बड़ा था, इसलिए मेरा उत्तर भी थोड़ा बड़ा हो सकता है।

माननीय अध्यक्ष: आप 'हाँ' और 'ना' में भी जवाब दे सकते हैं।

श्री निशीथ प्रामाणिक: महोदय, आज भारत खेल क्षेत्र में भी विश्व गुरु बन रहा है। मैं इसका एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा।

माननीय अध्यक्ष: आपके इस विषय को लेकर मैंने ऑलरेडी घोषणा कर रखी है कि इस विषय पर ध्यानाकर्षण आ रहा है। इसलिए, आप संक्षिप्त में जवाब दे दीजिए।

श्री निशीथ प्रामाणिक: महोदय, अभी मैं एक घटना का उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे माननीय सांसद जी ने बोला कि क्या विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर है या नहीं। मैं दावे के साथ इस सदन में खड़े होकर बोलना चाहूँगा कि कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय खेल कराने की जो प्रस्तुति है, वह हमारे देश की भी है। अगर ओलम्पिक जैसे खेल की मेजबानी करने की भी नौबत आए तो उसको करने के लिए हमारे देश में पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर है। महोदय, अभी एक छोटी-सी घटना घटी है। मैं उसका उदाहरण देना चाहूँगा। अभी ओलंपियाड गेम्स हुआ। इसमें विश्व के सभी देश भाग लेते हैं। इसमें चेस का कम्पिटिशन होता है, जिसमें सभी देश पार्टिसिपेट करते हैं। ओलंपियाड 2022 रूस में होने वाला था, लेकिन विपरीत परिस्थिति के कारण उसके वेन्यू को परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। चीन सहित विश्व के बड़े-बड़े देश इसकी मेजबानी करने के लिए आग्रह कर रहे थे, लेकिन ओलंपियाड की जो कमेटी है, उसने भारत का ही महत्व समझा और हमारे देश ने इसको करने का निर्णय लिया है। महोदय, मैं कहना

चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यह दूर-दृष्टि है, उनकी जो नीति है, उसके माध्यम से भारत धीरे-धीरे विश्व-गुरु बन रहा है। हमारा देश भारत धीरे-धीरे विश्व के खेल क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। विश्व के किसी भी बड़े खेल का कार्यक्रम करने के लिए भारत सभी देशों की पहली पसंद बनने जा रहा है।

SHRIMATI HEMAMALINI: Hon. Speaker, Sir, our Government, under the leadership of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji has taken pride in our sporting capacity and his encouragement has seen India win medals in the Olympics and Commonwealth Games. It is our duty to see that this winning streak is duly maintained. My humble suggestion is to start implementing a programme 'One State, one Sport', wherein each State identifies its major sports strength, like wrestling in Haryana, kabaddi in Maharashtra and football in Bengal and concentrate on developing it on a priority basis along with other sports which can also be encouraged.

My question to the hon. Minister is whether the Government is working on 'One State, One Sport' campaign, or does the Government has any plan to do it in the near future.

श्री निशीथ प्रामाणिक : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सांसद जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उनका प्रश्न भी है और सलाह भी है। मैं बहुत-बहुत आदरपूर्वक उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। वन स्टेट, वन स्पोर्ट के ऊपर आदरणीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी अभी तक हर स्टेट के खेल मंत्री के साथ और उनके अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग कर चुके हैं। उनसे सलाह भी ली गई है कि ऐसा करने से क्या हो सकता है और आप लोगों का प्रपोजल क्या है?

महोदय, इस विषय पर उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। माननीय सदस्या ने जो सजेशन दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : इसी वीक में यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेंगे, तब मैं सबको मौका दूंगा।

क्वैश्चन नंबर 363.

(Q. 363)

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY: Hon. Speaker, Sir, although a sum of Rs. 3,712 crore were allocated for RKVY in the Budget Estimate of 2021-22, only a sum of Rs. 2,000 crore were utilised as per the RE for the year 2021-22. This means that there was an under-utilisation of 46 per cent for RKVY. Can the hon. Minister explain the reasons for this and what steps are being taken to address it?

कुमारी शोभा कारान्दलाजे: माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक परियोजना आधारित योजना है, एक प्रोजेक्ट बेस्ड स्कीम है। जिला और राज्य आवश्यकता के आधार पर योजना बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। राज्यों और यूटी को यह अधिकार है।

Sir, the hon. Member has asked about the unspent money. The fund is unspent because many States have not formulated the Committees. There are Committees to be formed at three levels. एक जिले में एक कमेटी है। There is a District level Agriculture Planning Committee, State level Agriculture Planning Committee and State level Sanctioning Committee under the chairmanship of the Chief Secretary. Only 13 States have formulated DAPCs and only 11 States have formulated State level Agriculture Planning Committees.

The second reason is that many of the States which have taken money have not sent their Utilisation Certificates to the Centre. That is also one of the reasons.

The third reason is that due to the requirement of Department of Expenditure for compliance with the Public Financial Management System and mapping of Single Nodal Account by the State Governments, the release of the first instalment to the State Governments have been delayed in the year 2020-2021.

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY: Sir, Agri-entrepreneurship Development Programme, a component of the Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) has been implemented to fuel innovation in Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), Information and Communication Technology (ICT) and Block Chain Technology for the agriculture sector. Can the Government provide details of the training programmes conducted under the Agro-entrepreneurship Development Programme of the RKVY and the number of agri-start-ups funded in 2021?

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE: Sir, under RKVY, with an objective to promote innovation and agri-entrepreneurship by providing financial support for nurturing incubation eco system, a new component called Innovation and Agri Entrepreneurship Development Programme has been launched under the Revamped Scheme of RKVY and RAFTAAR in 2018-19 with ten per cent of the annual outlay including two per cent of the outlay for administrative process. In that, we have five Knowledge Partners. There are five institutions which are Knowledge Partners, 24 Agri Incubators are there and 799 Start-ups have been started under this Scheme. We are also giving two months of training to the

farmers, incubators and Start-ups with a stipend of Rs. 10000 under this Scheme.

SHRI N. REDDEPPA : Sir, has the Government formulated any monitoring mechanism to ensure that targets under the Scheme are being met and funds are being utilized? If so, what are the observations regarding the implementation of the Scheme and if not, what are the reasons for not having a monitoring mechanism?

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE: Sir, the actual achievements are entered online by the States in the RKVY website. There is a website on RKVY Scheme. The website is in public domain. Secondly, we have to enter the data under the new version of RDMIS. Projects are also monitored by periodic desk review meetings in the Department and field visits by officials. Even the NITI Aayog is monitoring the system.

श्री रतन लाल कटारिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि परसों ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भारत के कृषि उत्पादों की चर्चा की, कई लाख करोड़ रुपये की एक्सपोर्ट हुई है। अभी उसमें और संभावनाएं हैं। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के खाद्यान्न की क्वालिटी बढ़े ताकि विश्व में ज्यादा से ज्यादा देश के अन्न का निर्यात हो सके, जिसकी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कुमारी शोभा कारान्दलाजे: माननीय अध्यक्ष जी, अभी प्रधानमंत्री जी ने नेचुरल फार्मिंग के लिए बात की है। हम परंपरागत कृषि योजना में आर्गेनिक फार्मिंग को ज्यादा मदद दे रहे हैं ताकि हम इसकी क्वालिटी को बढ़ा सकें। We should improve our quality and quantity. Already, we have surplus production in the country. Since we have to improve the

quality, we are encouraging natural farming and organic farming also. Many countries are asking us for organic products from India.

DR. SAJNJEEV KUMAR SINGARI: Sir, I thank the hon. Minister for giving a very comprehensive reply. This supplementary is also related to zero budget farming. Is there any change in the norms of RKVY regarding zero budget farming? If so, can the hon. Minister state the number of zero budget farming projects which have been implemented so far and in which States have they been implemented? Does the Government propose to take any further steps to promote zero budget farming under RKVY?

KUMARI SHOBHA KARANDLAJE: Sir, the State Governments can formulate their own programmes for their State. जिले की क्या आवश्यकता है, राज्य की क्या आवश्यकता है? इसके आधार पर प्रोग्राम बना सकते हैं? अभी तो जीरो-बजट फार्मिंग की बात नहीं है। We are now talking only about natural farming and organic farming.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-364, कुमारी राम्या हरिदास ।

(Q. 364)

KUMARI RAMYA HARIDAS : Sir, is the Ministry planning for active involvement to attain UN's SDGs? The allocation of funds in the budget is the same as that of the previous year. Will the Ministry ask for more funds to achieve its goal including SVAMITA Survey in all the States?

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील: माननीय सदस्या ने जो सवाल पूछा है, मैं बताना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र ने सस्टेनेबल गोल दिए हैं। हमारे मंत्रालय द्वारा स्थानीय क्रम में नौ गोल गांवों के विकास के लिए उपयुक्त हैं। इसके बजट के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों के माध्यम से ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य मंत्रालय, बाल विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और कृषि मंत्रालय विभिन्न योजनाओं में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए 15वें वित्त आयोग में हमारे मंत्रालय के माध्यम से प्रावधान किया गया है।

KUMARI RAMYA HARIDAS: Sir, Survey of Villages Abadi and Survey of Villages Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas (SVAMITVA) Scheme aims at mapping and digitalization using drone technology. It may be helpful to settle the disputes of land. But I am afraid that it may be an interference into the jurisdiction of panchayati raj institutions. I want to know whether the Government can collaborate with the panchayati raj institutions on this Scheme other than the Revenue Department in the States.

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील: माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने 24 अप्रैल, 2020 को 'स्वामित्व योजना' लांच की है। इस योजना के माध्यम से गांवों के विकास में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। यह योजना 24 अप्रैल, 2020 को शुरू हुई और यह योजना आबादी क्षेत्रों के लिए है। सम्मानीय सदस्या ने चिंता व्यक्त की है कि गांवों में विपरीत परिणाम हो सकता है, इसलिए

क्या इसे गांवों के लोगों को साथ में लेकर कर सकते हैं? हमें दइसे गांवों को लेकर साथ लेकर ही काम करना है। मैपिंग होती है, इसके बाद ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे करके तीन महीने के अंदर प्रापर्टी कार्ड दिया जाता है।

महोदय, प्रापर्टी कार्ड की वजह से ग्रामीण नागरिकों को ऋण का लाभ मिलता है। वित्तीय संपत्ति के रूप में संपत्ति का उपयोग, सक्षमीकरण और स्थिरता लाने का भी प्रावधान है। इससे ग्राम पंचायतों के करों के निर्धारण में लाभ मिलता है। ग्राम पंचायतों के कराधान, निर्माण परमिट, अतिक्रमण हटाने आदि का रिकॉर्ड रखने की सुविधा भी उपलब्ध है। सर्वेक्षण के तहत बनाए गए जीआईएस मानचित्र उपलब्ध कराकर ग्राम पंचायत विकास द्वारा बेहतर गुणवत्ता वाले जीपीडीपी बनाने में योगदान मिलता है। सही मायने में देश के माननीय प्रधान मंत्री और माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के नेतृत्व में 'स्वामित्व योजना' के माध्यम से गांवों को सक्षम बनाने के लिए बहुत अच्छा काम चल रहा है।

श्री रामशिरोमणि वर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को चयनित किया गया है, जो आज भी आजीविका प्राप्त करने, स्वास्थ्य, बाल हितैषी, पर्याप्त जल उपलब्धता, स्वच्छ एवं हरित आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे के लिए विकास में काफी पीछे हैं? पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इनके विकास के लिए मंत्रालय द्वारा कोई योजना बनाने पर विचार किया जा रहा है?

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील: माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मंत्रालय के माध्यम से दो महीने पहले पेसा की राष्ट्रीय परिषद् की बैठक की गई थी, जिसमें हम लोगों ने इस बात की चिंता अवश्य की थी। पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सारी योजनाएं पहुंचाने का प्रयास हो रहा है।

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN : Sir, the Constitution 73rd Amendment Act, 1992 relating to Panchayats mentions about the responsibility of gram panchayats to prepare the social, economic and

resource planning for the rural areas, whereas, the 11th Schedule of 73rd CAA, when it lists the functions of gram panchayats, does not include the preparation of the spatial plans for gram panchayats as one of the functions of the Panchayats. Therefore, the rural areas are devoid of planned spatial development at the moment. I have a specific question regarding this to the hon. Minister. Does the Union Government have any plan to allow gram panchayats to prepare spatial development plans as well on their own?

श्री कपिल मोरेश्वर पाटील : अध्यक्ष महोदय, मंत्रालय के माध्यम से गांवों के विकास के लिए जीपीडीपी, टीपीडीपी, बीपीडीपी और डीपीडीपी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, ताकि गांव खुद अपना जीपीडीपी बनाए।

दूसरा, हम लोग शहर की धरती पर गांवों का विकास करने के लिए और गांव का मास्टर प्लान बनाने के लिए गांवों को सूचना दी है। जिस तरह से शहर में डीसी रूल होता है, उसी तरह से गांवों का भी मैपिंग होगा और गांव का भी अपना डीसी रूल होगा। शहर की धरती पर किस तरह से गांव का विकास हो, किस तरह से गांव अपना खुद विकास करें, उसके लिए जीपीडीपी और मास्टर प्लान के माध्यम से गांवों को सक्षम करने के लिए जो योजना है, ... (व्यवधान) हम लोगों ने जीपीडीपी के माध्यम से भी गांवों को सक्षम करने के लिए प्रावधान किए हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-365, श्री अरूण साव ।

(Q. 365)

श्री अरूण साव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह इस बात को साबित करता है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ और छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' कहा जाता है। अलग-अलग क्षेत्र और अलग-अलग राज्यों की प्रमुख फसलें अलग-अलग होती हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस प्रकार से क्षेत्रवार और राज्यवार अलग-अलग फसलों को चिन्हांकित कर, उन फसलों को जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने और उनके विपणन के बारे में सरकार की क्या योजना है?

श्री कैलाश चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा विपणन और मार्केटिंग की दृष्टि से सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, ताकि किसानों को सुलभ स्थान उपलब्ध हो और उसे उसकी जानकारी भी हो। इस दृष्टि से हमने एक जैविक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल पर लगभग 5.73 लाख किसान जुड़े हुए हैं। वे उस पोर्टल पर अपना प्रोडक्ट डालते हैं और उससे उनको मार्केट में निश्चित रूप से लाभ मिलता है। साथ ही, हम उन किसानों को ट्रेनिंग के तौर पर पीकेवीवाई योजना के तहत 19,000 रुपये दे रहे हैं। इसके अलावा, एफपीओज भी बनाए जा रहे हैं। जो फॉर्मर प्रोड्यूसर कंपनी हैं, उसके अंदर भी एक मार्केटिंग एक्सपर्ट होते हैं, जो उनको ट्रेनिंग देते हैं। साथ ही, किसानों को मार्केटिंग के लिए गाइड किया जाता है। मोदी सरकार यह प्रयास कर रही है कि किसान डायरेक्ट मार्केट से जुड़ें और उसके लिए उनको जो सपोर्ट चाहिए, वह भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है।

श्री अरूण साव : अध्यक्ष महोदय, जैविक फसलों का निर्यात बढ़े, उसका उत्पादन बढ़े और उसके लिए लोग प्रेरित हों, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या-क्या योजनाएं हैं?

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने पहले प्रश्न में ही इसका जवाब दे दिया है।

श्री कैलाश चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैविक खेती के अंदर भारत का जो ब्रांड है, वह पिछले पांच-सात सालों के अंदर लगातार पूरे विश्व में विख्यात हो रहा है। जैसे इंडिया ऑर्गेनिक नाम से जो ब्रांड

है, इससे पूरे विश्व में ऑर्गेनिक के रूप में भारत की पहचान बनी है। यह उसी का परिणाम है। जब वर्ष 2013 में मोदी जी की सरकार आई थी, उस समय इसका 1.77 लाख मीट्रिक टन एक्सपोर्ट होता था। वह अब बढ़कर 8.88 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। यानी, इसमें छः गुना की वृद्धि हुई है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इस तरह से उत्पादन का जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसकी अपेक्षा के द्वारा पूरी मॉनिटरिंग की जाती है कि वह कौना-सा ब्रांड है। इसमें हमारे राज्यों ने कई अच्छे ब्रांड्स तैयार किए हैं। जैसे मेघालय राज्य का ओमेगा ब्रांड है। उसी तरह से महाराष्ट्र राज्य का अलग ब्रांड है। इस तरह से राज्य सरकारों ने अपने-अपने ऑर्गेनिक के ब्रांड बनाए हैं। विश्व स्तर पर हमारे ब्रांड की बहुत पहचान बनी है। उसी का परिणाम है कि एक्सपोर्ट में लगातार वृद्धि हो रही है और उसका डायरेक्ट लाभ किसानों को भी मिल रहा है। इसके साथ-साथ किसानों को उसका रेट भी अधिक मिल रही है।

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा क्षेत्र है, वह सूखाग्रस्त के तौर पर जाना जाता है तथा इस क्षेत्र में दलहन और तिलहन का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में किसानों को जैविक खेती के लिए बढ़ावा देने हेतु क्या सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देने पर विचार कर रही है? जैविक खेती के कुछ शुरुआती सालों में काफी कम उत्पादन होता है, उस जैविक खेती से उत्पादित दलहनों और तिलहनों का लाभकारी मूल्य मिल सके, क्या उसके लिए सरकार कोई बाजार उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है? अगर नहीं, तो उसका क्या कारण है?

श्री कैलाश चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि उत्पादन में कमी की बात की गई है, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया है, कुछ उत्पादों में आर्गेनिक खेती करने में वृद्धि भी हुई है। हमारी रिसर्च भी हुई है। उसको बढ़ाने के लिए सदस्य ने सपोर्ट की जो बात की है, मैंने अपने पहले सवाल के जवाब में कहा है कि किसान को पर हेक्टेयर 50,000 रुपये तक का सपोर्ट दिया जाता है, जिसमें उनको 31,000 रुपये डॉयेक्ट मिलते हैं और 19,000 रुपये ट्रेनिंग के कंपोनेंट के रूप में मिलते हैं।

अगर कोई किसान 'फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन' (एफपीओ) भी बनाना चाहता है, तो उसके लिए आर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं, उनकी मार्केटिंग और सर्टिफिकेशन के लिए भी उनको गाइड किया जाता है। जैसा कि पहले लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन का जिक्र किया गया है। इस तरह से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किसानों को इसका अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके, ताकि देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, पेस्टीसाइड्स और यूरिया से अधिक बीमारियां होती हैं, उनका भी समाधान हो सके।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-366, श्री कृपानाथ मल्लाह ।

(Q. 366)

श्री कृपानाथ मल्लाह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' के बारे में है। मेरे क्षेत्र में कितना काम हुआ है, उसका उत्तर तो मिला है। यह बहुत ही अच्छी स्कीम है, सभी गांवों को मेन रोड से जोड़ने का काम चल रहा है, बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है। इससे पहले गांवों में रास्ता ही नहीं होता था।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जितने भी रास्ते बने हैं, उसके बावजूद भी मेरे क्षेत्र में बहुत से रास्ते बनने शेष हैं, जिनको इस योजना के तहत शामिल किया जाए। मैं उनमें से कुछ मुख्य-मुख्य रास्तों का नाम लेना चाहूंगा। मेरे दो जिले हैं, हैलाकांडी और करीमगंजा। हैलाकांडी में बहुत सारे रास्ते हैं, जो कि पीएमजीएसवाई से आज तक नहीं जुड़े हैं। जैसे चंडीपुर से भवरतल है, यह उत्तर हैलाकांडी में पड़ता है। काटली चौरा में गारतपुन्जी और जायामपुन्जी है, यह 20 किलोमीटर का है। इसके लिए राज्य सरकार से कहना मुश्किल है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसको पीएमजीएसवाई के तहत बनाया जाए। हरीश नगर पीडब्ल्यूडी पाइंट से हरीशनगर बोल्दा-बोल्दी तक का रोड बनाया जाए, यह भी 15 किलोमीटर का है। गामारिया से सरोजपुर, जो कि 10 किलोमीटर है। यह दो जिलों को जोड़ता है। अभी कुछ रास्ते बनने बाकी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस योजना में इनको भी शामिल किया जाए।

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बची हुई सड़कें हैं, उनके संबंध में सवाल किया है। जब राज्य सरकार अपने पास से प्रस्ताव बनाकर भेजती है, तब हम उस पर विचार करते हैं। हम 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' डॉयरेक्ट नहीं देते हैं, पैसा देते हैं, जब राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है, यह प्रश्न असम राज्य से संबंधित है, अगर असम सरकार प्रस्ताव भेजेगी, तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे।

श्री दीपक बैज: माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसमें समय-सीमा को बढ़ाने और कुछ सड़कों को जोड़ने की आवश्यकता है।

मेरा संसदीय क्षेत्र बस्तर है, जो कि देश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। वहां पर कुछ सड़कों की स्वीकृति है, लेकिन वे सड़कें समय-सीमा पर नहीं बन पा रही हैं, इसीलिए उनकी समय-सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं उसके लिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में फेज श्री का काम चल रहा है। मेरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित और आदिवासी क्षेत्र होने की वजह से वहां दूर-दूर गांव हैं, जहां अभी भी बहुत से गांवों को सड़कों से नहीं जोड़ पाए हैं। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगी कि उन गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए क्या कार्य योजना है और कब तक उक्त गांवों को जोड़ा जाएगा?

साध्वी निरंजन ज्योति: माननीय अध्यक्ष महोदय, सांसद जी ने जो सवाल खड़ा किया है, उसमें तीन कैटेगरी है। मैदानी क्षेत्र में 500 की आबादी, पहाड़ी क्षेत्र 250 की आबादी तथा जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं, उनके लिए गृह विभाग की संस्तुति लगती है। अगर वह संस्तुति स्वीकृत होकर आती है तो हम उसको प्रस्ताव में शामिल करके उनको फंड देते हैं।

श्री दिलीप शङ्कीया: अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र मंगलदोई में पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत क्या-क्या काम चल रहा है, उसका मंत्री जी ने विस्तृत रूप से उत्तर दिया है। मेरा सवाल यह है कि हमारे देश में जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वे मेरे संसदीय क्षेत्र में दो हैं। पहला दरंग है और दूसरा उदालगुरी है। क्या इन आकांक्षित जिलों को पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अधिक सड़क देने के लिए भारत सरकार की कोई योजना है? क्या भारत सरकार अतिरिक्त सड़कें देगी?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि पहले सांसद को सलेक्शन ऑफ रोड्स में प्रायोरिटी मिलती थी, लेकिन अभी हमें कोई प्रायोरिटी नहीं मिलती है। हमें जानकारी होती है कि कौन सा रास्ता बनना चाहिए और कौन सा रास्ता नहीं बनना चाहिए। अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से रास्ते का निर्णय होता है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि सांसद को भी रोड्स का सलेक्शन करने में अधिकार प्रदान किया जाए।

साध्वी निरंजन ज्योति: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद जी ने जो आकांक्षित जिलों का सवाल खड़ा किया है तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि सड़कों के मामले में चाहे आकांक्षित जिले हों

या चाहे आम जिले हों, उनके लिए राज्य सरकार प्रस्ताव करके भेजती है। हम उनको स्वीकृति देते हैं। सड़कों का बनने का जो मानक है, जो अभी श्री फेज़ में चल रहा है, उसके अंतर्गत अगर राज्य सरकार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अस्पताल और मार्केट को जोड़कर प्रस्ताव भेजती है तो हम उसको स्वीकृति देते हैं और बनाने का प्रावधान भी करते हैं।

श्री गौरव गोगोई: अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। यह सवाल प्रधान मंत्री जी की ग्लासगो में जो घोषणा थी कि वे वर्ष 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन घटाना चाहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत लगभग 50 हजार किलोमीटर रोड प्रतिवर्ष बनती है तो जब हम पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ रोड बनाते हैं तो हमारा बहुत सारा फ्यूल खर्च होता है और बहुत सा कार्बन इमिशन भी होता है। क्या मंत्रालय किसी प्रकार की नई टेक्नोलॉजी के बारे में सोच रहा है, जिससे फ्यूल भी बचे, जिससे कार्बन इमिशन भी बचे और आने वाले समय में प्रधान मंत्री जी की जो घोषणा है कि 1 बिलियन टन कार्बन का इमिशन करेंगे तो पीएमजीएसवाई रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में न्यू रोड बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा ये मापदंड कैसे ला पाएगी?

साध्वी निरंजन ज्योति: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो बात कही, उस पर माननीय सांसद जी का सवाल है। मैं बताना चाहती हूँ कि हम इसको प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में भी ला रहे हैं, जिससे हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो। हम इसमें समायोजन करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री रमेश चन्द्र माझी: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। वर्ष 2007 तक 1000 पापुलेशन तक के गांवों को कनेक्ट करना था, लेकिन अभी वर्ष 2022 आ गया है। मेरा संसदीय क्षेत्र नबरंगपुर तथा मालकानगिरी, कोरापुट जिले में बहुत सारे गांव हैं। नक्सली तथा ट्राइबल जिले हैं। इन जिलों को कब तक प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना से कनेक्ट किया जाएगा?

साध्वी निरंजन ज्योति: अध्यक्ष महोदय, मेरा फिर से वही उत्तर होगा कि माननीय सदस्य ने जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए बात की है, उसको सरकार ध्यान में रखते हुए 150, 200 और 250

की आबादी का मानक दिया गया है। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय की संस्तुति लगती है, उसके आधार पर हम उसे स्वीकृत करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-367, श्री संजय जाधव ।

(Q. 367)

श्री संजय जाधव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सम्मिलित करने के मापदंड और आधार क्या हैं? भविष्य में इसके विस्तार की क्या योजना है?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि ओडीओपी जिलों में पीएमएफबीवाई योजना की समितियां गठित की गई है तो इनके सदस्य कौन हैं? ये किसकी निगरानी में कार्य करेंगी तथा क्या इनमें जन प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है? उत्पाद को बढ़ाने के लिए लोगों को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है?

श्री पशुपति कुमार पारस: महोदय, महाराष्ट्र में 36 जिले हैं और पूरे देश में 710 जिले हैं। 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के हिसाब से सभी जिलों में, 710 जगहों पर इसकी व्यवस्था की गई है।

श्री ओम पवन राजेनिंबालकर : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में उस्मानाबाद जिला, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, वह एक आकांक्षी जिला है। उसमें 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के अंतर्गत दलहन आधारित उत्पाद जैसे चना, मूंग, अरहर दाल, आटा आदि के लिए प्रोजेक्ट एलॉट किया है, जबकि वहां गन्ने की खेती ज्यादा होती है, सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा होता है। इसलिए इस जिले के लिए 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' में दलहन आधारित उत्पाद ही क्यों एलॉट किया गया है? यह एलॉटमेंट कैसे होती है? इसे बदलकर गन्ना और सोयाबीन के बारे में जो प्रोजेक्ट आते हैं, क्या उसके लिए एलॉटमेंट हो पाएगी? आंकाशी जिला होने की वजह से वहां नौकरियों का बहुत अभाव है, इसलिए 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ग्राउण्ड लेवल पर क्या कोशिश कर रही है और उसके बारे में क्या कदम उठा रही है?

श्री पशुपति कुमार पारस: महोदय, महाराष्ट्र में माननीय सदस्य के क्षेत्र में दो जिले आते हैं। पहला जिला उस्मानाबाद है, जहां दलहन आधारित प्रोडक्ट्स जैसे चना, मूंग, अरहर दाल, आटा आदि की

व्यवस्था है और दूसरा जिला परभणी है, जहां गन्ना होता है। हम लोग उसकी जांच करा लेंगे, जांच कराने के बाद यदि संभव होगा तो आपके उस क्षेत्र में भी इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या-368, श्री केसिनेनी श्रीनिवास ।

उपस्थित नहीं ।

(Q.368)

SHRI P.V. MIDHUN REDDY : Sir, I am thankful to you for giving me a chance to ask a very important question.

Sir, the Government is focussing on controlling the production of drugs and its enforcement. But the Government should also focus on screening. They should screen all the high schools and colleges in relation to drug consumption. A lot of parents do not know that their children are consuming drugs.

I would like to know from the hon. Minister whether there is any proposal to screen all the colleges and schools so that we get to know who is involved in drug addiction, counsel them and save their future.

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद ने सही कहा है कि यह बहुत संवेदनशील प्रश्न है और इस देश के लिए बहुत महत्व रखता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय नीति बनी है, जिसके तहत मादक पदार्थों को रोका जाए और उनकी तस्करी को भी रोका जाए, ऐसी व्यवस्था है। इसके लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उनमें सभी राज्यों में, हालांकि यह प्रश्न आन्ध्र प्रदेश के संबंध में पूछा गया है, लेकिन ये पूरे देश का विषय है, प्रशिक्षण देने से लेकर अनेक कदम उठाए गए हैं। खासकर विश्वविद्यालय परिसर में मादक पदार्थों के सेवन के जो आंकड़े आए हैं, वह उस क्षेत्र में ज्यादा है। उसके लिए सरकार ने कई प्रकार के कदम उठाए हैं, जैसे अभी वर्ष 2021 में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर – एनकॉर्ड बनाया गया है। एनकॉर्ड के माध्यम से हम राज्यों से कोऑर्डिनेशन करते हैं। पहले से एक समन्वय समिति बनी हुई है, जिसमें हम राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन करके मादक पदार्थों के रोकथाम के लिए काम करते हैं। उसके लिए हम एनसीबी के द्वारा अभियान चलाते हैं। जो केन्द्र सरकार की एक नीति है – नशा मुक्त भारत अभियान, उसके तहत अभी तक 272 जिलों को संवेदित जिले भी घोषित किया गया है। उसके तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है। 272 जिलों को चिन्हित

किया गया है और उनमें 8,000 मास्टर स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अब तक 2 करोड़ 14 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाया गया है।

12.00 hrs

अभियान की गतिविधियों के लिए 42 लाख से अधिक युवाओं ने सक्रिय रूप से इसमें भाग भी लिया है और लगभग चार हजार से अधिक युवा मंडलों, नेहरू युवा केन्द्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा स्कीम के स्वयं सेवकों को भी इस अभियान से जोड़ा गया है।

सुश्री सुनीता दुग्गल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मेरी यह रिक्वेस्ट है कि अभी आपने 272 जिलों का जिक्र किया है, तो उसमें हरियाणा के दस जिले आते हैं, जिनमें मेरी लोक सभा क्षेत्र के भी दो जिले हैं – सिरसा और फतेहाबाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट करती हूं और यह मेरा सजेशन भी है कि इसके लिए फोर्ट नाइटली या क्वार्टर्ली कोई मीटिंग कर ली जाए, जिससे हमें यह पता लग सके कि उस डिस्ट्रिक्ट में आपकी इस योजना का क्या लाभ मिल रहा है, किस तरह से तरक्की हो रही है? वहां के डीसी, एसपी और माननीय सांसद को इन्वॉल्व करके अगर एक क्वार्टर्ली मीटिंग कर ली जाए, तो हम उसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं कि हमारी सरकार की जो योजना है, उसके बारे में हम कहां तक आगे बढ़े हैं? धन्यवाद

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, इस पर चार स्तरीय कमेटी बनी हुई है, जिला, राज्य से ऊपर भी उच्च स्तरीय कमेटी बनी हुई है और इसको एनसीबी के कार्यालयों के माध्यम से काफी इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, जो राज्यों और जिलों से जरूरत होने पर समन्वय करके मीटिंग भी करती है और जिस प्रकार की रिपोर्ट आती है, उस पर केन्द्र सरकार के जो निर्देश हैं, अभी माननीय गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में दिसम्बर, 2021 में एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के जो भाव थे, निर्देश थे, सभी राज्यों को दिए गए हैं। जैसा कि माननीया मैडम कह रही थीं कि उसमें हरियाणा के

10 जिले आते हैं, तो प्रत्येक जोन बना कर, उसको सब जोन बना कर, फिर डिस्ट्रिक्ट पर स्टेट के साथ कॉर्डिनेशन करके, हम उसके नियंत्रण, रोकथाम के लिए काम करते हैं।

***WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**
(Starred Question Nos. 369 to 380
Unstarred Question Nos. 4141 to 4370)
(Page No. 66 to 732)

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं - कुंवर दानिश अली, श्री टी. एन. प्रथापन, श्री हिबी इडन, एडवोकेट अदूर प्रकाश, प्रो. सौगत राय, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री रितेश पाण्डेय, श्री बी. मणिकम टैगोर, श्री वी. के. श्रीकंदन, एडवोकेट डीन कुरियाकोस, श्री बैन्नी बेहनन और श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपका क्या विषय है?

प्रो. सौगत राय (दमदम): अध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है, कल और आज पूरे देश में ट्रेड यूनियंस ने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भारत बंद किया। कल सभी बैंक्स बंद हो गए थे, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था, तो सरकार को समझना चाहिए कि लोगों में बहुत ही नाराजगी है। सरकार की पॉलिसी सब कुछ बेच देने की है। मैं सरकार की इस पॉलिसी पर चर्चा चाहता हूँ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, barring Bhartiya Mazdoor Sangh, belonging to the BJP party, all the trade unions have decided in unison to call a strike across the nation in order to stop plundering of the nation by this Government. They have put forward some issues for consideration of the Government like – scrapping up of proposed changes in the labour laws, privatisation of any firm under National Monetization Pipeline, increase in allocation of wages under MGNREGA, regularization of contract workers, etc. Sir, it has evoked a huge response across the nation, but sorry to state that in West Bengal the Government is trying to thwart the agitation by deploying its

own workers. Here, they are talking about the interests of the labour, but in West Bengal they are trying to thwart the agitation. So, I would like to flag the attention of this House and the nation that we are all extending our whole-hearted cooperation to this agitation, to this strike called by all the labour unions barring the Bhartiya Mazdoor Sangh.(*Interruptions*)

12.03 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे - डॉ. वीरेन्द्र कुमार।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) (एक) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6802/17/22]

12.04 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6803/17/22]

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान):

सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6804/17/22]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत जनगणना (संशोधन) नियम, 2022 जो दिनांक 11 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 194(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6805/17/22]

- (2) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 25 की उप-धारा (2) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुख्य सूचना अधिकारी (समूह 'क') भर्ती नियम, 2022 जो 6 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 10 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6806/17/22]

- (3) (एक) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6807/17/22]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी शोभा कारान्दलाजे): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकूला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकूला का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6808/17/22]

(3) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6809/17/22]

(4) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत हॉर्स ग्राम ग्रेडिंग एंड मार्किंग नियम, 2020 जो दिनांक 24 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 581(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 6810/17/22]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी प्रतिमा भौमिक): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) इन्स्टीट्यूशन फॉर दि ब्लाइन्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) इन्स्टीट्यूशन फॉर दि ब्लाइन्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 और 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6811/17/22]

- (3) (एक) सोसायटी फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड वोलन्ट्री एक्शन, नयागढ़, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सोसायटी फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड वोलन्ट्री एक्शन, नयागढ़, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6812/17/22]

- (5) (एक) विकास सोशल सर्विस सोसायटी, कन्नूर, केरल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विकास सोशल सर्विस सोसायटी, कन्नूर, केरल के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6813/17/22]

- (7) (एक) जनता आदर्श अंध विद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जनता आदर्श अंध विद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6814/17/22]

- (9) (एक) ज्ञान सरोवर, सारण के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ज्ञान सरोवर, सारण के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6815/17/22]

- (11) राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापना।

- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6816/17/22]

- (13) (एक) मनिन्द्रनाथ बनर्जी मेमोरियल सोसायटी, बर्दवान, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मनिन्द्रनाथ बनर्जी मेमोरियल सोसायटी, बर्दवान, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6817/17/22]

- (15) (एक) विष्णु दयाल शिक्षा समिति, लखनऊ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) विष्णु दयाल शिक्षा समिति, लखनऊ के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6818/17/22]

- (17) (एक) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6819/17/22]

- (18) (एक) ओपन एजुकेशनल डेवलपमेंट रिसर्च एंड वेलफेयर सोसायटी, संगरूर, पंजाब के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ओपन एजुकेशनल डेवलपमेंट रिसर्च एंड वेलफेयर सोसायटी, संगरूर, पंजाब के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6820/17/22]

- (20) (एक) दिव्यांगजन मनोविकास केन्द्र पुनर्वास और अनुसन्धान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2011-2012, 2014-2015 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दिव्यांगजन मनोविकास केन्द्र पुनर्वास और अनुसन्धान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2011-2012, 2014-2015 और 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6821/17/22]

- (22) (एक) दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रीहेबिलीटेशन सेन्टर फॉर हैंडीकैप्ड, आंध्र महिला सभा, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रीहेबिलीटेशन सेन्टर फॉर हैंडीकैप्ड, आंध्र महिला सभा, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6822/17/22]

(24) (एक) काचजुली फिजिकली हैंडीकैप्ड (डेफ एंड डम्ब) स्कूल एंड ट्रेनिंग सेन्टर, लखीमपुर, असम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) काचजुली फिजिकली हैंडीकैप्ड (डेफ एंड डम्ब) स्कूल एंड ट्रेनिंग सेन्टर, लखीमपुर, असम के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6823/17/22]

(26) (एक) श्री दक्षिण्य भव समिति, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित

लेखे।

(दो) श्री दक्षिण्य भव समिति, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6824/17/22]

(28) (एक) एल्फोंस सोशल सेंटर, किडन्नूर, केरल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एल्फोंस सोशल सेंटर, किडन्नूर, केरल के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6825/17/22]

(30) (एक) भारत ज्योति, कटक, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत ज्योति, कटक, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6826/17/22]

- (32) (एक) जीवन ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फॉर दि मेन्टली एंड फिजिकली हैन्डीकैप्ड, ढेंकनाल, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जीवन ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फॉर दि मेन्टली एंड फिजिकली हैन्डीकैप्ड, ढेंकनाल, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6827/17/22]

- (34) (एक) एल.के.सी श्री जगदम्बा अंध विद्यालय समिति, श्री गंगानगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एल.के.सी श्री जगदम्बा अंध विद्यालय समिति, श्री गंगानगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6828/17/22]

- (36) (एक) जलपाईगुड़ी कल्याण संगठन, जलपाईगुड़ी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) जलपाईगुड़ी कल्याण संगठन, जलपाईगुड़ी के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6829/17/22]

- (38) (एक) महिला और बाल कल्याण केन्द्र, विजियानगरम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) महिला और बाल कल्याण केन्द्र, विजियानगरम के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6830/17/22]

(40) (एक) वोलंटरी आर्गनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वोलंटरी आर्गनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6831/17/22]

(42) (एक) डेफ एंड डम्ब स्कूल, मेरठ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डेफ एंड डम्ब स्कूल, मेरठ के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6832/17/22]

(44) (एक) स्वयंकृषि, सिकन्दराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वयंकृषि, सिकन्दराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6833/17/22]

(46) (एक) चैतन्य इन्स्टीट्यूट फॉर दि लर्निंग डिसएबल्ड, विजियानगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चैतन्य इन्स्टीट्यूट फॉर दि लर्निंग डिसएबल्ड, विजियानगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6834/17/22]

(48) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) होलबिज प्राइवेट लिमिटेड, सूरत के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) होलबिज प्राइवेट लिमिटेड, सूरत का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 6835/17/22]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (DR. L. MURUGAN): Sir, I rise to

lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Children's Film Society, India, Mumbai, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Children's Film Society, India, Mumbai, for the year 2020-2021.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 6836/17/22]

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the Broadcast Engineering Consultants India Limited, Noida, for the year 2020-2021.
- (ii) Annual Report of the Broadcast Engineering Consultants India

Limited, Noida, for the year 2020-2021, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 6837/17/22]

12.05 hrs**BUSINESS ADVISORY COMMITTEE****32nd Report**

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का 32वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ

12.05 ½ hrs**STANDING COMMITTEE ON LABOUR, TEXTILES****AND SKILL DEVELOPMENT****Statements**

श्री गणेश सिंह (सतना): माननीय सभापति महोदय, श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और कौशल विकास पहल योजना' के बारे में 33वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (2) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 36वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (4) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'जन शिक्षण संस्थान योजना' के बारे में 41वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 53वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।

- (5) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) में भू-आस्ति प्रबंधन' के बारे में 30वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 54वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (6) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (7) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (8) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (9) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (10) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (11) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (12) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'भविष्य निधियों, पेंशन निधियों द्वारा बॉन्डों और ऐसे लिखतों – [इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एण्ड एफएस) का उदाहरण] में निवेश की स्थिति संबंधी दिशा-निर्देश, निगरानी रेटिंग और विनियामक

प्रणाली' विषय के बारे में समिति के 57वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

- (13) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 17वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

12.06 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 307th Report of the Department- related Parliamentary Standing Committee on Industry on impact of Covid-19 on the PSUs and the initiatives taken by the PSUs under 'Atmanirbhar Bharat Abhiyaan' pertaining to the Ministry of Heavy Industries*

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): माननीय सभापति महोदय, मैं भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर कोविड-19 का प्रभाव और 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई पहलों के बारे में विभाग-संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 307वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूँ।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6800/17/22

12.06 ½ hrs

(ii) Status of implementation of the recommendations /observations contained in the 230th Report of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on 'Atrocities and Crimes against Women and Children' pertaining to the Ministry of Home Affairs*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी): माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित 'महिलाओं और बच्चों के प्रति अत्याचार और अपराध' के बारे में विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 230वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूँ

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 6801/17/22

12.07 hrs

ELECTION TO COMMITTEE

Central Advisory Committee for the National Cadet Corps

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एडवोकेट अजय भट्ट): माननीय सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:-

“कि इस सभा के सदस्य राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (एक) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यक्षीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि इस सभा के सदस्य राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (एक) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्यक्षीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब शून्यकाल ।

श्री असादुद्दीन ओवैसी।

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Sir, I want to bring to the notice of the august House an important issue that many children have died by consuming the cough syrup called Cofset which contains a deadly chemical called diethylene glycol. A few years ago, in Ramnagar Village in Jammu, a dozen of children also died by consuming this diethylene glycol laden tonic called Coldbest. Both these were manufactured by Digital Vision.

Sir, publicly available data show that these medicines failed to qualify the quality standards. We have the Drug and Cosmetics Act, 1940 which treats such sales as a serious offence.

What I demand from the Government, Sir, is that the regulatory responses to Digital Vision's offences were not unique to the company, but were symptoms of a larger systemic problem. The Indian State and Central Drug Regulators today balk at prosecuting manufacturers of substandard drugs.

The Drug Consultative Committee, an advisory body to State Regulators, have issued a controversial guideline that prosecuting every case of substandard drug would lead to the harassment of manufacturers. This should be immediately withdrawn. There should be strict implementation of good manufacturing practices as envisaged by the Drug and Cosmetics Act.

Sir, this is a very important issue. Many children are consuming these cough syrups and dying. There is no control by the Government on sale of such substandard drugs.

Thank you.

DR. SUJAY VIKHE PATIL (AHMEDNAGAR): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak during the 'Zero Hour'.

Sir, I have been raising the issue of water supply in Ahmednagar Cantonment for the past two years but no progress has been made regarding the same. Recently, the Ahmednagar Cantonment Board has increased the water charges from Rs. 2,000 per annum to Rs. 2,400 per annum whereas all the other cantonments adjacent to the Ahmednagar Cantonment have a water charge of Rs. 2,000 per annum.

The residents of this area are already suffering due to inconsistent water supply. They receive water supply for 12-15 days and that too is irregular. Also, due to the COVID pandemic, this particular rise in water charges will create a huge economic impact in the lives of those residents.

My request, through you, Sir, is to the Ministry of Defence to roll back this rise in water charges. I would also like to make a special mention, through you, Sir, to the Ministry of Housing and Urban Affairs to expedite the completion of Phase-II of AMRUT Yojana undertaken by the Ahmednagar Municipal Corporation due to which the facilitation of water supply to the residents of Ahmednagar as well as to the Cantonment would be much easier.

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत कानपुर नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कानपुर में खोले जाने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ।

महोदय, जैसा कि विदित है, कानपुर एक औद्योगिक और प्राचीन शहर है। कानपुर की आबादी 45 लाख से ऊपर है और कानपुर से चारों ओर के लिए कनेक्टिविटी है। चाहे आगरा हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, लखनऊ हो, अलीगढ़ हो या झांसी हो, सब जगहों के लिए यहां से कनेक्टिविटी है। कानपुर 10 स्मार्ट शहरों में आठवें नंबर पर है।

माननीय सभापति महोदय, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, वहां केवल कानपुर के लोगों को ही उपचार की आवश्यकता नहीं होती। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, वह उपेक्षित क्षेत्र है, वहां उपचार के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहां के लोग भी उपचार के लिए कानपुर आते हैं। इसलिए जब भार बढ़ता है, तब कानपुर हॉस्पिटल और संजय गांधी हॉस्पिटल, ये दो स्थान ही रहते हैं, जहां मरीज जाएं भीड़ होने के कारण उन्हें महीनों तक प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि मरीज हॉस्पिटल आया और वह ऊपर चला गया, उसका इलाज ही नहीं हो पाया।

अतः माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि कानपुर की परिस्थितियों को देखते हुए वे वहां एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान खोलने की कृपा करें।

SHRI MADDILA GURUMOORTHY (TIRUPATI): The Ministry of Labour & Employment is running two schools at Kalichedu and Talupur villages at Venkatagiri, Nellore District, Andhra Pradesh. Kalichedu village is popular for mica mines. For the well-being of labourers working in mica mines, the Ministry of Mines and Labour Welfare started a primary school and a high school in 1950.

For these mica workers, a primary health centre with 50 beds and a 30-bedded T.B. hospital was established in 1955. The hospital was closed in 2003.

At present, school infrastructure is in dilapidated condition. There is lack of faculty and facilities. Altogether, 150 children are studying in this school. I

request, through you, Sir, the hon. Minister for Labour & Employment to kindly take necessary action for all round development of these MMLWO schools at Kalichedu and Talupur villages, Nellore District, Andhra Pradesh.

Thank you, Sir.

श्री हाजी फजलुर रहमान (सहारनपुर): सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के वन गुज्जर और डोंगिया गांव के बारे में, खासतौर से जिला सहारनपुर के वन गुज्जरों के बारे में बताना चाहता हूं कि भारतीय संसद ने 16 साल पहले 15 दिसम्बर, 2006 को ऐतिहासिक अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी कानून-2006 बनाया था। उत्तर प्रदेश, जनपद-सहारनपुर के शिवालिक तलहटी वन क्षेत्र में 3 हजार की संख्या में डोंगिया आबादी और 4 हजार परिवार की आबादी वन गुज्जर समुदाय की है, जो जंगल में रहते हैं। डोंगिया गांव और वन गुज्जर समुदाय को वन अधिकार कानून 2006 के तहत पहली बार मान्यता तो मिली, लेकिन 16 साल बाद भी वन गुज्जरों को अभी तक उनके अधिकार नहीं मिले हैं। उन्हें लगातार विस्थापित करने और जंगल को छोड़ने की धमकी दी जाती है, जबकि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी कानून-2006 के तहत उनको जोर-जबरदस्ती जंगल से नहीं निकाला जा सकता है। वन गुज्जर समुदाय सैकड़ों वर्षों से जंगलों में रहता है।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, आप क्या कहना चाहते हैं, वह बताएं।

श्री हाजी फजलुर रहमान: सभापति महोदय, यह समुदाय जानवरों को पालने का काम करता है। यदि इन्हें यहां से निकालकर कहीं और पुनर्वासित किया जाता है तो सरकार के पास इतना बड़ा चारागाह नहीं है कि वे अपने सैकड़ों जानवरों को खाना खिला सकें। अतः इनको जंगल में रहने का अधिकार मिलना ही चाहिए। मेरी सरकार से मांग है कि जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तर प्रदेश में भी वन गुज्जरों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी कानून-2006 के तहत उनको कम्युनिटी राइट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए।

मान्यवर, आए दिन विभाग और पुलिस अधिकारी इन पर अत्याचार करते रहते हैं। वन में रहने वालों से ये दूध, घी लेने का भी काम करते रहते हैं। उन लोगों तक यह बात पहुंचनी चाहिए कि जंगलों में रहने का अधिकार इनको है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, शून्य काल में एक मिनट में अपनी बात रखनी चाहिए।

श्री हाजी फजलुर रहमान : सभापति महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रशासन की पुलिस और विभाग को अनुसूचित जनजातियों एव अन्य परम्परागत वन निवासी कानून-2006 के बारे में जागरूक किया जाना अनिवार्य है, ताकि उनके अधिकारों का हनन न किया जाए।
धन्यवाद।

श्री प्रद्युत बोरदोलोई (नौगोंग): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज तथा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और खास तौर पर माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। Sir, in August, 2021, the Government of India declared the National Mission on Edible Oils, and the Government of India wants to make the North-East an oil palm hub. Subsequently, in December, 2021, more than 100 scientists, ecologists and conservationists from across the country wrote a joint letter to the hon. Prime Minister cautioning him that this will be an ecological disaster if such a palm oil cultivation is taken up as per the Government plan. As you know, the North-East is harbouring the forest cover and the rich ecology that it has. Also, the scientists have brought it out and they recommended that the agricultural lands be tapped before expanding into bio-diversity such as the North-Eastern region and Andaman and Nicobar. The UN's Food and Agriculture Organization data shows that India still has 38.8 million hectares of climatically suitable land open for cultivation of palm oil. So, the Government of India should not make the North-

East region an oil palm hub because this is the only reminiscence of the forest cover and ecology that we have.

***SHRI SURESH PUJARI (BARGARH):** Honourable Chairman Sir, Juhar (namaskar) and thank you for giving me the opportunity to speak in Zero Hour. Sambalpuri / Kosali language is an old language. More than 1.5 crore people who reside in Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand and other states speak Sambalpuri language. It is an ancient and scientific language which has its own grammar, vocabulary and literature. Ramayana, Mahabharat, Shrimad Bhagwat Gita and other religious books have already been translated into Sambalpuri.

Sambalpuri language has its own set of music, dance, poetry and literature. Under the leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Government of India has awarded Padma Shri to Sambalpuri literature Shri Haldhar Nag and singer Shri Jitendra Haripada. This is indirectly a recognition of the contribution of Sambalpuri language.

Sir, we have requested you several times in the past to include Sambalpuri in the Eighth Schedule of the Indian Constitution. Through you Sir, I would once again request you to include it in the Eighth Schedule.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान सहारा इंडिया चिटफंड कंपनी द्वारा उनके निवेशकों के भुगतान में देरी की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। मैं बिहार राज्य से आती हूँ और मेरे संसदीय क्षेत्र में शिवहर, सीतामढ़ी एवं पूर्वी चम्पारण जिले सहित बिहार के लाखों लोगों ने

* English translation of the Speech originally delivered in Odia.

सहारा इंडिया चिटफंड कंपनी की विभिन्न बचत योजनाओं में अपना पैसा जमा कर रखा है, लेकिन मैच्योरिटी की अवधि पूरी होने के बावजूद पिछले कई वर्षों से उनका भुगतान नहीं हो रहा है। वे अपनी मेहनत-मजदूरी से जमा की गई राशि के भुगतान के लिए दर-दर भटकने को विवश हैं। सहारा इंडिया, रोज वैली जैसी कई ऐसी चिटफंड कंपनीज हैं, जिनमें गरीब लोगों का पैसा जमा है, लेकिन उनका भुगतान नहीं हो रहा है।

महोदय, सहारा इंडिया का लगभग 24 हजार करोड़ रुपया सेबी में जमा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्ष 2012 में ही सेबी एवं सहारा को जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के लगभग 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी निवेशकों का पैसा न तो सहारा इंडिया भुगतान कर रही है और न ही सेबी द्वारा किया जा रहा है। इसमें सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, ताकि सेबी में सहारा की जमा राशि में से सरकार की निगरानी में लोगों का भुगतान संभव हो सके। सेबी और सहारा विवाद के कारण सहारा इंडिया में काम करने वाले लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर भी इसका असर पड़ रहा है। ... (व्यवधान)

अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार करते हुए सहारा इंडिया में लोगों द्वारा जमा किए गए पैसे का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please send association slips to the Table. जो भी माननीय सदस्य इस विषय से खुद को सम्बद्ध करना चाहते हैं, वे कृपया स्लिप भेज दें।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Dr. Heena Vijaykumar Gavit -- not present.

Shri T. N. Prathapan.

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): Hon. Chairperson, Sir, ICHR decided to exclude hundreds of martyrs of the great Malabar revolt -- which was an anti-

colonial freedom fight in 1921 -- from the Dictionary of Martyrs of Freedom Struggle.

The Malabar Rebellion in 1921 was a proud chapter in the history of our freedom fight. Indian Independence struggle is the foundation of our country. The history of freedom fight for hundreds of years should be our inspiration and the centre of unity. Our freedom fighters shall be respected. Please do not insult them.

It is easy for someone to write mercy petitions during the Independence movement, but it took courage and incredible commitment for the martyrs of the Malabar revolt to sacrifice their lives for this land. The martyrs of wagon tragedy, which is a heinous account of British cruelty like Jallianwala Bagh are also insulted by the ICHR.

Sir, it is not good for our country to mutilate our history. ICHR should be reminded about their responsibility. And that is to celebrate the history and heritage of this country without any political agenda. I would like to request the Culture Ministry to kindly revisit the decision of ICHR to exclude our freedom fighters, who were once respected and honoured as martyrs.

श्री सौमित्र खान (बिष्णुपुर): महोदय, मैं बिष्णुपुर लोक सभा से आता हूँ। मेरी सड़क परिवहन मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि हमारे दो शहर बरजोरा और सोनामुखी हैं। बरजोरा के ऊपर ओवर ब्रिज हो जाए तो कम से कम 50 हजार आदमी, जो हर रोज आना-जाना करते हैं, उनको सुविधा हो जाएगी। 10 लाख आदमियों का आना-जाना शुरू हो गया है, क्योंकि एन.एच.60 उसके साथ जुड़ा हुआ है।

मेरी परिवहन मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि बरजोरा का ओवर ब्रिज और सोनामुखी बोरसोवा का बाईपास होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है... (व्यवधान) यह जंगलमहल के साथ जुड़ा हुआ है...

(व्यवधान)

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। देश की दूसरी योजना और बिहार की प्रथम योजना, मैं अररिया लोक सभा से आता हूँ, यह नेपाल के बॉर्डर पर है। कोसी-मेची नदी जोड़ योजना की स्वीकृति मिली है। यदि यह कोसी-मेची नदी जोड़ योजना पूरी हो जाती है, तो वहाँ अनेक नदियाँ हैं, जैसे परमाण, बकरा, भलुआ आदि, काफी छोटी-छोटी नदियाँ कोसी से निकलती हैं। उस नदी का बाँध सुरक्षात्मक बाँध होगा। नदी जोड़ योजना की स्वीकृति मिली है। 4,900 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है, परन्तु बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच में यह लड़ाई है कि वह इतना परसेंट दे, वह इतना दे।

महोदय, यह योजना धरती पर होने पर हम लोगों को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। वहाँ के किसान की भलाई होगी और साथ ही साथ दो लाख हैक्टेयर किसानों की जमीन की सिंचाई का भी समाधान होगा। मैं आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस योजना को धरातल पर उतारा जाए तभी मोदी जी का सपना पूरा होगा और हमारे यहाँ के किसानों को लाभ होगा। धन्यवाद।

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत (नन्दुरबार): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

आज मैं सदन के समक्ष सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि देश भर के युवाओं का रोजगार से संबंधित एक विषय रखना चाहूँगी। कुछ दिन पहले हम सबने इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो देखा था, जिसमें प्रदीप मेहरा नाम का युवक सेना में भर्ती की तैयारी के लिए देर रात 10 किलोमीटर जॉगिंग कर रहा था। वह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार से हमारे युवा सेना में भर्ती के

लिए प्रयास करते हैं। भारतीय सेना में हर वर्ष लाखों युवा नौकरी के लिए आवेदन देते हैं और रक्षा मंत्रालय हर वर्ष 90 से 100 रिक्रूटमेंट रैलीज के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया संचालित करता है। मेरा लोक सभा क्षेत्र एक आकांक्षी जिला होने के साथ ही आदिवासी बाहुल्य जिला भी है और ग्रामीण क्षेत्र के हजारों युवा आर्मी जनरल ड्यूटी, जिसमें आयु सीमा 17 से 21.5 वर्ष है और ट्रेड्समैन, जिसमें आयु सीमा 17 से 23.5 वर्ष है, के लिए आवेदन देते हैं। कोरोना महामारी के कारण रिक्रूटमेंट रैलीज पिछले दो वर्षों से बंद हैं, जिसके कारण मेरे लोक सभा क्षेत्र के युवाओं की उम्र निर्धारित आयु सीमा से ज्यादा हो गई है और वे भर्ती के लिए योग्य नहीं हैं। एयरफोर्स और नेवी द्वारा भी वर्ष 2021 में वन टाइम ऐज रिलैक्सेशन दिया गया था। इसीलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगी कि पिछले दो वर्षों में जिन युवाओं की आयु निर्धारित आयु से अधिक हो गई है, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा दो साल का ऐज रिलैक्सेशन भारतीय सेना में इस वर्ष होने वाली भर्तियों में दिया जाए। वर्तमान में करीब 81 हजार पद सेना में खाली हैं। ऐसा होने से कई सारे युवाओं को देश की रक्षा करने का सौभाग्य मिलेगा।

श्री भोलानाथ 'बी. पी. सरोज' (मछलीशहर): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र मछलीशहर जनपद जौनपुर के अंतर्गत जफराबाद विधान सभा के जफराबाद जंक्शन के पास रेलवे ओवरब्रिज न होने के कारण प्रायः आपातकालीन सेवाएं बहुत प्रभावित होती हैं। मैं आपका ध्यान आकृषित करना चाहता हूँ कि जफराबाद जंक्शन से सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रयागराज सैकड़ों रेलगाड़ियों का आना-जाना लगा रहता है, जिससे फाटक बहुत समय तक बंद रहता है और व्यस्त रहता है। परिवहन की दृष्टि से शहर के पास होने की वजह से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और कचहरी आने-जाने वालों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है।

यहां लगभग 30 स्कूल और कॉलेज आते हैं और कोई वैकल्पिक मार्ग न होने के कारण छात्र-छात्राओं का स्कूल छूटना तथा और तो और फाटक बंद होने के कारण कभी-कभी गंभीर बीमारी से जो मरीज हैं, वे दम तोड़ चुके हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता

हूं कि जनमानस की पीड़ा को महसूस करते हुए जफराबाद जंक्शन पर रेलवे फाटक, ओवरब्रिज बनाने की कृपा करें।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति ज्वलंत मुद्दे की ओर ले जाना चाहता हूं। जम्मू-कश्मीर में विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी, जो कि नीड्स बेसिस पर हैं, केजुअल लेबर हैं, डेली वेजर हैं। ये विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और काफी समय से सेवाएं दे रहे हैं। कई को 15 साल हो गए, कई को 20 साल हो गए और कइयों को 12-12 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक ये नियमित नहीं किए गए हैं। ये कर्मचारी अनियमित हैं और उसकी वजह से इनको पूरा वेतन नहीं मिलता है। पूरा वेतन न मिलने की वजह से ये परेशान हैं, इनका परिवार परेशान है और ये लोग रोज धरना, प्रदर्शन, ऐजिटेशन और घेराव जैसे कार्यक्रम करते रहते हैं। महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना है कि सरकार वन टाइम सैटलमेंट के माध्यम से ही सही एक बार जम्मू-कश्मीर प्रशासन को आर्थिक मदद करे। ये जो कर्मचारी हैं, इन्हें नियमित किया जाए या इन पर कोई पॉलिसी बनाते हुए इन्हें पूरा वेतन दिया जाए, ताकि ये सुचारू रूप से विभागों की सेवा भी कर सकें और उसके साथ-साथ ही अपने परिवार का पालन-पोषण भी कर सकें, अन्यथा रोजाना धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार इनकी मदद करे। जम्मू-कश्मीर प्रशासन को आर्थिक मदद करें, ताकि इन्हें नियमित किया जाए। धन्यवाद।

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुंबई दक्षिण-मध्य): महोदय, मुझे शून्य काल में समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के वडोली गांव और वडाला के स्थानीय लोगों के एक गंभीर विषय की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यहां के निवासियों ने शिकायत की है कि मुंबई में आरसीएफ के पास लोधा (न्यू कफ परेड), अजमेरा आइलैंड और दोस्ती कॉम्प्लेक्स के क्षेत्र में आरसीएफ के एक प्लांट से, आरसीएफ की लापरवाही की वजह से जहरीली गैस निकलती है, जो वडाला के निवासियों में गंभीर बीमारियां और वहाँ डर का माहौल पैदा कर रही है। प्रदूषण करने वाले

इस प्लांट की लापरवाही के बारे में मैं केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय को आगाह करता हूँ। इस गंभीर विषय पर यहां के आरसीएफ प्रबंधन के साथ बार-बार मीटिंग बुलाने के बाद भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है।

इसके अतिरिक्त वडोली गांव में आरसीएफ की भूमि पर वर्षों से खाली पड़े एक मैदान का इस्तेमाल गांव के बच्चे पिछले 45 से 50 साल से खेलने के लिए करते थे। इस मैदान का उपयोग वरिष्ठ नागरिक मॉर्निंग वॉक के लिए भी करते थे। लेकिन पिछले 6 से 7 वर्षों से आर.सी.एफ. प्रबंधन ने बिना कारण इस मैदान को बंद कर दिया है। इस कारण वडोली गांव के बच्चों के खेलने के लिए भी जगह नहीं है।

अब वरिष्ठ नागरिकों को मॉर्निंग वॉक के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मैदान पर खेलने वाले कुछ बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व भी किया है। आर.सी.एफ. के विभाग ने मलबे का इस्तेमाल कर इस मैदान को बंद कर दिया है। अब यह स्थान गंदगी के कारण सांपों और कई कीड़ों का घर बन गया है, जो आस-पास के ग्रामीणों के लिए बहुत बीमारियों का कारण बन रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस विषय में हस्तक्षेप कर आरसीएफ अधिकारियों को आदेश देकर जहरीली गैस फैलाने वाले प्लांट के ऊपर कार्रवाई करें और वह मैदान वडोली गाँव के लिए उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री के. नवासखनी – उपस्थित नहीं।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Mr. Chairman, Sir, I would like to raise a very important issue about NALCO disinvestment. NALCO is a Navratna CPSU under the Ministry of Mines with Government having a 51.28 per cent stake. NALCO has been an industry leader in producing and exporting high quality alumina and aluminium for forty years. The Government wants to privatise this zero-debt company that has consistently paid dividends to the

Government. Since its incorporation, NALCO has been making profits. It continues to have a consistent track record of production, productivity, technology adoption, quality assurance, capacity utilisation, profitability, and pays a sizeable share of dividends to national and state exchequers. It is one of the highest foreign exchange earners in the country, a very good example of a good industry. The Adani Enterprises Limited have floated a wholly owned unit named Mundra Aluminium Limited which is in the process of taking over NALCO through backdoor entry. There is a lot of discontent among the people in this regard and there are a lot of agitations happening on the ground. I would like to request the Minister of Mines, Shri Pralhad Joshi is here, to stop the disinvestment process. As NALCO is a profitable Navratna CPSU and a wholly-owned Government company, this should be stopped. Thank you.

SHRI JAYADEV GALLA (GUNTUR): Sir, the Swatantrata Sainik Samman Yojana has immensely benefited families of freedom fighters who are old and dependent on this pension for their livelihood. Due to bureaucratic apathy and the enormous delays in payment of pensions, several cases in various courts have been filed.

I wish to give example of one such case from my own Guntur District of Andhra Pradesh. Her name is Shrimati Pavuluri Mangamma, a 90-year-old widow. Her husband, the late Shri Pavuluri Sivaramakrishnaiah, who was drawing pension under the scheme passed away on 4th May, 2021. She had submitted all the necessary documents approved by the District Collector for family pension. After several delays and obfuscation in the procedure to obtain

the amount, the pension was credited to her bank account. However, citing reasons that the original PPO, original pension letter, and marriage certificate have not been submitted, the amount so credited was reversed. Despite immediate submission of these documents by her, her pension has not been restored. Adding misery to the situation, the poor woman's CGHS card can be renewed only if new family pension FPO number is allotted.

Her deteriorating health condition requires immediate healthcare and medical support. Further delaying the issue may have an adverse impact on the life of Shrimati Mangamma. I would urge the hon. Home Minister to intervene in the matter personally and ensure timely payment of the family pension to Shrimati Pavaluri Mangamma.

Also, Sir, today being the Telugu Desam Party formation day - we completed forty years today - I once again request the Government to confer the Bharat Ratna on our founder, Nandamuri Taraka Rama Rao garu the legendary N.T. Rama Rao. Thank you.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BATHINDA): Sir, as per the Punjab Reorganisation Act of 1966 when the United Punjab was divided, Chandigarh was the temporary common capital of Punjab and Haryana. As per this Act, all employees at the ratio of 60 per cent from Punjab and 40 per cent from Haryana only were to be recruited for Chandigarh; there is no provision for any other cadre to be recruited here. Rajiv-Longowal Accord also assured that in 1986 Chandigarh would be transferred to Punjab. It is our capital. However, unilaterally, successive governments ने लगातार हमारे क्लेम को डायलूट करने के लिए

अब जैसे यह सेंट्रल सर्विस रूल अप्लाई कर दिया गया है, जहां बाकी यूनियन टैरिटरिज की तरह इस यूटी में भी, चंडीगढ़ में भी दूसरे एम्पलॉइज जा सकते हैं। हालांकि यह हमारे एकाॅर्ड के, एक्ट के बिल्कुल विरुद्ध है। इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है कि चंडीगढ़ और हरियाणा के एम्पलॉइज के बिना और कहीं से कोई आ सकता है। यह हमारे हक पर, हमारी कैपिटल सिटी हमसे लेने का एक डाका है। इसी तरह बीबीएम – भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में, जहां 56 साल से हमारा मेंबर, पॉवर रहा है, जो हमारे पानी की रक्षा करते हैं, उनको डैम सेफ्टी बिल से सेंट्रल कंट्रोल में लाने के लिए, हमारे मेंबर को 56 साल के बाद निकाल दिया गया है।

सर, लगातार हमारा क्लेम, जो हमारा कैपिटल है, यह पंजाबियों के लिए इमोशनल इश्यु है। चंडीगढ़ हमारा है, हमें इसका वादा किया गया था। अब हमारा पानी हो या हमारी कैपिटल हो, हमारे एम्पलॉयीज़, डॉक्टर्स, टीचर्स सबको वहां से निकाल कर, हमारी माँ-बोली पर, इन सब पर हमारा क्लेम घटाया जा रहा है। यह फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है और फेडरल सिस्टम का वॉयलेशन है।

मैं आपके थ्रू सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस एक्ट को जो पार्लियामेंट से रेटिफाई हुआ था, लोंगोवाल-राजीव अकाॅर्ड, जो पार्लियामेंट से रेटिफाई हुआ था, आप इसका पूरा हक दिलवाइए और चंडीगढ़ को जल्द से जल्द पंजाब ट्रांसफर कराइए और हमारा कैपिटल हमें दीजिए।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय सभापति जी, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ, जो मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित है।

महोदय, यद्यपि, किसानों की फसल बहुत सारे कारणों से बर्बाद होती है, लेकिन हाल के दिनों में मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों में नीलगायों और हाथियों का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि उन क्षेत्रों के किसानों ने फसल लगाना बंद कर दिया है। फसल न लगाने के चलते उन फसलों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और किसानों के जो खेत हैं, वे भी बर्बाद होते जा रहे हैं।

महोदय, इसके साथ-साथ हाथियों का प्रकोप भी इतना बढ़ गया है कि वे फसलों को रौंद रहे हैं, मकानों को गिरा रहे हैं और यहां तक कि लोगों को पटक-पटक कर उनकी जान भी ले रहे हैं।

दुर्भाग्यवश, इस दिशा में वन विभाग के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, सिवाए कि कभी-कभी यह प्रयत्न किया जाता है कि उन हाथियों और नीलगायों को भगाया जाए।

महोदय, यह केवल मेरे ही संसदीय क्षेत्र का मामला नहीं है, बल्कि देश के बहुत सारे राज्यों में लोग नीलगायों और हाथियों के प्रकोप से आक्रान्त हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि केन्द्र सरकार इस दिशा में इस समस्या का स्थायी समाधान ढूँढने का प्रयत्न करे। इसके साथ ही साथ प्रत्येक मामले में नष्ट हुई फसलों और बर्बाद हुए मकानों की क्षति का आकलन कराकर क्षतिपूर्ति देने का काम किया जाए।

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (सम्भल): मोहतरम चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि मैंने अपने हलके सम्भल के रेलवे का एक जरूरी मामला 14.12.2021 को लोक सभा में जीरो आवर के दौरान उठाया था। मैंने मांग की थी कि सम्भल से गजरौला, वाया हसनपुर, और जरगांव से सिरसी तक नई रेल लाइन बनाई जाए। लेकिन, सरकार का तहरीरी जवाब आया कि सन् 2016 में इसका सर्वे कराया गया था, लेकिन यह योजना गैर अर्थश्रम होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाई। लिहाज़ा, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार हर काम अपने फायदे के लिए ही करती है और क्या आम जनता की सहूलियत के लिए कोई काम नहीं करती?

सरकार सम्भल से भी टैक्स वसूल करती है। सम्भल एक जिला है और मेंथॉल ऑयल की एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जिसकी तरक्की के लिए रेलवे लाइन बनना बहुत जरूरी है।

सम्भल मुस्लिम अक़लियती अक़सरियत का एक जिला है। इसके बावजूद भी सरकार क्यों सम्भल जिले का विकास करना नहीं चाहती है? मैं सरकार से गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि सम्भल की जनता के साथ इंसाफ किया जाए और दूसरे जिलों की तरह सम्भल में भी रेलवे लाइन का विकास कराया जाए, ताकि पूरे इलाके की तरक्की हो सके। शुक्रिया।

ڈاکٹر شفیق الرحمن برق (سنہل) : محترم اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعہ سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے حلقہ سنہل کے ریلوے کا ایک

ضروری معاملہ 14.12.2021 کو لوک سبھا میں زیرو آور کے دوران اُٹھایا تھا اور میں نے مانگ کی تھی کہ سنبھل سے گجرو لہ وایا حسن پور اور جر گاؤں سے سرسی تک نئی ریل بنائی جائے لیکن سرکار کا تحریری جواب آیا کہ 2016 میں سروے کیا گیا تھا لیکن پریوجنا غیر ارتھ شرم ہونے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پائی۔

لہذا میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا سرکار ہر کام اپنے فائدہ کے لئے ہی کرتی ہے، عام جنتا کی سہولت کے لئے کوئی کام نہیں کرتی؟ سرکار سنبھل سے بھی ٹیکس وصول کرتی ہے۔ سنبھل ایک ضلع ہے اور ایشیا کی سب سے بڑی مینٹھا آئل منڈی ہے، جس کی ترقی کے لئے ریلوے لائن بننا بہت ضروری ہے۔

سنبھل مسلم اقلیتی اکثریت کا ضلع ہے، اس کے باوجود کیوں سرکار سنبھل ضلع کا وکاس کرانا نہیں چاہتی۔ میں سرکار سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سنبھل کی عوام کے ساتھ انصاف کیا جائے اور دوسرے ضلعوں کی طرح سنبھل میں بھی ریلوے لائن کا وکاس کیا جائے تاکہ پورے علاقے کی ترقی ہو سکے۔

شکریہ

श्री संजय जाधव (परभणी): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय को सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। किसान अपनी फसल लगाते समय किसान फसल बीमा योजना के लिए दिन भर लाइन लगाकर, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसके लिए आवेदन करता है, लेकिन जब फसल बीमा योजना की राशि को उसे देने का समय आता है तो उसे फसल बीमा की राशि की शिकायत दर्ज करने के लिए समय दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूंगा कि फसल बीमा योजना का पूरा रिकॉर्ड आपके पास होता है। आपके पास पूरा रिकॉर्ड होने के बावजूद भी जब उसे फसल बीमा योजना के पैसे को देने का समय आता है तो आप

उसे ऑनलाइन, ऑफलाइन एप्लीकेशन करने की मांग करते हैं। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसे 72 घंटे का समय दिया जाता है। इस 72 घंटे में कहीं इन्टरनेट का कनेक्शन होता है, कहीं नहीं होता है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट है कि जब किसानों ने आपके पास फसल बीमा योजना में एप्लाइ किया है तो मुआवजा देते समय उससे पूछने की जरूरत नहीं है और उसे जल्दी दिया जाए।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान भारत सरकार द्वारा घोषित मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में दिलाना चाहता हूँ। भीलवाड़ा, जो मेरा लोक सभा क्षेत्र है, वह टेक्सटाइल के मामले में देश में अग्रणी है, परन्तु मेगा टेक्सटाइल पार्क के नियम के हिसाब से राजस्थान सरकार जहाँ के लिए रिक्मेंड करेगी, वहाँ वह पार्क लगाया जाएगा। राजस्थान की सरकार ने भीलवाड़ा की जगह किसी दूसरे स्थान को रिक्मेंड कर दिया है। मेरा आपके माध्यम से टेक्सटाइल मंत्री जी से आग्रह है कि राजस्थान सरकार को निर्देश दिया जाए कि भीलवाड़ा में दूसरी मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए अपना प्रस्ताव भेजे, ताकि उस पर यहाँ कार्रवाई हो सके। यह बहुत ही जरूरी है।

श्रीमती वीणा देवी (वैशाली): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वैशाली संसदीय क्षेत्र अंतर्गत मीनापुर प्रखंड के कई गाँवों में बुढ़ी गंडक नदी के कटाव के कारण, प्रत्येक वर्ष सैकड़ों परिवारों को आर्थिक क्षति पहुँच रही है और इससे उन्हें विस्थापित होना पड़ता है।

महोदय, अंत में, मेरा आपसे आग्रह है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। वैशाली लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रत्येक गाँव बाढ़ग्रसित है। आपसे आग्रह है कि वहाँ बाँध बना कर लोगों को सुरक्षित किया जाए। उस एरिया में बाँध बनने से आम जनमानस को आर्थिक क्षति और विस्थापित होने जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुनील कुमार मंडल (वर्धमान पूर्व): चेयरमैन सर, बहुत-बहुत बधाई। मेरा कांस्टीट्यूंसी वेस्ट बंगाल में वर्धमान पूर्व है। वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल टूरिज्म सेन्टर है। हमारे यहाँ गंगा के पास नवदीप

में महाप्रभु चैतन्य जी का जन्म स्थल है। जो नवदीप क्षेत्र है, उसके साथ गंगा नदी है और गंगा नदी के किनारे मेरी कांस्टीट्यूंसी है। वहाँ बहुत से राइटर्स हैं और पोएट्स का जन्मस्थल है। विप्लवी रासबिहारी बोस का जन्म स्थान है।... (व्यवधान) मैंने नदी के किनारे की बात बोला।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : दादा, सभी अपने ही हैं। यह ठीक है कि कांस्टीट्यूंसी उनकी है।

... (व्यवधान)

श्री सुनील कुमार मंडल : हमारे कांस्टीट्यूंसी के किनारे नवदीप है। आपको मालूम है कि नवदीप का आधा हिस्सा मेरे क्षेत्र में है।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मंडल साहब, प्लीज़ आप बोलिए।

श्री सुनील कुमार मंडल : उधर रासबिहारी जी का जन्मस्थान भी है। टूरिज्म मिनिस्टर के पास हमारा रिक्वेस्ट है। वहाँ टूरिज्म केन्द्र बनाने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्रयास करे तो बहुत अच्छा टूरिज्म केन्द्र बन सकता है। वहाँ 108 शिव-पार्वती मंदिर हैं, पशुपति मंदिर है। हमारे कांस्टीट्यूंसी में बहुत कुछ है। वहाँ टूरिज्म केन्द्र बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए, वह सब हमारे पास है। आपके मिनिस्टर के पास हमारा रिक्वेस्ट है। इस बारे में आप हमें थोड़ा मदद कीजिए।

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): सभापति जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय नितिन गडकरी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद व अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा भारत विकास की तेज गति के कारण बदल रहा है। हम लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय नितिन गडकरी जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। पिछली सरकार में नेशनल हाइवेज की सड़कें रोजाना आठ किलोमीटर से ज्यादा नहीं बनती थीं, लेकिन आज हमारे मोदी जी और गडकरी जी के नेतृत्व में रोजाना 38 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाइवेज की सड़कें बन रही हैं। इसके साथ ही, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र अमरेली डिस्ट्रिक्ट में सोमनाथ-भावनगर नेशनल हाइवे का काम चल रहा है। माननीय मंत्री नितिन गडकरी साहब ने वर्ष 2015 में उसका भूमि पूजन किया था और वर्ष 2018

में उसका काम पूरा होने वाला था। लेकिन, आज तक वहाँ धीमी गति से काम चल रहा है। यदि इसी गति से काम चलेगा तो वर्ष 2022 के अंत में भी यह काम पूरा नहीं होगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस काम को थोड़ा तेज गति से किया जाए, ताकि वहाँ की जनता को इसका लाभ मिले।

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, in my constituency one pineapple farmer has committed suicide. It is a very painful incident. The bank authorities have started the attachment proceedings and are harassing the farmers.

So, it should be stopped immediately. The Government should intervene in this case specifically. In my constituency alone, more than ten thousand notices have been issued by all the banks. So, I urge upon the Government to intervene in this case specifically. The interest and penal interest on the loans should be waived off.

Now, I come to education loan holders. Due to unemployment – both internationally and domestically – people are facing a similar situation. The interest should be waived off and all the loans should be rescheduled and restructured to increase the repayment period.

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सदन के बीच में रखना चाहता हूँ। प्राकृतिक खेती का उत्पादन आज के दिन में दुनिया की आवश्यकता हो गई है। प्राकृतिक खेती करने का दुनिया का केंद्र भारत हो सकता है। प्रकृति ने जितना भारत को दिया है, उतना किसी देश को नहीं दिया है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान भी किया है। कृषि राज्य सरकार का भी विषय है। मेरा निवेदन है कि प्राकृतिक खेती के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करने की जरूरत है कि हर विकास खंड पर गोबर की खरीद हो और प्राकृतिक खेती के उत्पादन का क्रय केंद्र भी खुले। इससे किसानों को इसकी लाभकारी कीमत भी

मिलेगी और गोबर की खरीद से आज के दिन छुट्टा और लावारिस पशुओं के द्वारा जो फसलों के नुकसान होने की समस्या बनी हुई है, वह भी समाप्त हो जाएगी। किसानों को गोबर से लाभ भी होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देशित करे। मैं यह निवेदन करता हूँ।

SHRIMATI SAJDA AHMED (ULUBERIA): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me the opportunity to speak.

The COVID pandemic has taught us an additional feature, that is, the use of digital technology in the education system. To some extent, we have developed digital education. But still, the household disparity in accessing digital world and internet, is a huge challenge. The Government has been proclaiming digital schemes for other sectors but in the education sector, digital initiatives are being overlooked.

Protecting the digital infrastructure and investing in the digital infrastructure in education are vital for economic growth and for reducing income inequality. Thus, to gain the benefits of demographic dividend, proper investment in building digital infrastructure in the field of education is the need of the hour.

I urge upon the Government to build up the digital sub-structure keeping in mind the future challenges in education, particularly in the rural areas.

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): सभापति महोदय, धन्यवाद। आज मैं आपके माध्यम से एक ऐसा विषय उठाने जा रहा हूँ, जो न तो किसी क्षेत्र या प्रदेश से संबंधित है और न ही केवल मेरे इलाके से इस विषय का संबंध है, यह विषय पूरे देश के लिए है। हमारी सरकार नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए, नारी शक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है। हमारी सरकार और हमारी पार्टी ने इसके लिए बहुत सारे कदम उठाए भी हैं।

मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहता हूँ कि देश में करोड़ों ऐसी महिलायें हैं, जो घरेलू महिलायें हैं, हाउस वाइफ हैं, अपना घरेलू काम करने के बाद उनके पास कोई काम नहीं होता है। हालांकि, वे निर्धन परिवार से आती हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार कोई योजना लाए, तो इसका बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : संक्षेप में कहिए।

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदय, मैं कोई पढ़कर नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

माननीय सभापति: आप संक्षेप में बोलिए।

श्री सुशील कुमार सिंह : महोदय, मैं संक्षेप में बोल रहा हूँ। अगर सरकार सौर ऊर्जा संचालित घरेलू चरखा हर परिवार की महिला को दे, जो उसे लेना चाहती है, तो वह अपना घरेलू कामकाज करते-करते, खाना बनाते, बाकी सफाई का काम करते-करते इस काम को कर सकती है। वह सूत कातेगी और उसकी खरीद की व्यवस्था होगी, तो वह महिला स्वावलंबी होगी। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था इससे मजबूत होगी। ... (व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Thank you very much Mr. Chairperson, Sir.

Mr. Chairperson, on the 15th March, the hon. Defence Minister gave a statement in this House with regard to an inadvertent missile launch which landed in Mian Channu in Pakistan. The Defence Minister was being responsible on a sensitive issue. I have no quibble with his statement.

However, facts which have emerged in the public space suggests that Pakistan had actually prepared a retaliatory strike when the missile entered their territory.

Number two, the trajectory of the missile had a large number of civilian aircrafts in its vicinity and there could have been an unintended catastrophe.

Mr. Chairperson, Sir, we were lucky on that particular day. Through you, I would like to urge upon the Government that this is an extremely sensitive issue, and they have constituted a Code of Inquiry, but there is a strong case for an institutionalized dialogue with Pakistan on nuclear issues. That is what I wanted to urge the Government through you, Mr. Chairperson.

श्री बसंत कुमार पंडा (कालाहाण्डी): सभापति महोदय, आपने मुझे इस सत्र में शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मेरा लोक सभा क्षेत्र कालाहाण्डी है, जिसमें दो जिले कालाहाण्डी और नौपाड़ा आता हैं। मोदी जी के आशीर्वाद से दोनों आकांक्षी जिले हैं। कोरोना महामारी के दौरान कई ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिया गया था, जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मेरा माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि एक्सप्रेस ट्रेन नरला रोड, रूपरा रोड, लांजीगढ़ रेलवे स्टेशनों पर पहले रुकती थी, उसे वहां पुनः रोकने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ-साथ नौपाड़ा रेल स्टेशन जोकि जिला मुख्यालय है, वहां भी एक्सप्रेस ट्रेन को रोकने की व्यवस्था की जाए। काटाबांड़ी से नवरंगपुर जाने के लिए जो ट्रेन लाइन की व्यवस्था है।

DR. M P ABDUSSAMAD SAMADANI (MALAPPURAM): Sir, I hereby draw the attention of the Government to a serious problem faced by our passengers visiting the country from UAE and Kuwait. Due to the compulsory regulation for the requirement of a RTPCR Report within 72 hours of their travel, all the passengers are facing problems. All the countries have exempted this regulation.

Now, it is being made applicable for the passengers who are coming only from UAE and Kuwait and especially, our expatriates are suffering seriously due to this compulsory regulation.

On the other hand, both the Governments and authorities of UAE and Kuwait have withdrawn this condition for the passengers who travel from India to those countries. There is no need for RTPCR test. Even after that, we are compelling all the passengers including our expatriates and our Indians who are working abroad to undergo a test.

So many people are engaged in their work abroad. They are suffering. So, I would like to urge upon the Government to urgently withdraw this regulation and help the passengers especially the expatriates. Thank you, Sir

श्री नायब सिंह सैनी (कुरुक्षेत्र): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की एक लोकहित की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। सहारनपुर से अम्बाला के बीच पड़ने वाले छोटे स्टेशनों से काम करने के लिए आने-जाने वाले यात्रियों की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। यहां से हर रोज हजारों लोग अपने काम और पढ़ाई के लिए जाते हैं, जिसमें मजदूर, विद्यार्थी और दफ्तरों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। रेलवे इन सभी वर्गों के लिए जीवन रेखा रही है। कोरोना ने इस वर्ग को ही नहीं अपितु पूरे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इन लोगों को हर रोज अपने काम पर आने-जाने के लिए बाइक और निजी वाहनों का इस्तमाल करना पड़ता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ की सहारनपुर से अम्बाला के बीच कुछ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं जोकि केवल जगाधरी और बराड़ा स्टेशनों पर ही रुकती हैं, छोटे स्टेशनों पर ये ट्रेने नहीं रुकती हैं। इसमें ट्रेन संख्या 64501,64511, 54541,54539,64513,64561,64562,54304, 54502,04532,54540, 54542,64512,

64504 है। इन ट्रेनों को अम्बाला से सहारनपुर के बीच में पड़ने वाले छोटे स्टेशनों पर रुकवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय सभापति : आप रेल मंत्री जी से मिल लीजिए।

13.00hrs

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल): महोदय, पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर मंडल के सहरसा से आसनपुर कुपहा तक सवारी गाड़ी चलती है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किया गया था। आसनपुर कुपहा से निर्मली तथा निर्मली से झंझारपुर तक आमामान परिवर्तन का काम पूरा हो चुका है और सीआरएस का इंस्पेक्शन भी हो चुका है।

मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से निवेदन करता हूँ कि आसनपुर कुपहा से निर्मली तथा निर्मली से दरभंगा तक गाड़ी का परिचालन शीघ्र किया जाए ताकि वहां की जनता को इसका लाभ मिल सके।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र): माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

दुर्भाग्यवश पिछले दो सालों से कोरोना महामारी की वजह से देश में बहुत कुछ प्रभावित हुआ है। रक्षा मंत्रालय द्वारा हर साल सेना की बहाली बंद पड़ी है। एक लाख रिक्तियां देश के विभिन्न राज्यों में हैं। देश की सेवा करने वालों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, खास कर मेरे प्रदेश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

... (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : माननीय सभापति जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। ... (व्यवधान) मैं कह रहा हूँ कि रिक्तियां भी हैं और जरूरत भी है। देश की सेवा के लिए लोग तैयार हैं। इससे देश की बेरोजगारी दूर होगी। बिहार जैसे प्रदेश में जहां केवल निर्भरता नौकरी पर है, सेना में बहाली न होने के कारण लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार, माननीय प्रधान मंत्री और माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि यथाशीघ्र सेना में बहाली की जाए।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Hon. Chairperson, Sir, the increasing threshold of temperature in the State of Kerala due to effects of climate change and other factors is causing a very dangerous situation. Waterways, rivers, tributaries and canals are drying up and the ground water levels are depleting rapidly. Water scarcity is causing people to buy canned water at prohibitive rates and the Government's flagship programme of delivering tap water under the Jal Jivan Mission is not yielding desired results.

This scenario is causing a crisis with manifold consequences and an urgent intervention is required from the Central Government to augment capacity for water resources and for devising a comprehensive plan for re-charging of the ground water levels to meet future shortages.

In my parliamentary constituency also people, particularly in Kuttanad, are facing a crisis and there is a serious drinking water shortage. I would like to request the hon. Minister of Jal Shakti to take necessary steps to come out with a solution to this problem.

**LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE
ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shri Pradeep Kumar Singh Shri Bholanath 'B.P. Saroj' Shri Jugal Kishore Sharma Dr. Heena Vijaykumar Gavit Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Satyadev Pachauri Dr. Sujay Vikhe Patil Shri Saumitra Khan Shri Suresh Pujari Shri Virendra Singh Shri Sushil Kumar Singh Shri Nayab Singh Saini Shri Dileshwar Kamait Shri Ram Kripal Yadav Shri Naranbhai Kachhadiya Shri Subhash Chandra Baheria	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Rama Devi	Shri Gopal Shetty Shri Ram Kripal Yadav Shri Sunil Kumar Pintu Dr. Alok Kumar Suman Shri Sushil Kumar Singh Shri Subhash Chandra Baheria Shri Sudhakar Tukaram Shrangare Kunwar Pushpendra Singh Chandel

माननीय सभापति : सभा दो बजे तक के लिए स्थगित होती है।

13.04 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.05 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Five Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri P.V. Midhun Reddy in the Chair)

MATTERS UNDER RULE 377

HON. CHAIRPERSON: Now, matters under Rule 377.

(i) Regarding benefit of reservation to people converted to Christianity and Islam

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : महोदय, भारत देश में आदिकाल से वनवासी बंधुओं का हमारी संस्कृति के संरक्षण, वनों के विकास एवं सुरक्षा तथा कालान्तर में स्वराज की स्थापना में भी योगदान रहा है। स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी एवं संविधान सभा ने संविधान में उनके अधिकारों के संरक्षण तथा बराबरी के लिए सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत वनवासी जातियों को सूचीबद्ध कर आरक्षण की व्यवस्था की, परन्तु यह ध्यान में आया कि इसका लाभ बड़े पैमाने पर उनको मिल रहा है, जो धर्मान्तरण कर ईसाई अथवा मुसलमान बन गए। मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ऐसे परिवारों को आरक्षण से वंचित किया जाए, क्योंकि इन्हें धर्मान्तरण करने से अल्पसंख्यकों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी मिल रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि अनुसूचित जनजाति के बन्धुओं को आरक्षण का पूरा लाभ मिले। इसके लिए आवश्यक है कि धर्म परिवर्तन कर ईसाई अथवा इस्लाम धर्म स्वीकार कर चुके और इसके कारण से जनजाति समाज का हिस्सा नहीं रहे परिवारों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाए।

(ii) Regarding ESI benefits to LIC agents

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The LIC Agents are the backbone of the LIC. But the LIC is not ensuring the welfare of LIC agents. LIC agents are giving whole-hearted support to the organization. The recent policies adopted by the Government are adversely affecting the work of LIC agents. Now the LIC agents are facing various problems. The main issue is the lack of fund for their treatment. Their demand for extending the ESI facility to them has not been considered till this date. The LIC agents are one of the most eligible categories of people entitled for the ESI scheme as per the existing norms. But the authorities are not initiating steps to extend the ESI benefits to the LIC agents. Their repeated demand for ESI benefit is still pending. Hence, I urge upon the Government to initiate urgent action for extend the ESI benefit to the LIC agents.

HON. CHAIRPERSON: Shri Jayant Sinha.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Nitesh Ganga Deb.

**(iii) Regarding setting up of a Medical Equipment
Park at Sambalpur, Odisha**

SHRI NITESH GANGA DEB (SAMBALPUR): Sambalpur, my parliamentary constituency, is located in the Western region of the state. It is known as the Commercial & Industrial hub of western Odisha. It is well connected by air, rail & road and transporting goods in bulk quantities to other parts of the State. I urge the Central Government to set up a Medical Equipment Park at Sambalpur during the financial year 2022-23.

HON. CHAIRPERSON: Shri Subrata Pathak – Not present.

(iv) Need to develop historical places in Ganganagar Parliamentary Constituency, Rajasthan as tourist destinations

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर) : महोदय, हमारा देश विविधताओं का देश है और पूरी दुनिया में अपने समृद्ध इतिहास, संस्कृति और धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया में लगभग सभी जगहों से पर्यटक यहां भ्रमण के लिए आते हैं। देश में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए हमें नए पर्यटन स्थल विकसित करने पर भी विचार करना चाहिए।

जिला हनुमानगढ़ में मोहनजोदड़ो की सभ्यता का प्राचीन गांव कालीबंगा और भटनेर दुर्ग है, जो कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में वर्ष 2003 में 9 फीट के कंकाल और अन्य पुरातत्व वस्तुएं खोजी गईं, साथ ही भटनेर दुर्ग बहुत ही प्राचीन दुर्ग है, यहां पर पर्यटन के उचित विकास नहीं होने के कारण यह क्षेत्र अभी पर्यटन की दृष्टि से अविकसित है।

भारत पाक सीमा पर श्रीगंगानगर जिले में स्थित ग्राम नग्गी, ग्राम लखाहाकम व ग्राम हिन्दूमलकोट में कई वीर शहीदों के स्मारक हैं। जहां पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा सभाएं और देशभक्ति के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इनको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है।

मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के इन ऐतिहासिक स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किया जाए, ताकि पर्यटन के साथ-साथ इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी।

(v) **Regarding COVID-19 Vaccination of children
of 15-18 years age group**

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): महोदय, देश भर में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोर-किशोरियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान 3 जनवरी से शुरू हो गया है। टीकाकरण का उद्देश्य किशोर-किशोरियों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाना है। 15 से 18 वर्ष आयुवर्ग के शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत किशोर-किशोरियों को तो यह वैक्सीन लग रही है, लेकिन इस आयु वर्ग का एक तबका ऐसा भी है जो शैक्षणिक संस्थाओं में नहीं जाता है। देखने में आ रहा है कि यह तबका वैक्सीन लगवाने के प्रति रूचि नहीं दिखा रहा है। सरकार इनको वैक्सीन लगवाने के लिए, उत्साहित करने के लिये क्या कदम उठा रही है? जिससे सरकार को इस आयु वर्ग को वैक्सीन लगवाने के लिए तय किए गए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में सफलता प्राप्त हो सके।

HON. CHAIRPERSON: Shri Dipsinh Shankarsinh Rathod – Not present.

(vi) Need to provide funds for construction of new class rooms in schools under Samagra Shiksha Abhiyan in Ajmer Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): मान्यवर, राष्ट्रीय समग्र शिक्षा अभियान जो कि पूर्व में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के नाम से संचालित था, एक केन्द्र प्रवृत्ति योजना है, जिसमें केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का हिस्सा 60/40 है। लेकिन गत 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण के चलते उक्त योजना में बजट आवंटन कम होने के साथ-साथ राजस्थान सरकार द्वारा नवीन विद्यालयों की स्थापना एवं नवक्रमोन्नत विद्यालयों की संख्या ज्यादा होने से राजस्थान प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था का भौतिक ढांचा डगमगा सा गया है तो दूसरी ओर गत 2 वर्षों में कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों से कथित जबरन फीस वसूली और विवादों के बीच आमजन की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से सरकारी स्कूलों में लगभग 20 से 25 प्रतिशत नामांकन भी बढ़ा है। लेकिन प्रदेश के उक्त सभी सरकारी विद्यालयों में बैठने के लिए समुचित कमरों एवं अन्य भौतिक सुविधाओं का अभाव होने से बच्चे एवं अभिभावक परेशान हो रहे हैं। कई विद्यालयों में मजबूरीवश बच्चों को खुले स्थान पर तो कई विद्यालयों में बरामदे में बैठकर पढाई करनी पड़ रही है। अतः अजमेर संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों के विभिन्न स्तरीय विद्यालयों के अन्तर्गत राष्ट्रीय समग्र शिक्षा अभियान के तहत लगभग 500 अतिरिक्त नवीन कक्षाओं हेतु आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में आवश्यक बजट आवंटन करावें, साथ ही जिस प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें भी केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का हिस्सा 60/40 है, की भांति इनका लोकार्पण एवं शिलान्यास संबंधित संसदीय क्षेत्र के सांसद द्वारा कराया जाता है। उसी भांति योजनान्तर्गत निर्मित विद्यालयी कक्षा-कक्षाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास हेतु संबंधित संसदीय क्षेत्र के सांसद के अनुमोदन एवं स्वीकृति को प्राथमिकता प्रदान कराने के सक्षम विभागीय आदेश जारी करावें, ताकि केन्द्र सरकार की उक्त जन कल्याणकारी योजना का जनहित में ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार हो सके।

(vii) Need to construct an RoB at Level crossing no. B/159 in Banaskantha Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री परबतभाई सवाभाई पटेल (बनासकांठा): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा (गुजरात) अंतर्गत LC no. B/159 भीलडी-समदडी सेक्शन रेलवे लाइन पर स्थित है। साथ ही यहाँ से गुजरात राज्य का हाईवे नंबर-54 जो कि फोर लेन है, और डीसा तथा थराद के बीच स्थित है, इसी LC no. B/159 से क्रॉस करता है। ज्ञात हो कि यह राज्य की सड़क तीन तालुका जो मेरे संसदीय क्षेत्र बनासकांठा के अंतर्गत ही आते हैं, से गुजरती है। यहाँ पर आबादी घनी होने के कारण और ट्रैफिक भी अधिक होने के कारण हम रेलवे से ROB के निर्माण की मांग करते आये हैं। गुजरात सरकार ने ROB के निर्माण के लिए 50% राशि की स्वीकृति भी दे दी है, परन्तु रेलवे की तरफ से अब तक इस ROB के निर्माण के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

इसलिए आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह आग्रह है कि रेलवे इस ROB के निर्माण के लिए त्वरित कार्यवाही करे व इस कार्य को शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण किया जाये जिससे कि मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों को इसका लाभ मिल सके।

(viii) Need to set up a processing unit at Gumla District, Jharkhand for production of oil from Sal and Mahua Seeds

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): महोदय, जैसा कि आपको विदित है, मैं झारखण्ड राज्य की लोहरदगा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। यह पूरा क्षेत्र वन सम्पदा से सुसंपन्न है। मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र के गुमला जिले एवं आसपास के राज्यों ओडिशा और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में बहुतायत में पाए जाने वाले साल (शाल) एवं महुआ के वृक्षों के सुदुपयोग के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूँ। सामान्यतः हम खाद्य तेल के रूप में उत्तर क्षेत्र में सरसों तेल एवं दक्षिण में नारियल तेल पर निर्भर हैं। सरसों का तेल थोड़ा महंगा भी हुआ है, बहुत से घरों में पाम ऑयल भी प्रयोग किया जा रहा है, रिफाइन्ड ऑयल का भी प्रयोग किया जाता है। मेरे संसदीय क्षेत्र सहित आसपास के जिलों में प्रचुर मात्रा में साल (शाल) बीज एवं महुआ बीज से खाद्य तेल, इसका एक अच्छा, स्वास्थ्यवर्धक और सस्ता विकल्प हो सकता है। माननीय सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र सहित आसपास के बड़े क्षेत्र में साल (शाल) के बीजों से निकलने वाले तेल का प्रसंस्करण कर खाद्य तेल के रूप में प्रयोग हेतु उत्पादन किया जा सकता है। साल (शाल) बीज के रूप में हमारे पूरे क्षेत्र में वनोत्पाद की उपज होती है, जिसका कोई संग्रहण नहीं किया जाता है व इसकी कोई व्यवस्थित प्रसंस्करण व्यवस्था नहीं है, यही महुआ के वृक्ष का मामला है। महुआ के बीज से भी उत्तम प्रकार का खाद्य तेल निकलता है। अतः इन दोनों उत्पादों के संबंध में कोई प्रसंस्करण उद्योग गुमला में स्थापित किए जाने से इन वनोत्पादों से खाद्य तेल निर्मित किए जा सकते हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि झारखण्ड के गुमला में साल (शाल) बीज एवं महुआ बीज से खाद्य तेल बनाने का बड़ा प्रसंस्करण उद्योग (इकाई) स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। अतः सरकार गुमला जिले में इन दोनों - साल (शाल) एवं महुआ बीज से खाद्य तेल निकालने वाला एक बड़ा कारखाना स्थापित करे, जिससे स्थानीय लोगों का भी आर्थिक संवर्धन होगा एवं इस वनोत्पाद का भी सदुपयोग बड़े पैमाने पर हो सकेगा। आशा है कि जनहित में सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी।

(ix) Need to improve healthcare facilities in Jharkhand

श्री जयंत सिन्हा (हजारीबाग): सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान झारखण्ड की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूँ। कोविड-19 महामारी से झारखण्ड के स्वास्थ्य ढांचे की असंख्या कमियां उजागर हुई हैं। वर्ष 2019 की रूरल हेल्थ स्टेटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण और शहरी सार्वजनिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डाक्टरों के औसतन 50 प्रतिशत से अधिक स्थान रिक्त थे। वहीं जिला और उप-जिला अस्पतालों में 48 प्रतिशत स्थान रिक्त हैं। साथ ही, नर्सिंग स्टाफ के कुल 59 प्रतिशत स्थान रिक्त हैं।

कुल पंजीकृत डॉक्टरों के मामले में झारखण्ड 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे नीचे के आठ नामों में से एक है। वर्तमान में यहां 8,000 से अधिक लोगों के लिए एक डॉक्टर है, जबकि डब्ल्यूएचओ का मानक प्रति हजार लोगों पर एक डॉक्टर का है।

महोदय, संविदा कर्मचारियों के लिए भर्ती अभियान के बावजूद, झारखण्ड सरकार डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों की भर्ती करने में विफल रही है। प्रोत्साहन की कमी, अनुचित नीतियों और खराब कामकाजी परिस्थितियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति विशेष रूप से खराब है। राज्य सरकार की विफलता के कारण हमारे लग कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत अधिक पीड़ित हुए हैं। मैं झारखण्ड सरकार से अपनी व्यवस्थाओं को तुरंत ठीक करने और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए मजबूत व सुविधायुक्त व्यवस्था बनाने की अपील करता हूँ।

HON. CHAIRPERSON: Shri Sanjay Ramchandra Patil – not present.

(x) Regarding rectification of software programme of PMAY Gramin

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे (लातूर): महोदय, प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में कतिपय तकनीकी खराबियों के कारण काफी समय से योजना के अधीन योग्य व्यक्तियों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुझे संबंधित अधिकारियों से पता लगा है कि साफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण बड़ी संख्या में योग्य दावेदारों के आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं। उदाहरण के लिए मेरे लातूर जिले में योजना के तहत 152079 आवेदनों में से कम्प्यूटर से बड़ी संख्या में पात्र व्यक्तियों अर्थात् 29276 अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकृत कर दिए हालांकि योजना के दिशा निर्देशों के तहत इनमें से अधिकांश अभ्यर्थी आवास के लिए सभी तरह की पात्रता रखते हैं। राज्य स्तर के अधिकारी साफ्टवेयर में हुई इस तकनीकी खराबी को ठीक करने में असमर्थ हैं। बड़ी संख्या में योग्य व पात्र अभ्यर्थियों के आवेदन अस्वीकार होने के कारण यहां आम जनता में भारी असंतोष पैदा हो गया है। अतः इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में तत्काल आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएं तथा साफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी को शीघ्रातिशीघ्र ठीक किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना के अधीन पात्र सभी उम्मीदवारों को प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।

(xi) Regarding benefit of reservation to OBCs in Delhi Judicial Services and Delhi Higher Judicial Services

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का एवं विशेषतः माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर केन्द्रित कराना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी यह पहले भी देखने में आया कि दिल्ली में मस्जिद के मौलवियों व मुजाह्दीन को वेतन है, परंतु मंदिर के पुजारियों को नहीं जबकि संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। इसी अनुच्छेद के अनुसार लोक सेवा नियुक्तियों में संपूर्ण देश में पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलने से समाज में उनका स्तर बढ़ता है। दिल्ली में 50 प्रतिशत ओबीसी लोग रहते हैं। हाल ही में Delhi Judicial Services और Delhi Higher Judicial Services में नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। Delhi Judicial Services में कुल 123 एवं Delhi Higher Judicial Services में कुल 45 रिक्तियों के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। देश में अन्य राज्यों में अनुच्छेद 16(4) के अनुसार ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। परंतु दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में उसका नोटिफिकेशन नहीं किया गया है, जहां कथित रूप से भेदभाव स्पष्ट नजर आ रहा है...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Only the approved text will go on record. आपने पहले जो लिख कर दिया है, वही पढ़ना है।

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, please address the Chair.

... (Interruptions)

श्री रमेश बिधूड़ी : मेरा आपके माध्यम से माननीय विधि एवं न्याय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह कृपया इस विषय पर कुछ प्रभावी कदम उठाएं जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदान किए गए समानता के अधिकार का पालन सुनिश्चित हो तथा दिल्ली Judicial Service में ओबीसी के 27

प्रतिशत आरक्षण को लागू करवाया जाए जिससे दिल्ली राजधानी में रह रहे अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को समाज में उनका स्तर बढ़ाने में उन्हें अवसर मिले।

माननीय सभापति: श्री अशोक कुमार रावत - उपस्थित नहीं।

(xii) Need to set up Agro-Processing and Research Centre in Rajgarh district, Madhya Pradesh

श्री रोडमल नागर (राजगढ़): मेरे लोक सभा क्षेत्र राजगढ़ एवं उसके आसपास के नजदीकी जिलों शाजापुर, आगर, गुना एवं अशोकनगर आदि जिलों में लगभग सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इन क्षेत्रों की 80 से 90 प्रतिशत जनता का जीवन निर्वाह कृषि पर ही निर्भर है। हमारे क्षेत्र राजगढ़ में चार राष्ट्रीय राजमार्ग, दो रेलवे लाइन जंक्शन हैं। इसके साथ ही, शासकीय जमीन उपलब्ध है, जहाँ बड़े बांध बनने के कारण 3.50 लाख हेक्टर जमीन नई सिंचित होंगी। राजगढ़ जिले में कई मध्यम एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं तथा कई पर कार्य चल रहे हैं, जिनसे क्षेत्र की कृषि सघनता बढ़ाने हेतु कृषि के माध्यम से युवा उद्यमी कृषक समूह निर्माण करने के लिए एक कृषि प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र खोले जाने की अति आवश्यकता है। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से भी अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। इसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकांक्षी जिलों में शामिल किया है, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और अधिक रोजगार मूलक बनाने हेतु पौधों की खेती एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा मिलना चाहिए।

अतः कृषक हित में क्षेत्रवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप राजगढ़ जिले में कृषि प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

(xiii) **Need to shift railway warehouse situated at Deoria Sadar railway station to Ahilyapur or Nunkhar**

डॉ. रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में रेलवे का देवरिया सदर रेलवे स्टेशन मेरे निर्वाचन क्षेत्र देवरिया के अंतर्गत स्थित है। देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे मण्डल वाराणसी के अंतर्गत आता है, जहाँ स्टेशन के पूर्वी छोर पर माल गोदाम स्थित है। पूर्व में जब माल गोदाम स्थापित हुआ, तब शहर की आबादी कम थी। आज वर्तमान में शहर का बहुत विस्तार हुआ और वह माल गोदाम घनी आबादी के बीच में आ गया, जिससे वहाँ पर भारी वाहन खड़े होते हैं तथा आते-जाते हैं। इससे वहाँ पर घंटों तक रास्ता जाम होता है एवं लोगों का आवागमन अवरुद्ध होता है, जिससे लोग आक्रोशित हैं। इसको स्थानान्तरित करने की बात समय-समय पर की गई है और अधिकारी व्यावहारिक रूप से सहमत भी हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई न करने के आर्थिक कारण बताते हैं।

मेरा सदन के माध्यम से आग्रह है कि इस माल गोदाम को अहिल्यापुर या नूनखार जो रेलवे का स्टॉपेज है, वहाँ पर स्थानान्तरित करने का कष्ट करें, जिससे जनभावनाओं का सम्मान हो और इस समस्या का समाधान हो सके।

**(xiv) Regarding development of a comprehensive plan
to combat climate change**

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): As per a recent report of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), India is likely to face extreme weather conditions due to climate change on almost all fronts including rising sea levels and groundwater scarcity in future. This may lead to a fall in crop production, besides a rise in health hazards. The report warns that our country will be one of the countries to be most economically harmed due to climate change. Climate change is impacting every part of India which is extremely worrying. As per the report, the heat and humidity is likely to pass limits of human survivability in India. Besides, huge fall in yield of wheat, pulses, coarse and cereals, fishery sector is also expected to be adversely affected, thus endangering food security.

The Government needs to take strong measures to spread awareness and fight against climate change in the country. The Government also needs to recognize the compounding nature of disasters such as cyclones coinciding with heatwaves and urban droughts and develop a comprehensive plan to combat climate change. There is also a need to aggressively push for support from developed countries to fight against the climate hazards being faced by our country.

(xv) Need to protect the interests of Adivasis of Chhattisgarh presently living in Andhra Pradesh and Telangana

श्री दीपक बैज (बस्तर) : माननीय चेयरमैन सर, बस्तर-दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सैकड़ों गाँवों से हजारों आदिवासी अपना घर और गाँव छोड़कर अपने सीमावर्ती प्रदेश आँध्र प्रदेश और तेलंगाना पलायन कर गए थे। लगभग 15-16 वर्ष पूर्व पलायन कर आँध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में बसे आदिवासियों को अब यहां की सरकारें अपने राज्यों से कथित रूप से जबरिया निकाल रही हैं, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। ये आदिवासी भय के साये में जीने के लिए विवश हैं। इन आदिवासियों को फिर पलायन हेतु बाध्य किया जा रहा है। उक्त परिस्थितियों को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने जिला प्रशासन की टीम गठित की है। मेरी मांग है कि केंद्र सरकार उक्त आदिवासियों के पुनर्वास हेतु 2019-20 के मिज़ोरम से त्रिपुरा गए ब्रू आदिवासियों के पुनर्वास की तरह नीति बनाए और जो आदिवासी जहां हैं, वहां उन्हें रहने का अधिकार दे एवं वनाधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आँध्र प्रदेश और तेलंगाना में वन भूमि पर जहां जिसका कब्जा है, उन्हें उसका अधिकार दे, जिससे पलायन कर आँध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में बसे आदिवासियों का पुनः पलायन की समस्या का समाधान हो सके और उनके भरण-पोषण के समक्ष दिक्कत न आए।

HON. CHAIRPERSON: Shrimati Geeta Kora – Not present. Dr. Kalanidhi Veeraswamy – Not present.

(xvi) Regarding beautification of Beaches in Tamil Nadu

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH)

: Beaches are a natural gift in Tamil Nadu and the entire coastline from Chennai to Kanniyakumari needs regular beach cleaning and upgraded infrastructure with state-of-the-art technology. Beaches are not only a tourist destination but they also serve as a habitat for nestling Olive Ridley Turtles and small marine species. Hence, the State should periodically address the sanitation issues and conserve the ecological value of beaches in Tamil Nadu.

Under the Beach Environment and Aesthetic Management Service (BEAMS) programme initiated by the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, various activities on pollution abatement, beach beautification, awareness on environment education, and safety and surveillance are to be implemented. Out of 10 beaches selected by the Union Government, none from Tamil Nadu finds a place in the list.

There are exit plans for the setting up of watch towers, high speed rescue boats, clean, odour free bio toilets at Marina and Elliots Beaches. Beautification of the Neelangarai and Kottivakkam beach stretches is in the pipeline. Similar proposals will be carried out in Mamallapuram, Tuticorin, Rameswaram and Kanniyakumari with the municipal body of each district executing the work. This requires an additional fund of Rs.100 crore.

Therefore, I urge upon the Ministry of Environment, Forests and Climate Change to provide Rs.100 crore for beautification and provide Blue Flag certification for beaches in Tamil Nadu.

**(xvii) Regarding reconsideration of the methodology for fixing
Minimum Support Price (MSP)**

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): The Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) is mandated to recommend Minimum Support Price (MSP) for the benefit of farmers. MSPs for major agricultural products are fixed by the Government, each year, after taking into account the recommendations of the Commission.

As of now, CACP recommends MSPs of 23 commodities. As per the analysis, it is observed that the Commission for Agricultural Costs and Prices underestimates the price indices of inputs, which is very high for machinery and fertilizers. The underestimation has increased with time. The under estimation is higher for C2 costs as compared to A2+FL costs. If these costs are accurately estimated, the Minimum Support Price for the crops should rise by at least 20 to 30 per cent, as MSP is linked to production cost. Actual production costs are higher than the CACP estimates for several crops. There is an urgent need to reconsider the methodology of fixing MSP so as to achieve the target of doubling the income of farmers.

Hence, I urge upon the hon. Minister for Agriculture and Farmers Welfare to reconsider the methodology of fixing MSP so that farmers could be benefitted.

HON. CHAIRPERSON: Shri Khalilur Rahaman— not present. Shri Vinayak Bhaurao Raut – not present.

(xviii) Regarding construction of a Dam on Masan River in Bihar

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मसान नदी पर गार्ड बांध बनाने के संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरा लोक सभा क्षेत्र वाल्मीकि नगर जगलों एवं नदियों से घिरा हुआ भू-भाग है। मसान नदी की लम्बाई लगभग 45 किलोमीटर है। यह नदी रामनगर प्रखंड के ठोड़ीकुट्टी गांव से शुरू होकर दोन एवं त्रिवेणी कनाल को पार करते हुए लौरिया प्रखंड के तेलपुर गांव में सिकरहना नदी में जाकर मिलती है। मसान नदी में प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ की वजह से प्रखंड रामनगर, बगहा-1 तथा बगहा-2 के गांव बुरी तरह से प्रभावित होते हैं तथा लाखों की संख्या में लोग बेघर हो जाते हैं और जान माल की अत्यधिक क्षति होती है, प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ की वजह से हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाती है। जिस वजह से स्थानीय निवासी पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मसान नदी पर यथाशीघ्र गार्ड बांध का निर्माण कराया जाए।

(xix) Regarding special Fund for Women SHGs in Odisha

SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA): Sir, studies have shown that post-divorce, women find themselves in a financially and socially poorer situation. Financial insecurity forces them to continue the relationships despite regular abuse by their counterparts.

While starting out in the 1980s, the concept of SHGs has gone beyond its original financial and economic objectives to include women's empowerment as its goal. Several studies have shown that women's membership to SHGs contributed significantly to the increase not only of their personal and household incomes but also of their sphere of influence in their household and communities, notably in areas of health and sanitation, water, children's education and liquor ban.

Under the able leadership of our revered leader and CM, the Odisha Government implemented 'Mission Shakti', which is one of the most successful programmes since 2001. It provides support to about seven lakh women SHGs including around 70 lakh rural women who have been successfully assisted by enabling them to access financial assistance, undertake capacity strengthening to enhance their livelihoods and incomes.

Hence, I request the Central Government to consider allotment of a special fund for women SHGs in Odisha, which will enable them to secure their livelihood. Thank you.

**(xx) Regarding expeditious construction of Airport
in Shravasti, Uttar Pradesh**

श्री रामशिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान अपने लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) में स्थित विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थ स्थल श्रावस्ती की तरफ दिलाना चाहता हूँ। जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल के सबसे अधिक 24 से 25 वर्ष व्यतीत किए और धम्म परिवर्तन और विश्व शांति का उपदेश दिया। इस विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को देखने के लिए देश के कोने-कोन से और विदेशों से लाखों पर्यटक एवं बौद्ध अनुयायी प्रतिवर्ष श्रावस्ती आते हैं। यह जिला आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आता है। दो साल पहले नागर विमानन मंत्रालय द्वारा श्रावस्ती एयरपोर्ट को चालू करने की घोषणा की गई थी जिसका निर्माण का कार्य काफी समय से धीमी गति से चल रहा है। आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट का प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूर्ण कराकर एयरपोर्ट को चालू कराया जाए।

HON. CHAIRPERSON: Shri Hasnain Masoodi.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Hasnain Ji, what you have submitted under Rule 377, you have to read that only. The matter is different. If you want a copy, I can give a copy to you.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: Please hold your speech for a minute.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: You can just read the matter.

... (Interruptions)

HON. CHAIRPERSON: What you have written, you have to read it out.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please read what you have submitted. Whatever is written will go on record.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You cannot change the subject. The rule of the House is that you cannot change the subject.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I am sorry. You cannot change the subject.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You have to read line by line what you have submitted.

... (*Interruptions*)

(xxi) Regarding prevalence of cancer in children

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Incidence of cancer in children and the mortality due to cancer is a cause of concern. About 76805 children each year are diagnosed to be suffering from cancer. Only 34 per cent of such patients reach hospital and overall survival rate of such patients is less than 20 per cent. The developed countries have a different story to tell. The survival rate is up to 80 per cent in high income or developed countries. On the other hand, 66 per cent of the children with cancer who do not get it diagnosed or make it to the treating centre do not survive. Recently, on the eve of International Childhood Cancer Day, we were reminded to bridge the gap in healthcare and ensure early detection of childhood cancer to combat healthcare inequity.

It was a girl child from Anantnag who gave me a wake up call and prompted me to invite attention of this august House to the grave problem.

(xxii) Regarding extension of city gas distribution scheme in some districts of Kerala

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Hon. Finance Minister in her 2021-22 Union Budget speech in para 67 had mentioned that City Gas Distribution Scheme will be extended to another 100 cities in India in the next three years. Considering the fact that in Kerala already the scheme has been extended to eleven districts and three districts including my home district and the district in which my constituency falls, i.e., Kottayam have not been taken up so far for the project. Kottayam, Idukki and Pattanamtitta are the districts which are adjacent to the already selected districts.

Through this submission, I would request the hon. Minister to implement the scheme in these three districts during 2022-23, otherwise the people of these districts may feel that they have been denied the benefits of cheaper, safer, and environment friendly fuel.

14.44 hrs

**CHARTERED ACCOUNTANTS, COST AND WORKS ACCOUNTANTS AND
COMPANY SECRETARIES (AMENDMENT) BILL, 2021**

HON. CHAIRPERSON: Item No. 15. We will take up the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill. Now, hon. Minister.

**THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND
PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY
OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF
CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH):** Sir, on behalf of my senior colleague, Shrimati Nirmala Sitharaman, I rise to move:

“That the Bill further to amend the Chartered Accountants Act, 1949, the Cost and Works Accountants Act, 1959 and the Company Secretaries Act, 1980, be taken into consideration.”

HON. CHAIRPERSON: Motion moved:

“That the Bill further to amend the Chartered Accountants Act, 1949, the Cost and Works Accountants Act, 1959 and the Company Secretaries Act, 1980, be taken into consideration.”

DR. M.K. VISHNU PRASAD (ARANI): I, first of all, thank my leader, Shrimati Sonia Ji and Shri Rahul Gandhi Ji for permitting me to speak on The Chartered Accountants, the Cost and Work Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill.

At this juncture, I want to recollect one quote by Charles Scott. He said, “creativity is great, but not in accounting.” Life is full of balance; the world is full of balance. To achieve this balance, we are having these Chartered Accountants. The nobility and the wisdom of these Chartered Accountants have brought India up to this kind of level in terms of economic development. This Bill says, “because of the economic and corporate climate change, we are introducing this Bill.” That is what is given in this Amendment Bill. I would like to know what is the economic and corporate climatic change that is forcing this Government to bring this sort of Bill. This Bill revolves around Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the Disciplinary Committee which is one of the arms of this Institute. ICAI was formed in 1949. An Act was passed in Parliament to this effect. It is a statutory body; it is an autonomous body, but it is still controlled by the Ministry of Corporate Affairs. There is no funding by the Government. It is a mass institute; it is not like IIT or IIM. It is a class institute. Every year, lakhs of students are being promoted as a Chartered Accountant. ICAI has got around 40 members. Out of 40 members, 32 members are from the Council. They are Chartered Accountants. Eight Members are Government nominees. Before 10 years, there was no interference from the Government. Then what is the need of ICAI? Why it has to have a Disciplinary Committee?

The Disciplinary Committee has five members. Now, they are having three members from the Council. They are Chartered Accountants. By default, the President of the Disciplinary Committee is the President of the Administrative Committee, ICAI. The duty of ICAI Disciplinary Committee is to get the complaints from the banks, from the corporates, from the shareholders. Even you and me can go and complain in ICAI about any problem or misconduct in the Institute of Cost Accountants and the Institute of Company Secretaries. Of course, this Disiplinary Committee will listen to all the problems, will scrutinize the merits and demerits of the case, and try to award the punishment accordingly as early as possible.

Of course, I do agree that this Government is keen in disposing the cases early, I appreciate it. But at the same time, why is the interference from the Government so much? The earlier Disciplinary Committee had five members, out of which three are from ICAI, two are Government nominees. Eight or ten years back, there was no interference from the Government. But later on, two Government nominees had to be appointed which was done through an amendment. The ICAI happily agreed to keep them on board with the two Government nominees. Now, the Government is appointing one more nominee, thereby increasing from two Government nominees to three Government nominees in the Disciplinary Committee. Where is the justice? What is the independence? Where is the freedom? Where is the independent evaluation of the cases? Ironically, we have to note one more important point here.

The President of the Disciplinary Committee has to be from among the Government nominees. Where is justice and justification in doing it? If you see the Medical Council of India, Dental Council of India and Bar Council of India, they are all having professionals. An Engineer cannot be the President of the Disciplinary Committee in the Bar Council or a lawyer cannot be the President of the Disciplinary Committee in the Medical Council of India as he decides the case and awards the punishment. Of course, there is delay and it will be expedited. There is no doubt about it, but where is the freedom for the Committee to function.

The cases are given by SEBI and IT Department, and not ordinary institutions. What is the nature of those cases? Is there any violation in the accounting standards? Is there any violation in the auditing standards? Is the company following the Company Act or the IT Act? Is its expenditure over written? All those things are there. It is a fact-finding Committee. So, you need to have professional persons in it. It is quasi-judicial. The Government cannot arm twist the Body by appointing more in numbers so that out of five, three are Government nominees. Where is the justification in it? Where is the freedom in it? This Government claims everything to be free and independent. Earlier, the expression OMG used to be called Oh My God, but now ordinary citizens say that OMG means Opaque Modi Government as there is no transparency at all.

The Government wants to interfere everywhere. The Indian democracy is the strongest and the largest democracy in the world. Therefore, certain

institutions have to run freely, and there should not be any domination or arm twisting or muscling by the Government.

What is the need to do it? What is the climatic change? You were telling about the environmental, economic and corporate change. What is the compulsion for the Government to bring one more Member and increase the number of nominees from two to three? It is also stated that the President of the Disciplinary Committee should be from the Government nominees. What is the justification of doing it? Why are you not allowing people to function independently? This is a very important problem. If this Bill is passed today, then this will be a black day for the Chartered Accountants of India.

Already, there is the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Now, another Committee called the Indian Institute of Chartered Accountants can be convened. Ironically, this is a recommendation of the Standing Committee. It is a mass institute and not a class institute. The certification powers are given to the ICAI. When you are going to dilute the powers of ICAI, why has the Government to give another parallel body called the Indian Institute of Chartered Accountants? It is not at all fair. Shri Piyush Goyal, Shri Harish Salve, etc. are all Members of the ICAI. The hon. Member sitting in front of me is also its Member. Shri Premachandran is a lawyer. Shri M. D. Gupta, AAP MP from Rajya Sabha is also a Member. I do not know why you are looking at me. Perhaps, you must be a Member. All the powers are being diluted. This should not be permitted. If this House is deaf and mute on this issue, then we are doing

injustice to our conscience. The wisdom and nobility of the Indian Chartered Accountants should be held high and it should not be diluted.

What is the need for the Government to introduce this Bill at this point of time? This Government claims that it is for the poor people. In this Bill, the Government states that it can provide for a separate chapter on registration of firms with the respective Institutes and include firms under the purview of the disciplinary mechanism.

There is another point mentioned in the Bill, which states that : “To provide for autonomy to the Council of the respective Institutes to fix various fees”.

If you see, in medical field one has to spend in lakhs; for engineering also, one has to spend a little more; but for Chartered Accountants, it is only a few thousands. But here, the Government is giving autonomy to the Institutes to fix the fees. Where is the justification in doing it? Hon. Chairperson, I sincerely submit that even the Members from the Treasury Benches should think with conscience.

If the Institute started fixing the fees, if the Government is giving full autonomy to the Institute, then, where is the limit, where is the ceiling? Where will the poor people go? Even though they are competent enough and qualified, how can get the education of Chartered Accountancy? These things should be considered. The Congress Party strongly expresses objection to the introduction of this Bill. This Bill should not be passed. Let the hon. Minister bring a comprehensive Bill. If the Bill is so important, let them come up with a

comprehensive Bill where the fee structure is revised, where there is a ceiling, and the Council Members of the ICAI should exceed the Government nominees. Otherwise, the balance will not be met. Thereby, the downfall of our country and the Chartered Accountants will begin. So, we vehemently oppose this Bill. Thank you very much.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं The Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

महोदय जी, ये तीनों प्रोफेशन – चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कम्पनी सैक्रेट्री प्रतिष्ठित प्रोफेशन हैं। इनकी अपने देश में ही नहीं, विश्व में भी प्रतिष्ठा है। आज विश्व के अंदर भी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट आकाउंटेंट या कम्पनी सैक्रेट्री हो, सभी मान्यता प्राप्त हैं। इसकी विशिष्टता बनी रहे, इसीलिए यह अमेंडमेंट आया है।

महोदय जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में, सन् 1959, 2006 और 2011 में अमेंडमेंट हुए थे। ऐसे ही कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट में, सन् 2006 और 2011 में अमेंडमेंट हुए थे और कम्पनी सैक्रेट्री एक्ट में, सन् 2006 और 2011 में अमेंडमेंट हुए थे। ये अलग-अलग अमेंडमेंट्स स्थिति के अनुसार जैसे-जैसे समय परिवर्तन होता जाता है, तो समयानुकूल कानून में परिवर्तन जरूरी है। इसी कारण से यह बिल लाया गया है। ... (व्यवधान)

महोदय जी, 1 जुलाई, 2017 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे के दिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने वहां पर जो संबोधन किया, मैं उसको कोट करना चाहता हूँ। I quote:

“Instead of referring to more data, I want to put my thoughts before you. CA brothers, a person or a client pays taxes only when the environment around him is conducive which motivates

him to pay the taxes honestly. If he sees that the advisor himself is asking him to hide the truth then he will boldly traverse the wrong path. Thus, it is equally important to identify such wrong advisors and take strict actions against them. And for that you also have to take tough steps. CA is an arrangement in which Human Resource Development (HR) is done only by you. Curriculum is made by you only; you conduct the exam; Rules and Regulations are also made by you, and your institute only punishes the culprits. Now the question arises that the temple of democracy i.e., the Parliament of India, which is the voice of 125 crore countrymen, has given you so much authority, then why is it that in the last 11 years, only 25 Chartered Accountants have been prosecuted. Did only 25 people make a mess? And I have heard that more than 1400 cases are still pending for many years now. A single case takes years to settle. Tell me my friends, is it a matter of concern or not, for such highly qualified professionals?”

15.00 hrs

महोदय, अभी हमारे सामने के एक मित्र बोल रहे थे कि इससे इंस्टीट्यूट की स्वायत्तता पर फर्क पड़ेगा। पाँच डिप्लोमरी कमेटीज में मेम्बर्स बनाए जाने हैं। पाँच में से दो मेम्बर्स काउंसिल के और तीन मेम्बर्स जो बनने हैं, वह भी पैनल की रिकमेंडेशन के आधार पर होगा और वह भी काउंसिल के द्वारा रिकमेंड होगा। इसमें सरकार अपने आप नहीं कर सकती। इसलिए, आप यह नहीं कह सकते कि यह सरकार के द्वारा होगा। काउंसिल जिस पैनल को बनाकर भेजेगी, उसी पैनल में से

उन्हें प्रेसिडेंट को लेना है और सदस्यों को चुनना है। हम यह नहीं कह सकते कि इसमें इंस्टीट्यूट की स्वायत्तता पर फर्क पड़ेगा क्योंकि जो मेम्बर्स बन रहे हैं, उन्हें पैनल की रिकमेंडेशन के आधार पर ही सरकार बनाएगी। सरकार उस पैनल के बाहर से मेम्बर नहीं बना सकती, यह कानून में प्रावधान है।

इसके तीन-चार विशेष कारण हैं, जिनके कारण यह अमेंडमेंट बिल लाया गया है। सबसे पहले तो डिसीप्लीनरी वाला कारण है। वास्तव में, कहीं गलती हुई और जहां सी.ए. ने गलती की, उसके खिलाफ डिसीप्लीनरी एक्शन लेने में काफी डिले हुआ। मैं चार्टर्ड एकाउंट इंस्टीट्यूट का एक मेम्बर हूं, लेकिन मैं भी यह कहता हूं कि वहां जो डिसीप्लीनरी प्रोसेस है, वह काफी लम्बा समय लेने वाला है। इस अमेंडमेंट के द्वारा यह तय किया गया कि जो डिसीप्लीनरी प्रोसेस है, वह एक साल के अन्दर यानी कि 365 दिनों के अन्दर पूरा हो जाए। यह जरूरी है। इसमें पहले यह प्रावधान था कि जब कोई भी शिकायत डिसीप्लीनरी डायरेक्टर के पास आती थी तो वह डायरेक्टर पहले यह देखता था कि प्रथम दृष्टया उसकी क्या राय है। उस राय को बनाने में उसे 6 से 7 साल लग जाते थे। उसकी राय ही नहीं बनती थी कि प्रथम दृष्टया उसकी क्या राय है, क्या यह कम्प्लेंट एक्शनेबल है या नॉन-एक्शनेबल है? अब डिसीप्लीनरी डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि यह एक्शनेबल है या नहीं है। अगर यह एक्शनेबल है तो क्यों है और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है और इसके लिए एक टाइम फिक्स कर दिया गया है, ताकि किसी भी कम्प्लेंट पर, कोई भी स्टेकहोल्डर, जो प्रभावित हुआ है, अगर वह कोई कम्प्लेंट करता है तो उसमें रिपोर्ट देनी पड़ेगी। वह डायरेक्टर के पास सबमिट करेगा। वह टाइम देगा। एक्ट के प्रावधानों में यह दिया गया है कि उसे इतने दिनों में सबमिट करना पड़ेगा, इतने दिनों में रिप्लाइं आएगा। अभी तक तो यह होता था कि किसी न किसी कारण से उसमें डिले कर देते थे। पर, अब इस एक्ट के अन्दर एक टाइमलाइन का प्रावधान कर दिया गया। जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और अगर उस टाइमलाइन में वह अपनी रिप्लाइं फाइल नहीं करता है तो उसमें फिर एक्स-पार्टे डिसीजन कर सकते हैं, यह प्रावधान है। पहले यह होता था कि जिसके खिलाफ शिकायत की गई है, वह जान-बूझकर उसमें डिले करते थे, ताकि उस शिकायत के

ऊपर कार्रवाई न हो। लेकिन, अब उनके पास इसके लिए कोई चारा नहीं है और उनके पक्ष की जो भी रिप्लाय है, उन्हें वह रिप्लाय देना होगा।

अगर उन्होंने कह दिया कि यह कम्प्लेंट एक्शनेबल नहीं है तो फिर वह डिसिप्लिनरी कमेटी या बोर्ड के पास भेजेगा और फिर वे तय करेंगे कि यह एक्शनेबल है या नहीं। अगर उन्हें कुछ संदेह हुआ तो वे वापस उसे डायरेक्टर के पास भेज सकते हैं।

पहले सबसे बड़ा एक लैकुना था, मान लीजिए कि किसी सरकारी अधिकारी ने कोई कम्प्लेंट की कि इंस्टीट्यूट के इस मेम्बर ने गलती की है। अगर वह प्रूफ के साथ डायरेक्टर को भेजता है कि इसकी यह प्रूफ है और इन्होंने गलती की है तो उसको प्रिलिमनेरी एक्जामिनेशन रिपोर्ट माना जाएगा। पहले यह था कि अगर वह प्रूफ के साथ भेजता भी था तो भी ओपिनियन के लिए चल जाता था। प्रिलिमनेरी ओपिनियन क्या है, उसमें चली जाती थी। उसमें भी टाइम लग जाता था। अब उसमें ओपिनियन की जरूरत ही नहीं है। जैसे ही किसी राज्य सरकार या सेन्ट्रल गवर्नमेंट या किसी कॉरपोरेशन का अधोराइज्ड पर्सन होगा, जिसने अगर विद प्रूफ कोई कम्प्लेंट दी है तो वह अपने आप में रिपोर्ट मानी जाएगी और उस पर एक्शन भी होगा। यह एक बहुत बड़ा चेंज है। इसका कारण यह है, क्योंकि इतने ज्यादा इंस्टीट्यूट्स में केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आज जो मेम्बर्स और इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके ऊपर भी लोग कुछ सवाल उठाने लगे हैं। इसी कारण से यह अमेंडमेंट लाया गया है।

महोदय, इसके साथ ही एक और प्रावधान किया गया है। यदि किसी के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई चल रही है तो उसको पोर्टल पर डाला जाएगा। क्योंकि, वह इस समय कहाँ पर है, वह डिसिप्लिनरी कमेटी के पास है, डिसिप्लिन डायरेक्टर के पास है या उसका निस्तारण हो गया, क्या निस्तारण हुआ, सारी चीजों को एक ट्रांसपेरेंसी के साथ पोर्टल पर डालने का प्रावधान किया गया है। इससे कहीं पर भी किसी के साथ ज्यादाती नहीं हो सकती है। जिसने गलती की है, वह बच भी नहीं सकता है। यह एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद भी है। यह एक मेजर अमेंडमेंट है। मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ जो पैनल बनेगा, कमेटी के जो मेम्बर बनेंगे,

वे ऑन दी रिकमेंडेशन फ्रॉल दी पैनल होंगे। जो नॉन-मेम्बर इस डिसिप्लिनरी कमेटी में सदस्य बनने हैं, जो काउंसिल द्वारा गवर्नमेंट को दिया जाएगा, वही मेम्बर बनेंगे। यह इसी तरह से है।

दूसरा, इसमें एक और अमेंडमेंट आया है। वह यह है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी। इन तीनों इंस्टीट्यूट्स की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी, क्योंकि इन तीनों का काम करीब एक ही है। यह अलग बात है कि एक इंस्टीट्यूट में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की संख्या ज्यादा है और दूसरी में संख्या थोड़ी कम है। वर्ष 2000 में तीनों इंस्टीट्यूट के बीच में एक एमओयू हुआ था कि ये तीनों इंस्टीट्यूट्स आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे, लेकिन वह एमओयू कागजों पर ही रह गया। वह किसी लीगल शेष में नहीं आया। इसलिए, उस कोऑर्डिनेशन के लिए इसमें प्रयास किया गया है। इसमें अमेंडमेंट लाया गया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी से इंडिविजुअल प्रोफेशन की ऑटोनमी में कोई फर्क नहीं आने वाला है। वे अपने हिसाब से ही एग्जाम करेंगे।

सभापति महोदय, आज सी.ए. का एग्जाम पास करना कितना टफ है। इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। तीन साल तक उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है और उसके साथ-साथ एग्जाम्स होंगे। इसके एग्जाम का रिजल्ट डेढ़ से दो परसेंट रहता है। आज इतने सालों में कुल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की संख्या 3,27,000 है, जो अभी इंस्टीट्यूट के मेम्बर्स हैं। इसी कारण से इस प्रोफेशन की मान्यता पूरे विश्व में है। क्योंकि, वह स्ट्रिकट रूल्स फॉलो कर रहे हैं।

यह मान्यता बरकरार रहे। यह जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है और इन तीनों इंस्टीट्यूट्स ने जो एमओयू किया था, वह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इस बार सेक्शन-9 में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात है। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो वर्क रहेगा, वह एक-दूसरे इंस्टीट्यूट के प्रोफेशन में इंटरफेयर करने का नहीं है। उनका जो काम रहेगा, वह यह होगा कि एक प्रोफेशन की जो अच्छाई है, वह दूसरे प्रोफेशन वाले को मालूम पड़े, वह उसमें चर्चा करे और उसको इम्प्लीमेंट करें। इसलिए, यह कोऑर्डिनेशन कमेटी आई है। बाकी जो इंडिविजुअल, काउन्सिल और इंस्टीट्यूट प्रोफेशन कर रहे हैं, वे अपने हिसाब से एग्जाम अरेंज करेंगे। वे अपने हिसाब से ही मेम्बर्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे। उनके जो अलग-अलग नियम हैं, उसके हिसाब से ही करेंगे। यह जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, उससे

इफेक्टिव कोलैबरेशन होगा। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, कोस्ट एकाउन्टेन्ट, कंपनी सेक्रेटरी एक ही तरह के हैं, लेकिन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की थोड़ी-सी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्योंकि, वे वेरिफाई करते हैं, वे ऑडिट करते हैं और वे सर्टिफिकेशन करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन करता है, इसलिए उस पर थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। पहले क्या होता था? किसी कंपनी का ऑडिट किया, कहीं पर कोई सर्टिफिकेट दिया और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के किसी पार्टनर ने उसको वेरिफाई किया, सर्टिफाई किया। अगर उसमें कुछ गलती हुई तो जो साइन करने वाला है, वही इसके लिए जिम्मेदार होता था। एक्ट के अंदर यह प्रावधान नहीं था कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म पर कोई कार्रवाई हो सके, इसलिए जो व्यक्ति साइन करता था, वही इसके लिए जिम्मेदार होता था। इसमें फर्म जिम्मेदार नहीं होती थी। एक नया चैप्टर इसमें जोड़ा गया है ताकि उस फर्म का भी रजिस्ट्रेशन कराया जाए। पार्टनरशिप फर्म का नियम है कि पार्टनर इंडीविजुअल भी लाइबल रहेगा, फर्म के हिसाब से कलेक्टिविली लाइबलिटी होती है। उस हिसाब से अगर कोई पार्टनर किसी गलत जगह साइन करता है या गलत कुछ सर्टिफिकेशन करता है और वह प्रूव हो जाता है, तो उसकी लाइबलिटी पूरी फर्म की आती है। इसमें कार्रवाई पूरी फर्म और उसके पार्टनर्स के खिलाफ होगी। बड़ी-बड़ी फर्मों में यह जो उनके बचने का रास्ता था, उस रास्ते को बंद करने के हिसाब से यह अमेंडमेंट किया गया है।

यह सबसे बड़ी बात है कि तीनों इंस्टीट्यूट्स ऑटोनामस बॉडीज़ हैं। सरकार की तरफ से एक पैसा भी ग्रांट नहीं मिलता है। कहीं बातचीत आई, लोग कह रहे थे कि इसका सीएजी ऑडिट हो। सीएजी इसका ऑडिट नहीं कर सकता, क्योंकि सरकारी ग्रांट का एक भी पैसा नहीं है। यह नया प्रावधान इसमें दिया गया है। पहले काउंसिल तय करती थी कि यह व्यक्ति इस कंपनी का है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का काफी बड़ा फंड है। वह सारा उनके मेंबर्स से, उनके स्टूडेंट्स से और फीस से आया हुआ फंड है। उसमें कोई सरकारी ऐड नहीं है, कुछ भी और नहीं है। ऑडिट के लिए पहले काउंसिल किसी ऑडिटर को तय करती थी। सीएजी ने जो पैनल ऑडिटर्स का बना रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, काउंसिल अब उसी में से ऑडिट कर सकेगी। उसके साथ-साथ एक और

नियम है कि जो कभी काउंसिल का मॅबर रहा है, चार साल तक वह चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का ऑडिटर नहीं बन सकता है, क्योंकि चार साल तक वह मॅबर रहा है। इसके अलावा काउंसिल के इलेक्शन में भी जो पहले तीन-तीन साल का टाइम पीरियड था, इसमें एक मॅबर तीन बार कांटीन्युअस बन सकता था, लेकिन अब काउंसिल मॅबर्स को चार-चार साल करके दो बार का यह अमेंडमेंट किया है।

इसमें एक सबसे बड़ी चीज हुई है कि पहले जो इंस्टीट्यूट का प्रेसीडेंट होता था, काउंसिल का जो अध्यक्ष होता था, एग्जीक्यूटिव आफिसर भी वही होता था। वर्क की सारी जिम्मेदारी उसकी थी। अब इसमें थोड़ा पॉवर सेपरेशन किया गया है। एग्जीक्यूटिव प्रेसीडेंट यह देखेगा कि जो प्रोफेशन है, वह ऐज पर एक्ट चल रहा है या नहीं। प्रशासनिक काम करने के लिए जो सेक्रेटरी है, उसको चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर बना दिया गया है। अंडर दी सुपरविजन ऑफ दी प्रेसीडेंट, डे-टू-डे वर्किंग सेक्रेटरी के पास है। जैसे एग्जीक्यूटिव पॉवर है, वह सेक्रेटरी के पास हो गई और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉवर प्रेसीडेंट के पास, काउंसिल के पास ही रहेगी। उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। काउंसिल ने जो निर्णय किया, उसको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी सेक्रेटरी की होगी, क्योंकि एग्जीक्यूटिव चीफ वह होगा।

महोदय, मैं भी इंस्टीट्यूट का एक मॅबर हूँ। हो सकता है कि कुछ साथी इससे नाराज भी हों, लेकिन ये जो अमेंडमेंट्स आए हैं, ये प्रोफेशन के हित में आए हैं। इससे पूरा प्रोफेशन आगे बढ़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को, माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट की गलती से ही कोई फ्रॉड नहीं होता है। उसमें काफी कुछ इन्वोल्व होता है, केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट को दोषी ठहराना गलत है, केवल उसकी वजह से गलत नहीं होता है। आने वाले समय में बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। क्या दिक्कत आने वाली है? इस कोरोना काल में छोटे-छोटे इन्वेसटर्स थे, जो बैंक में पैसा जमा करते थे। इस कोरोना काल में लगभग डेढ़ करोड़ डी-मेट अकाउंट शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए खोले गए हैं। जिन्होंने इनवेस्ट किया है, इनका कैसे प्रोटेक्शन हो सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट बने, जिससे छोटे निवेशक बच सकें। आज की तारीख में तीन-चार बड़े-बड़े मामले चल रहे हैं, उसमें पीएसीएल है, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी और सहारा है। इसमें लोगों के लाखों-करोड़ों रुपये उलझे हुए हैं। इन कंपनियों के पास असेट्स हैं, प्रोपर्टी है, सब कुछ है। लेकिन कानूनी लकूना की वजह से और कुछ कोर्ट की वजह से इन इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं मिल रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कोई ऐसा इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट आए ताकि बाकी झगड़े तो चलते रहें लेकिन जिसने पैसा लगाया है, जिसने अपनी सेफ्टी के लिए पेंशन का पैसा लगाया, वह पैसा उसको टाइमली मिल सके, ऐसा कानून लाना जरूरी है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को केवल यही कहना चाहता हूँ कि यह एक अच्छा कानून है। ऐसा न हो जाए, जैसे दूसरों की शंका है। मोदी सरकार का उद्देश्य मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस है। इसमें कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, इसका जरूर ध्यान रखा जाए। आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Chairman, Sir, thank you very much for the opportunity given to me. I rise to register my mixed feelings of appreciation, apprehension, and accusation... (*Interruptions*)

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Accusation also!

SHRI A. RAJA: Yes, in the latter part of my submission.

Some of the provisions of the Bill deserve to be appreciated. Some of the provisions create apprehension in the minds of professionals and public. I have my own accusation against the Bill. The Government has a hidden agenda behind bringing this Bill. I appreciate the Bill in the sense that an attempt has been made by the Government to have a legislation to revamp the entire profession of Chartered Accountancy. The Government has sensed that some

scrutiny is essentially needed. To that extent, it deserves appreciation. As has been mentioned in the Statement of Objects and Reasons, the object of the Bill is to deal with the misconduct by the institutions, and the institutions include, the Institute of Chartered Accountants of India, the Institute of Cost Accountants of India, and the Institute of Company Secretaries of India. These three institutes have been created under separate, distinct statutes. I do not know whether I should appreciate the Government or express my apprehension. Three distinct institutions, created under different statutes, have been brought under a single legislation. It is unknown to legislative ethics. The procedure that has been adopted by the Government is completely unknown to jurisprudence, democratic norms, or legislative competence of this House. This has to be explained by the Minister first. The Government has come up with a legislation to deal with three different institutions created under different statutes. How far is it workable? That has to be discussed, at length, in this House. My speech will be very brief. I do not want to take much time of the House.

The Bill was already discussed in the Parliamentary Standing Committee and the recommendations came up. I think, all the hon. Members of the Standing Committee, belonging to different Parties, must have expressed their views. All the views -- that were expressed during the Committee meetings -- should have been incorporated in the Bill.

In spite of the deliberations that took place in the Standing Committee, there are so many anomalies in the present Bill. I will mention one or two such anomalies. This Bill deserves appreciation. It is the first time that we are having

a multi-disciplinary practice or mechanism. What does multi-disciplinary mechanism mean? You are not only including Chartered Accountants or non-Chartered Accountants in the system but you are also including Advocates and other professionals including, engineers, architects, etc., in the system. All are included in this system to revamp the entire chartered accountancy. That is a good attempt. It is altogether a different thing whether it is going to deliver tangible results or not. Notwithstanding the outcome, the attempt -- which has been made to synchronise all the statutes by way of creating a multi-disciplinary forum or body or practice -- really deserves our appreciation. But let us leave it to the later course when it will be implemented on the ground.

The multi-disciplinary practice will provide integrated services from both CAs and non-CAs -- as has been mentioned earlier -- and because of this, other professionals like lawyers, engineers, and architects will be benefitted, both professionally as well as financially.

Hon. Chairperson, Sir, I do appreciate one more thing. There are three legislations for Chartered Accountants, Cost and Works Accountants, and the Company Secretaries of 1949, 1959, and 1980 respectively. All these legislations focus only on the chartered accountants, company affairs, and the cost and benefit analysis. But it is the first time that non-audit provisions or skills -- which, may be a little bit remotely, but essentially needed in the system -- have been included and inducted by way of this legislation. That has to be appreciated. For all these reasons, I am having no reservation to extend my

support to this Bill. But still, I am having my own issues. I will express my accusations and apprehensions now.

Hon. Chairperson, Sir, my friend, Dr. M.K. Vishnu Prasad from the Congress Party, has expressed beautifully the anomalies that are there in the Bill. The first one is the Disciplinary Committee. The second one is the Coordination Committee. As he has rightly mentioned, the entire entity of the Disciplinary Committee has been changed not only physically but also in letter and spirit, and the delivery system is also diametrically opposite, both in the existing as well as in the already existed system.

He has rightly put it that earlier there were two Government nominees and three Chartered Accountants, that is, a total of five members were there. The chairman was the Chartered Accountant. Now, there are only two Chartered Accountants and three non-Chartered Accountants. Even that can be digested but what is surprising or shocking is that the chairman will be a non-Chartered Accountant. My friend has rightly said that a chairman of the Bar Council of India will be an advocate and a chairman of the Medical Council of India will be a doctor. Here, for Chartered Accountants, the chairman is a non-Chartered accountant. What type of a justice is being delivered? No one can be a judge for his own cause. That is applicable to individuals. I cannot be a judge for my own case. It has to be given to you or somebody else to maintain the neutrality. But as far as the profession is concerned, justice has to be delivered only by the same or identical professional. A man, who practise law, can interpret law and

deliver justice. A man who did practice in medicine, he can give for medicine.

Domain knowledge is necessary.

Now, you are transporting an alien to some organisation. By doing so, not only is the autonomy of the body compromised or diluted or mitigated but my accusation is that you are having hidden political agenda to kill some institutions or some companies.

Otherwise, such an attempt should not have been made.

Now, I come to Coordination Committee. Shri Vishnu Prasad rightly said it. A man who is supposed to be the Chairman of the Disciplinary Committee must know the nitty-gritty of the accounting standards. He must know the micro level knowledge in auditing. Beyond this, I can go further, that is, ethical standard is there. All the standards must be weighed and that must be done by a professional namely, CA. But you are putting a non-CA and want to measure the accounting standard, auditing standard and ethical standard. It is not practically possible. That is why, I am accusing that you are having some hidden agenda.

Now, I come to Coordination Committee. In the Coordination Committee, there is a problem. You devised the terms and conditions for the Coordination Committee.

So, the Coordination Committee must be confined within the terms and conditions. You just have a perusal. Any ordinary, reasonable and prudent man can understand this. One does not need any rich knowledge. Any ordinary, reasonable and prudent man can peruse the terms and conditions and can say

that the terms and reference now devised are going beyond the terms and conditions. That is why, I am saying this.

The President, Institute of Chartered Accountants of India expressed an apprehension that the Government is having some hidden agenda. It is not fair on the part of the Government. So, for these reasons, an attempt has been made of having the Disciplinary Committee and the Coordination Committee with malicious intention to kill some institute. Even, it may be politically motivated, that is the hidden agenda. I do sense it.

To that extent, you must have the courage to withdraw the Bill, amend the Bill or refer to another Committee or to the Select Committee cutting across the political party Members. The Members can give their ideas. Then, that Bill can be piloted before this House.

With these words, I commend the Bill.

Thank you.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the Chartered Accountants, the Costs and Work Accountants and Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021.

This Bill was brought to Parliament in December, 2021. It was referred to the Standing Committee of which Mr. Jayant Sinha was the Chairman and of which I also happen to be a Member.

The Standing Committee has by and large endorsed the Bill. But the Standing Committee mentioned certain things which the ultimate Bill has not

followed. What is it? The Standing Committee mentioned that the autonomy of these institutes should not be hampered. Yes, regulation is to be ensured but in making regulations, you should not throw out the baby out with the bathwater and that is what has happened.

The bureaucrats in the Ministry of Corporate Affairs have increased their stranglehold on these three independent professions through this Bill. Why? Now, they are saying that there will be a Coordination Committee consisting of three types of professionals – chartered accountants, cost accountants and company secretaries – and it will be headed by the Secretary, Ministry of Corporate Affairs.

The Bill aims at bringing discipline to the professions but the Disciplinary Authority will be headed by a non-chartered accountant. And the Disciplinary Committee would have more non-CA members than CA members.

Sir, this is what this Government is doing generally. Earlier, there was an elected Medical Council of India. They dismissed that. Now, they have got National Medical Commission, all appointed people. They want to take away the power of all professional bodies. First, they take away the power of medical profession. Then, slowly they will also take away the powers of the Bar Council. This Government is taking away the powers of the professionals. I do not say that these professions are perfect. We all know that Chartered Accountant Institutes purposely limit the number of pass-outs. If the pass-outs are less, then the scope of jobs is more. I do not know of any Chartered Accountant who is unemployed.

The Chartered Accountants sign everything starting from balance sheet of schools, NGOs, companies. The hon. Prime Minister mentioned that 'your signature is more important than ours' because if the Chartered Accountants sign the balance-sheet of a company, then the document becomes sacrosanct. The Chartered Accountants have not been ideal in this respect. We all know of the incident of the Satyam Computers, a very famous audit firm of India was engaged in auditing their accounts. Satyam was showing its shares at an inflated value. It was found that it was a total wrong-doing of the Chartered Accountant firm. Recently, ILFS were also caught with their hand in the till. In that incident also it was the failure of the Chartered Accountants. I know that there is a need to control and bring in some discipline amongst the Chartered Accountants, but it cannot be ensured by giving more powers to the Ministry of Corporate Affairs. The mechanism within the professions has to be strengthened. There was a recommendation of the Standing Committee in this regard. The Government has not gone by the recommendations made by the Standing Committee. The Standing Committee very specifically said, Shri Jayant Sinha said that we should not take away the autonomy of this institute. Why have the Government taken away the autonomy of this institute? It is alright to bring in some small changes like increasing the term of the Council from three years to four years; the penalties can be enhanced; there could be fines imposed in case of misconduct. So, this amendment has become self-defeating. Of course, I know that Chartered Accountants have great lobbies. Earlier also such a Bill was brought forward but they lobbied hard requesting not to put much

restrictions on them and they were successful then, but in order to control their lobby this is not the way. The Parliamentary panel has said that the Government should consider setting up an Indian Institute of Accounting akin to IITs and IIMs across the country for enhancing the development of accounting and finance profession. That is a good idea but the Government has not accepted this recommendation. The Parliamentary panel also suggested that multiple bodies, as is the norm in advanced nations, are required to promote healthy competition for raising the standards and improving the credibility of financial reporting and auditing in the country. The Prime Minister himself said that the signature of a Chartered Accountant is more important than that of the Prime Minister. So, he proposed what is already there in the Company's Act that National Financial Reporting Authority ... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : प्रधानमंत्री जी ने ये कब कहा?

प्रो. सौगत राय : मैं बताऊं? आप तो इन सब बातों में दिलचस्पी लेते हैं। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: एक नॉर्मल आदमी का सिग्नेचर उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना प्रधानमंत्री जी का है...(व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: I am quoting from an article dated 25th July, 2017 published in the Business Standard. The PM, Narendra Modi had been particularly keen on curbing corruption and the black economy and almost all his speeches stressed on the big and small changes that need to make India less corrupt. Much attention has been focussed on the financial rectitude of businesses in India. Now, the hon. Prime Minister mentioned that the demand

for NFA is not a new. The Company's Act of 2013 already provides for such a regulatory body. And the Prime Minister himself said that your signature is more important than mine.

DR. NISHIKANT DUBEY: Where is that statement?

PROF. SOUGATA RAY: That statement was made by the Prime Minister while he was inaugurating the GST Council.

डॉ. निशिकांत दुबे: अब देखिए, आप कहां से कहां चले गए हैं... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: हाँ, वर्ष 2017 में दोनों हुआ है। यह प्राइम मिनिस्टर ने बोला है... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे: सर, मैंने आपको यह बोला है कि आप कोट करिए कि उन्होंने कहां पर बोला है... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैं वही दूँ रहा हूँ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please do not get distracted and go ahead with your speech.

PROF. SOUGATA RAY: The PM highlighted that however the Institute has been found wanting in acting against its errant members on many occasions. A fact highlighted by Mr. Modi himself, speaking at the ICAI Foundation Day, he told chartered accountants that their signatures were more powerful than that of the Prime Minister and asked them to introspect and improve their standard. The PM also highlighted the ICAI's embarrassing disciplinary record wherein only 25 errant auditors had been prosecuted over the past eleven years and 1400 cases were pending.

This was reported by *Business Standard* dated 26th July, 2017. Do you need a copy of this? सर, मैं इनको इसकी कॉपी दे देता हूँ... (व्यवधान) आप इसे ठीक से पढ़िए। आपके प्रधान मंत्री यह सब बोलते हैं और आप हमारा विरोध करते हैं... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You may please address the Chair. You are getting distracted.

PROF. SOUGATA RAY: Sir, I will slowly wind up.... (*Interruptions*) Yes, Shri Jayant Sinha, I will always yield to you. You are a Harvard trained man. I must yield to you.

SHRI JAYANT SINHA (HAZARIBAGH): Sir, the hon. Member has taken my name. Unfortunately, it is in vain. He has alluded to the role of the Chairperson of the Standing Committee. There are many other distinguished Members here in Parliament who are also Chairpersons of Committees. And the hon. Member who has been a Member of many of the Standing Committees knows fully well that any Report given by a Standing Committee is not the Report of the Chairperson and his name should therefore not be taken in vain. It is the considered consensus view of all hon. Members in that Committee including the hon. Member himself. So, I would request him to speak about the Standing Committee and not about an individual and I do not think that it would be appropriate.

PROF. SOUGATA RAY: That is fine. It was not his personal view. (*Interruptions*) That is why I say, as Shri Raja suggested, that we must have a special Committee on this Report of the Standing Committee because the Report of the Standing Committee has not been followed. The Government has

been intent in its purpose of increasing the stranglehold of the bureaucracy of the Ministry of Corporate Affairs on the independent profession of chartered accountancy. This is not to say that chartered accountants do not help in setting up shell companies. This is not to say that they are at many times complicit in the acting of the firms, especially the shell companies. But this is also to say that the choice is not between the baby and the bath water. You cannot throw out the baby with the bath water.

So, I urge upon the Government to please give some independence and some autonomy, improve the disciplinary mechanism by all means, and bring in people from outside to judge the chartered accountants. I do not agree with this theory of domain knowledge that only chartered accountants can deliberate on the misdeeds of chartered accountants, if there are. Non-chartered accountants can also deliberate on them.

With these words, I will again recommend to the Government to have a fresh look, instead of going by the Report of the bureaucrats of the Ministry of the Corporate Affairs.

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Sir, first of all, I stand here to support the Bill on behalf of YSR Congress Party under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister, Shri Y.S. Jaganmohan Reddy Garu.

Sir, I would like to thank the Government for bringing this much-needed amendment. Several audit failures have resulted in a number of cases that

seriously affected the economy including the recent Non-Banking Finance Companies (NBFC) crisis.

The National Financial Reporting Authority (NFRA) Report on the IL&FS crisis is testament to the mismanagement. It found several audit failures in crisis-ridden IL&FS. and Transportation Networks Limited (ITNL).

Sir, the Amendment is necessary and it provides for several measures to bring the house in order. Such measures include provisions for speedy time-bound disposal of cases and strengthening of the disciplinary mechanism amongst others.

This Amendment also provides for increased roles for the three professional organisations including the Institutes of Chartered Accountants of India, Cost Accountants of India and the Company Secretaries of India.

Sir, I want to bring here some positive points about the Amendment. One is about time-bound disposal of cases. It sets out specific time-limit for disposal of enquiries by the Board of Discipline and the Disciplinary Committee.

The second point is about disciplinary action against CA firms. Currently, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) can only initiate action against its members. However, with this Amendment, the ICAI can not only take action against the individuals but also against the firms for lapses and professional misconduct. Thus, it certainly widens the scope of disciplinary action to deal with the inclusion of a member in his individual capacity or as partner or owner of the firm.

The third point is about setting up of Coordination Committee. This Amendment also provides for setting up of a Coordination Committee consisting of the President, Vice-President and the Secretary of the Council of each of the professional organisations – Institutes of Chartered Accountants of India, Cost Accountants of India and the Company Secretaries of India. The Committee will have an important role in overseeing the development and harmonisation of the professions of the Chartered Accountants, Cost Accountants and Company Secretaries of India. Further, it also provides for specific functions for the Coordination Committee. The next point is that the penalty for falsely claiming to be a member of the Institute has been increased which would help in curbing fraudulent cases. Further, the manifold increase in penalty and provision for imprisonment would act as a necessary deterrent against fake professionals.

Hon. Chairman, Sir, I have a few suggestions. One is, increase of non-CA members in Disciplinary Committee. The provision that the ICAI shall recommend all names in the Disciplinary Committee is a good step. However, many people have expressed concern over the reconstitution of the disciplinary benches by which, it now mandates the appointment of two CA and three non-CA members as part of the Disciplinary Committee. Further, one of the non-CA members would act as the presiding officer. Sir, CA members with their expertise and domain knowledge should be given preference in disciplinary forums for better and speedy disposal of cases. Thus, it is our humble suggestion to the hon. Minister that the strength of CA members should be increased in the disciplinary forums and a CA member should act as the

presiding officer. Before concluding, hon. Chairperson, Sir, I would like to say that I believe that the Amendment is a step in the right direction. It will further make the functioning of ICAI more cohesive and would, indeed, strengthen the corporate governance, audit quality and reporting of key statutory documents in the country. Thank you very much.

डॉ. निशिकांत दुबे : चेयरमैन सर, जब हम माननीय प्रधान मंत्री जी या महामहिम राष्ट्रपति जी को कोट करते हैं और सीनियर माननीय मैम्बर सौगत बाबू जैसे लोग कोट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें रेस्ट्रेन उनको होना चाहिए। उन्होंने जो पेपर दिया है, इन्होंने हाउस को मिसलीड किया। प्रधान मंत्री जी का जो अगल वक्तव्य था, वह वक्तव्य यह था कि “the PM also highlighted ICAI’s embarrassing disciplinary record wherein only 25 errant auditors had been prosecuted over 11 years and 1,400 cases were pending”. प्रधान मंत्री जी ऑडिटर को कह रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्ट करो और तुम जो गलती कर रहे हो, तुम अपने मैम्बर्स को जो सजा नहीं दे रहे हो, यह गलत कर रहे हो, इसी के लिए यह किया। मुझे लगता है कि सौगत बाबू को मिसलीड नहीं करना चाहिए, देश को मिसलीड नहीं करना चाहिए।

सर, मेरा इतना ही सन्निधान था...(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Okay. Your point has come on record.

PROF. SOUGATA RAY: Sir, have you given special permission to Shri Nishikant Dubey to change his seat? ... (*Interruptions*)

SHRI RAHUL RAMESH SHEWALE (MUMBAI SOUTH-CENTRAL): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity for expressing my views on the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021.

There are several countries where the dual model of accounting institutes exist such as Canada, USA, UK, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka. In none of these countries, confusion has been created by the existence of two titles and both CMAs and CAs co-exist in harmony rendering service to the society. Such a good practice of the world can also be certainly practiced in India and no confusion can be caused by changing name. In line with the same, till the year 2011, when Congress Government was there, all was set and done for change of the name of the Institute to "The Institute of Cost and Management Accountants of India" but, unfortunately at the last moment the words "and Management were not incorporated and the words "and Works" were removed. It is a known fact this occurred on an objection from the Institute of Chartered Accountants of India to include the word "Management", although they have no locus standi on the affairs of our institute.

Hence, there is no level playing field to Cost and Management Accountants in India and also abroad who can establish their firms abroad. But due to recognition issues they are suffering very badly on this.

Sir, the 45th Report of Standing Committee at pages 28 and 29 clearly recommended for change in nomenclature of Cost and Works Accountants to Cost and Management Accountants. In the Standing Committee Report it was stated that the Ministry of Corporate Affairs may consider suitable change to the nomenclature of the institute as per international practice. It is observed that the Ministry is ignoring the demand of Cost Accountants for more than three decades despite the recommendation of the Standing Committee on Finance.

Earlier also, the Standing Committee also recommended the same. So, I urge the Finance Minister to consider my humble request.

When any Act is passed, it is expected that no disputes will occur in the same. It is bound to have some disputes and hence precisely, dispute resolution mechanisms are created. Clauses 21, 56 and 89 in the Bill prevent a complainant from withdrawing the complaint.

In any of the Bills, such prohibition of withdrawals is not found. This will unnecessarily increase the burden on the Judiciary and disciplinary mechanism of these institutes. Wastage of time and money will also be there and other genuine cases will suffer because of this. Such a provision preventing a complainant from withdrawing complaint must be removed and one should be allowed to withdraw the same without any hassle. It is a fundamental right of any individual to withdraw the case filed by him/her in case if he/she thinks that the purpose of filing a case is fulfilled.

As per suggestion F at page 26 of 45th Report of the Standing Committee, it was suggested for the establishment of an Institute of Accounting (IIA) akin to IIMs and IITs. When will the Government consider this proposal and what is the time line the Government has in its mind to decide on this?

Now, I come to my point No. 4. About the Quality Review Board, clauses 32, 67 and 100, state for the Quality Review Board to file disciplinary complaints, which is not correct. The Review Board is meant for giving suggestions and improving quality of Audits and Auditors and their firms.

If they start filing complaints, then their orientation of work will change drastically and also the QRB will not be welcomed by the Auditors and their firms. This will create disharmony and distrust between the QRB and others.

So, Sir, I would request to the hon. Finance Minister to kindly consider dropping of clause 32,67 and 100 from the said Bill.

Now, let me come to my point No 5. Clauses 22, 23, 57,58, 90 and 91 stipulate timelines for inquiry by the Disciplinary Committee and Disciplinary Board. We have seen failure of Insolvency and Bankruptcy Law for following timelines given by the courts. Here again, we are pushing these Disciplinary Authorities to give the judgment in specific days which is not at all correct. The timelines which have been given do not have any study taken up by the Ministry and these timelines are bound to fail. Hence it is proposed to remove the timelines given in these clauses; or if the Government is adamant, then at least, these timelines must be increased by a minimum of 60 days in clause 22, 23, 57,58, 90 and 91.

Sir, now, let me come to my last point. In the same clauses 22, 23, 57, 58, 90 and 91, there are procedures which are mentioned to be followed by the Director Discipline, Board of Discipline and Disciplinary Committee. It is suggested to drop these clauses from the main Act, and the Ministry can bring rules regarding disciplinary procedure. Currently also, there are separate rules for disciplinary proceedings which offer flexibility to the Ministry and the Government for its easy modification if needed.

Hence it is proposed to drop clauses 22(3), 23(3), 57(3), 58(3), 90(3) and 91(3). Also these provisions lack natural justice to the complainant and respondent by not providing them any opportunity to file a rejoinder.

With these few words, I conclude my speech. Thank you.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

इसमें संस्थाओं में अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत बनाने एवं मामले का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के अनुसार इसके माध्यम से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949; लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 तथा कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 में संशोधन का प्रस्ताव है। यह बिल काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक गतिविधियों एवं कम्पनियों के संचालन को नियंत्रित करती है। अतः संस्थानों में अनुशासनात्मक तंत्र मजबूत हो और संस्थानों को गति मिले, यह जरूरी था। इससे सभी कार्यों के लिए एक सीमा निर्धारित की जा रही है। संस्थानों में प्राशासनिक और आनुशासनिक शाखाओं के बीच कोई हित का टकराव न हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। वैसे ये तीनों संस्थान- चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल एवं कम्पनी सचिव स्वायत्त संस्थान हैं। इनकी पूर्ण स्वायत्तता बनी रहे, मैं सरकार से यही आग्रह करता हूँ।

स्वायत्त संस्थानों की स्वायत्तता में सरकारी दखल से संस्थानों की कार्य-क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन तीनों संस्थानों के कार्यकलापों की नियमित समीक्षा होनी चाहिए और सुधार के उपाय होने चाहिए। इन तीनों संस्थानों में मुख्यतः चार्टर्ड अकाउंटेंट का महत्वपूर्ण रोल है, करप्शन रोकने में इसकी अहम भूमिका रहती है। यही एकाउंटेंट्स करते हैं, वे रिपोर्ट तैयार करते हैं। अतः इन तीनों संस्थानों की स्वायत्तता बरकरार रहे।

मैं यह पुनः आग्रह करते हुए, इस बिल का समर्थन करता हूँ

बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Thank you, Chairman, Sir. It is my privilege that when I am speaking, you are in the Chair.

The Minister of Finance and Corporate Affairs has introduced this Bill and today we have our friend here who is also piloting this Bill. There are some specific issues which need to be clarified. The statutory monopoly that was provided to certain organisations or institutions earlier is now being changed. It is a good thing or a bad thing or it is just a normal thing in the present circumstances, that is something which future will tell. But, there is a conscious decision that statutory monopoly of certain organisations is now being changed and the Government intervention has become a necessity at some quarter. That is why, these changes are occurring. 'Why are you doing it', is a question which we have to corroborate with whether in other parts of the world, these things are happening or not. I think, my friend from Shiv Sena mentioned about certain countries where these changes have already occurred, especially, the developed countries where these changes have already occurred.

15.56 hrs

(Shri A. Raja *in the Chair*)

Now, coming to the Bill that is before us today, I would say, there are four or five points in the background which we should always understand. Over the years, the Government has taken various measures to curb possible corporate misdoings. Some have also mentioned the names of those corporate bodies. In recent years, the role of some Chartered Accountants has also come under

regulatory scanner. The move to reform the disciplinary mechanism of professionals is a part of effort to improve corporate governance and the quality of preparation of reporting of key statutory documents.

The Chartered accountants play a key role in the preparation and audit of financial statements, while the company secretaries play a role in meeting statutory compliances. Cost auditors are vital in sectors where use of resources and energy needs close monitoring and have a bearing on the business' competitiveness. Auditors, accountants and company secretaries are considered as the first gatekeepers of corporate governance, on which the legal framework lays trust. The Government is also keen, I believe, to address the gaps in the self-regulation of professionals by the three institutes.

Sir, you have very correctly and also very succinctly put forth certain things. There are certain things which need to be appreciated. There are certain apprehensions which are also there and there is a need to make certain corrections, if I remember your speech correctly, and that is why, I said, corrections.

Sir, I need not go into the details of the key features but, I think, the first and the foremost key feature is that the Bill proposes a time-limit on resolving the cases under investigation. There are a number of other issues. I need not go into those. But, while analysing the Bill, a new provision has been introduced to prohibit a Chartered Accountant Firm from practicing upto two years or to cancel its registration for any period or to impose a penalty maximum upto Rs. 50 lakh where a partner or an owner has been repeatedly found guilty of

misconduct within a period of five years. These changes are very harsh. Removal from membership even for one day destroys the life of a Chartered Accountant professional because of the break in membership which plays a crucial role in getting future assignments. While stronger penalties and punishments will act as a deterrent, it may also dissuade Chartered Accountant professionals from joining together to form bigger audit firms that can match the scale and size of the firms affiliated to international firms like PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG and the EY.

16.00 hrs

Majority of non-CA Members in the Committee can pose challenges to litigants when the subject matter in litigation would mostly be analysed with reference to the domain knowledge of Chartered Accountants, and in the process, reduce the new composition as a bureaucratic hegemony.

The amendment makes it impossible for audit firms to escape accountability for misdeeds by any of its partners, even after removing the guilty partners from the firm. Such a legal provision is from an unfortunate and unkind assumption that all other partners in an audit firm are complicit with the one who is accused of professional misconduct.

Sir, the Standing Committee, in its Report, has made some good suggestions. I need not go into all those details but I have two points to make here. As my friend has just now mentioned, the qualification and licensing of Accountants in United States, United Kingdom and Canada is done by multiple bodies. In India, the ICAI has the statutory monopoly power over the whole

profession. Thus, the scope for improving the quality and competency of the profession remains limited. I believe, multiple bodies on the lines of advanced countries are needed to promote healthy competition and improve the credibility of financial reporting. As has been suggested by the Standing Committee on Finance, setting up of academic institutes for accounting for further development of the accounting and finance profession is praiseworthy. The Standing Committee has also suggested that the role of the Head of Council and the Executive Head may be separated, as proposed in the Bill, to bring about greater efficiency in decision making and functioning of the Council.

Here, I would like to mention some points relating to disciplinary mechanism. I need not quote the clauses but there are seven clauses relating to this disciplinary mechanism, which are Clauses 22, 23, 57, 58, 90 and 91. But here, through this House, I would like to draw the attention of the Government. The Statement of Objects and Reasons of the Bill states that it seeks to address the conflict of interest between the administrative and disciplinary arms of the institutes. To achieve this, the Bill proposes to change the composition of the two disciplinary entities to allow for more external representation. However, these external members will be selected from a panel of persons prepared by the three Councils. Thus, while the Bill reduces the role of three professional institutes with respect to representation of the Board of Discipline and Disciplinary Committee, it continues to rely on the Councils for nominating the external members. You may note that under the current framework, the external members on the Disciplinary Committee of the three professions are nominated

by the Central Government independently. Under the CA Act, the Central Government independently nominates one member on the Board of Discipline. It is unclear. My friend Subhashji mentioned that we have actually brought in more independence into this, and here the confusion arises.

It is unclear how the conflict of interest between the disciplinary and administrative functions will be addressed if the Councils to continue to be involved in recommending who could be on such disciplinary entities. The confusion still continues.

The Statement of Objects and Reasons of the Bill states that it seeks to achieve speedy disposal of cases against the members of the Institutes by strengthening the disciplinary mechanism and providing for time-bound disposal of cases. The Bill empowers the three Councils to constitute multiple Boards of Discipline and Disciplinary Committees. However, the Bill allows the Central Government to nominate the same person as Presiding Officer or as member across different Boards of Discipline and Disciplinary Committees. This may be incompatible with the objective of speedy disposal of cases against members. Appointing the same set of people on multiple Boards of Discipline and Disciplinary Committees may prevent these entities from hearing cases of misconduct simultaneously thereby leading to delay in disposal of cases.

Coming to clause 9 of the Bill, I would say that the Bill provides for setting up a Coordination Committee chaired by the Secretary about which, Shri Saugata Roy very vehemently stated his point of view. The Secretary of the Ministry of Corporate Affairs will be chairing that Coordination Committee to

coordinate the functions of the three institutes and ally across disciplinary regulatory mechanism for inter-professional development. The functions proposed for Coordination Committee may overlap with the current mandate of the three Institutes and the Council.

For instance, the Coordination Committee will ensure quality improvement in academics, research, and all related works of the Institutes. It will also focus on coordination among the professions. These activities are currently undertaken by the respective Councils and Institutes as the three Institutes also have Committees for coordinating among themselves. It is unclear why there is a need to set up another Coordination Council as proposed in this Bill.

The proposed Coordination Committee will be chaired by the Secretary of the Ministry of Corporate Affairs. This provision may impinge on the independence of the three institutes.

Coming to clauses 11, 16, 47, 51, 80 and 84, I have a limited point here. The Bill seems to be turning the position of the Presidents in the three Councils into a non-executive post. The Secretaries of the respective Councils are being designated as the Chief Executive Officers. However, the Bill holds the respective Presidents responsible for implementing the decisions of the Council. It is unclear how the President will ensure that the decisions taken by the Council are implemented when, at the same time, the Secretary is proposed to carry out the administrative functions of the institute as a Chief Executive Officer. So, you should make the Chief Executive Officer accountable. Why are

you making the President accountable? I fail to understand it. That is very much there in the Bill.

The Bill seems to be separating the responsibility for governance and execution by prescribing separate roles for the President and the Secretary of the Council. But holding the President responsible for implementing decisions, which is an executive role, may be against the framework of separation of powers as proposed in the Bill.

The last point on which I would like to speak is relating to disclosing details of cases being investigated that may harm reputations. This is relating to clauses 18, 20, 53, 55, 86 and 88. The Bill provides for disclosure of pending complaint or actionable information against members of the Institutes and firms registered with them. For the three professions, the Boards of Discipline or the Disciplinary Committees decide whether a member is guilty of an alleged misconduct. Publishing details of members or firms found guilty, and imposition of any penalty may be useful information for prospective and current clients. However, recording details of actionable information or pending complaint in the register of members and registers of firms before they are found guilty may adversely impact their reputation.

Regulators of other professions, such as doctors, publish details only of those blacklisted or suspended from practice. According to the National Medical Commission Act, 2019, the Ethics and Medical Registration Board and State Medical Councils are required to maintain the National Register and State Registers respectively. These registers contain details such as the name,

address and all recognised qualifications of licensed medical practitioners while the Indian Medical Register contains details of doctors who have been black-listed along with dates of suspension and revocation of suspension, if applicable. It does not contain details of complaints against the doctors.

Sir, before I conclude, I must say that it is important to facilitate a business-friendly environment for corporates as well as professionals in India. It is, therefore, vital that Indian laws and regulations on professional service keep pace with changing market dynamics. Opening of professional services to competition is necessary and therefore, audit firms should be allowed to advertise with some restrictions. Further, in a global economy, use of international brand names for audit firms must be allowed. We had deliberated, in the last Lok Sabha - the 16th Lok Sabha - on this subject.

Laws must be rationalised to promote multi-disciplinary practices to allow firms to offer a bouquet of high-quality professional services at par with international standards. The Advocates Act, 1961 also needs to be rationalised. I think, you will support me in this aspect.

HON. CHAIRPERSON: Mahtabji, you are making valid points, but let them be brief.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Sir, I will take just 30 seconds to conclude.

The Advocates Act, 1961 also needs to be rationalised to facilitate development of Indian law firms as well as Indian audit firms into MDPs. Adopting these three measures – advertising, branding and multidisciplinary practices – will not only enhance the standard of services offered to corporates

but also facilitate the audit firms to expand in size and operation enabling them to compete internationally.

Thank you.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here to speak on the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021. As I was growing up in school and college, these were the professions we always looked up to. If somebody said that his son was a chartered accountant, the first thing that would come to our mind would be 'Oh my God, what a competitive profession! The child must be very bright.' Like my friend said, it is a glorious profession. While listening to the debate, my friend, Dr. Sumathy just said that this is a meritorious batch because there are Members from IITs and IIMs. My friend, Jayant Sinha had got admission in the IIT as well as IIM. It is a very good profession to be a chartered accountant. Sir, I appreciate the effort of the Government to bring and discuss this Bill, and bring in transparency. I think in this new world, the era of technology and professionalism, globally this is something that we need to do, which is a good thing, but I really do not understand what the need is. My colleague, Saugata babu also talked about it; Mahtabji talked about it; Rajaji talked about it; everybody talked about it. What is really the need? There are these three verticals already doing a good work. If there is their own way of handling their issues, what is the need of bringing all of them under one umbrella? Is there a specific reason or intention? Which methodology is going to make sure that there are no mistakes? It is a welcome step, but what is the

solution to this? In the Statement of Objects and Reasons, they have said that this is to provide for autonomy of the Council of the respective institutes. Now I am quite amused either the Treasury Benches are confused. I cannot understand. I will come to that. Baherijaji made a very nice speech. I compliment him, but it is slightly different from what the Government is trying to communicate and what he said. He said that this will help simplify and reduce Government's interference and bring in more autonomy. How does this bring in more autonomy? It is actually the other way round. Like Rajaji rightly said, what is really the agenda? There is a hidden agenda. I think, I would like to second what he said that why you are taking away the autonomy of these institutes, by bringing in Government. He made a very good point. He was very happy to share with us that no money is given by the Government to run any of these institutes. This means that these are privately-run professional institutes in this country for the last 70 years.

So, what is the need to say that we need to audit, our people need to go in. This defeats logic for something which is independent, which does not take a penny. I am not saying this, the Chartered Accountant himself who was speaking on behalf of the Treasury Benches is saying that सरकार से पैसा नहीं लेते। Then, why are you auditing? Why are you interfering in Institutes and playing in an area which does not belong to you? This is then no more a democracy. Right? I do not want to use harsher words but this is where exactly we are heading. This is a very serious concern for me.

Then, he raised a point about investors' protection. I second that. Every investor should be protected. I would like to bring to the notice what Sougata *babu* said. He talked about Satyam. I still remember the American crisis, the Goldman Sachs dream. Every child all over the world wanted a job in Goldman Sachs. You know what happened. Then, there was AAA, DHL, and IL&FS like Dr. Satyavathi said. Everybody mentioned it and it is very interesting. It is exactly what Modi ji, the hon. Prime Minister said. He said that there are four big boys who are the auditing teams. Now, what is interesting about the four big boys – which I have mentioned earlier in one of my speeches – is they will only audit, they will give you AAA rating, they will only tell the bank that yes, this is a good company, and when it goes down, they will only say it is a bad company. So, how does this work? अच्छा बोलने वाला भी वही है, गलती निकालने वाला भी वही है। Who takes accountability for this?

Hon. Modi ji said the same thing. He said that there are four big boys playing here in this game, that India needs at least by 2022 big eight. Have the big eight come or not? I really do not know because a lot of jingoism happens in this Government. Where are we headed in this area? Already, there are multiple bodies and regulators. Do we really need another regulator or are these not strong enough? What existing regulation is there, is my question to the hon. Government.

The second thing they have talked about is balance sheets, related issues, and a lot of things about two-year audit, three-year audit, and five-year audit. My question to you is this.

If you are an auditor of a company for three years and somebody comes in according to this new rule and he is a whistle blower, what protection will you give to the whistle blower? There is still a grey area in it. Will whistle blowers be protected?

Now, this is something for which I do not have any proof but this is what I have heard and I would like to put it on record, and I am happy to take it back if it is wrong. Let me put it on record. I was informed about this and it has come in some media papers also but I do not have confirmed information. Normally, I like to table what I say. I like to authenticate what I say. When demonetisation happened, there was a Chartered Accountant firm which the RBI had chosen to make sure to find out how much money was collected and how many notes were collected. The Government report said it was 99.9 per cent. But there was a grey area where there was some transaction done with our currency with neighbouring countries like Nepal. Now, that money was actually above 100 per cent. That auditing firm which was trying to be honest, trying to be very transparent, the following year was asked to leave, and the RBI is not using that firm. So, does that mean that when I am a whistle blower and I am being honest, when it does not suit the Government, you will remove them? Then for what you will use the statutory body? If you are really cleaning up the system, why did you remove that agency? Can this Government tell me that what does it mean when it talks about transparency or to walk the talk and not just make legislation and do all this jingoism?

They were talking about NPAs yesterday and I was actually deeply pained. I am very proud of our Finance Minister, I am proud she is a woman, she leads, and for the last two-and-a-half weeks that we have been in Session mostly Finance has been the department that we have discussed. So, I am very proud of her but I do see sometimes that she is getting a little unhappy now-a-days, especially with all of us. Yesterday, during the Question Hour, there was a question about non-performing assets. This is all connected to it. That is why I have brought it up. It was mentioned that auditors are questioned that आपने गलती की, फिर यह नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, फिर पता नहीं क्या हो गया, बैंक में हो गया, यह सब यूपीए के हैं। Okay, I will bear the brunt. हमसे गलती हो गई, हम मानते हैं। We were together in UPA. Okay, we may have done something wrong, and people sent us home for that. They did not put us back in.

So, I accept that but if you are saying that all the NPAs are our fault, I just want to ask two questions to this Government, and I have many examples which I can give.

You have said that you brought in the law of IBC. In IBC, what are the kind of haircuts you are going for? NPA is a bad thing but haircut is a good thing! What is this logic? I will give you two examples of course and there are many like this. I am just putting two quick and forward issues. There is a company called Coastal Project.

This company was worth Rs. 8,000 crore. When it came to NCLT, it came to Rs. 1,500 crore. So, it came down from Rs. 8,000 crore to Rs. 1500 crore. Now, what is the rule of NCLT? The rule is that if 66 per cent people are willing,

you can go for that price, and if even one banker says `no', it is rejected. Now after it went into liquidation which is the next step, this company which was at NCLT, going for Rs. 1500 crore went for Rs. 400 crore. 900 करोड़ रुपये का किसका नुकसान हुआ? भारत सरकार का, गरीब आदमी का नुकसान हुआ।

Next is IVRCL, another example, which is a bigger company. It was worth Rs. 12,000 crore. What was the NCLT cost? It was Rs. 2,500 crore. You could have referred it to NCLT, but the Government said `no NCLT'. How much did they sell it for? It was sold at Rs. 800 crore. So, just in these two companies, the Government of India has lost more than 2,000 crore of rupees. ... (*Interruptions*). These are not just two companies ... (*Interruptions*). The next is Jet Airways. This is all in the newspaper. I am not into some rocket science. I am not an expert on Finance. I am just going by what I am reading in the newspapers. Rs. 2,00,000 crore is what they claim is lost.

Rs. 2 lakh crore is the total amount. Do you know how many zeroes are there in Rs. 2 lakh crores?

Sir, Rs. 2,00,000 crore is what this Government has lost because they are confused एनसीएलटी करेंगे तो आरोप हो जाएगा, इसलिए लिक्विडेशन में जाने दो। So, are you purposely doing it for some cronies? I have no idea about it. I do not know who is doing it. But can they answer this question? They attack us on NPA. With full humility we are asking this.

* ...* English translation of this part of the Speech originally delivered in Marathi.

They are talking about all these rules. In 2013 we had made a lot of changes. You were a part of that Cabinet. So, you know that. But they did not make the rules. So, things were delayed. It is very easy to blame us that these people have done all these bad works, and they are the ones responsible for that. It does not work like that.

Talking about autonomy, what worries me about this is that in every professional institute this Government wants to throttle the voice. Then how is it going to work? Look at this. This is very interesting. In the Statement of Objects and Reasons, they have written that it would enhance accountability and transparency by providing for the audit of accounts of the Institutes by a firm of chartered accountants to be appointed annually from the panel of auditors maintained by the Comptroller and Auditor-General of India and provide autonomy. What sense does it make? It almost feels like a joke because this is a legislative mockery. It is absolutely a legislative mockery. Through all these confusions, the signal that they are giving us is that there will be Committee after Committee, somebody will come from the Government, that is from the Ministry of Corporate Affairs, etc. What are you doing?

Then my friend Shiv Kumar Udasi was talking yesterday about ease of doing business. Shiv Kumar Udasi ji, all this is not going to help improve the ease of doing business. This is only going to create a problem. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Mohammad Basheer.

SHRI S.C. UDASI (HAVERI): Sir, talking about ease of doing business, what was the ranking when UPA was there. For 10 years, क्या रैंकिंग थी? अभी क्या रैंकिंग है? उसके बारे में बोलना था।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: I am glad that he raised this point. I just want to bring to his notice that the World Bank has stopped ...
(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record except Supriya Sule's speech. ... *

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: The World Bank in its official note has said that ease of doing business is something that they have stopped looking at. So, I urge the Treasury Benches that do not repeat that. ...
(*Interruptions*).

Even Baheria Ji talked about the Investor Protection Act. ...
(*Interruptions*). I did not want to talk about this topic ... (*Interruptions*) I am happy to yield. Do you want to say something? One minute, he wants to say something.

SHRI S.C. UDASI: Sir, about ease of doing business, the World Bank has given a report, and she was talking about some World Bank report which was a deep fake news. She can go and talk about it which is a fake news. फेक न्यूज को इधर कोट करना है। आप सबको पता है कि सोशल मीडिया में क्या-क्या हो रहा है? ... (व्यवधान)

* Not recorded

HON. CHAIRPERSON: Your time will come. Your party people are going to speak.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, if you are able to prove that it is a fake news, your time will come. Your Members are going to speak. At that time you can reply. Supriya Ji, please carry on. Please conclude your speech.

... (*Interruptions*)

प्रो. सौगत राय: सर, फेक न्यूज़ कुछ होती नहीं है। ये गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

HON. CHAIRPERSON: Nothing will go on record. ... *

Supriya Ji, please carry on.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, I am so worried about the ...
(*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Do not invite trouble.

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You please finish first.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Sir, I am so worried about the news item. ... (*Interruptions*) Yesterday, there was an item, which was Tweeted by somebody, which was All India Radio that says that over 1.5 lakh investment has left India. I am not saying this. This was there yesterday in the media. It was an All India Radio Tweet, which was deleted two hours later. I do not know.

* Not recorded

Then they are saying fake news. So, what do we believe now? It was the All India Radio. What is their Department doing? Should there be not a complaint on this? ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Please come to the point, and kindly finish your speech.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: So, my only request to this Government is that I appreciate that they are doing it. ... (*Interruptions*) This is legislative mockery being done here, and when they are talking that they want investors protection, how are they protecting their investors?

I do not want to go into that topic of crypto, but just today in my State in Pune District there was a case. ... (*Interruptions*) So, when this Government says that they want to protect the middle-income thing with Investors Protection Act, what are they doing for it? They are doing nothing. How are they protected? I have given you examples. Whom have they protected after the NPAs and liquidation? Had they done this NCLT business, उससे लोगों को दो रुपये तो मिलते, अभी तो कुछ नहीं मिलने वाला है। They are only giving them a lollipop, which they will not even be able to afford that much.

So, I would request this Government to make sure not to make a mockery, and like all the Members who spoke earlier have said to send it to a Select Committee. It can be discussed there, but today's Chartered Accountants do not need this kind of interference. No organization needs interference. अगर कल स्पोर्ट्स में यही करेंगे, so what will happen there? ... (*Interruptions*) What will happen in every professional organization in this country, which is run

efficiently? It should be left alone. Let us have faith in Indians. All Indians are not corrupt and all Indians are not crooks. So, let the professionals do their job, and let the Government do its job. Thank you, Sir.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Thank you very much, Sir. These kinds of legislations are taking place worldwide. As far as India is concerned, here also it is inevitable. The Government says that this amendment is done to meet the changes taking place in the economic and corporate environment, and this kind of legislation is very much required in this country.

It is also stated that amendment of the Act is based on the recommendation of a high-level Committee constituted by the Ministry of Corporate Affairs. While reacting on this, I am having mixed feeling. Now, the intention of the Government may be good. What is their intention and desire? It is on strengthening the disciplinary mechanism, speedy disposal of cases that too within a timeframe, provide for a separate chapter on registration of firms, enhance accountability and transparency, provide for autonomy to institutes for fee fixation, etc. *Prima facie*, this may look nice, but while going through the clauses of the Bill, one will feel a lack of confidence and serious doubt whether this Bill can achieve the real goals as envisaged in the aims and objectives.

Now, let us come to the point. My doubt is that the interest of the corporates is given more consideration in this Bill. Secondly, the Government is taking a kind of extra interest on tightening the grip on autonomous bodies. This Bill provides for constituting a Board for Discipline and its composition is also

mentioned. If you look into this, we feel that the Government's nominees get excessive power in this legislation, even though the Bill says that this is to address conflict of interest between the administrative and disciplinary arms of the institute. I have my own doubt whether this Bill will have a negative impact other than what has been visualized in this Bill.

In this Bill, you are saying that it is about autonomy, but in fact, this may help to abridge the autonomy. It is true that I am not in favour of unlimited autonomy. I believe that autonomy should be coupled with accountability. Here, I agree with the content of the Bill. Further, multiple Boards are suggested in this Bill.

With regard to presiding officers, what we can see is that the Bill amends the Act providing that the presiding officer must not be a member of the Institute and shall be nominated by the Central Government. Everybody differs on this point. That is not justice. If you give an upper hand to a Government nominee taking the place of a subject expert or a technical member, that will have adverse effects. It is something that I object to. The Government nominee is not a full-time sitting member. So, his service may also be very much limited.

Administrative and professional knowledge have to be considered. Instead of bureaucrats controlling the entire thing, the technical persons and their skills have to be respected in modern times. There is another handicap. This kind of action may demoralise our technical experts in various bodies.

In this legislation, a coordination committee is mentioned. Earlier, Many of my learned Members were talking about it. I do not understand what kind of

coordination it is going to make. I have gone through the Bill. I do not find a logic here. Well, my objection is not that. The chairman of this coordination committee is the Secretary of Corporate Affairs Ministry. It is not fair because how can he control the entire thing? Not only that, on the top of this independent body, you are putting the Secretary of Corporate Affairs Ministry which is not progressive, and at the same time, it is a regressive move.

I would like to say that in such professional institutions, a general kind of encroachment is taking place. The autonomous nature of such institutions has to be respected. In these institutions, if we put the Government officers, the very spirit of the autonomy will be forfeited. That is my apprehension.

Lastly, during this brief discussion, the hon. Members made their observations but, at the same time, it must have a threadbare discussion on a wider scale. So, I suggest that this Bill be referred to a Select Committee.

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, दी कॉस्ट एंड वर्क्स एकाउन्टेन्ट्स एंड दी कंपनी सेक्रेटरीज (अमेंडमेंट) बिल, 2021 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, यह विधेयक अनुशासन समिति के प्रमुख के रूप में गैर-सी.ए. के लिए प्रावधान करके चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पेशेवरों की शक्तियों को कम करता है। अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में केवल विशेषज्ञता और अनुभव वाले सी.ए. को निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन यह विधेयक उस प्रावधान को समाप्त कर रहा है। नए विधेयक में अदर मिसकंडक्ट की विशिष्ट परिभाषा प्रदान नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप अस्पष्ट और खुले शब्दों का दुरुपयोग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट और

अनावश्यक संसरशिप में कटौती करने के लिए किया जा सकता है। विधेयक में सी.ए. लागत लेखागारों और कंपनी सचिव के तीन संस्थानों के बीच कार्यों को समन्वित करने लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया है। तथापि, आई.सी.ए.आई. द्वारा इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है कि ऐसी समिति संस्थाओं को स्वायत्तता और निर्णय लेने में अनावश्यक घुसपैठ का कारण बनेगी। पीएम मोदी जी ने कहा था कि बैंकरप्सी कोड और दिवाला समाधान प्रक्रिया जैसे कानून बनाने में सीए की बड़ी भूमिका है। फिर भी इस मामले की सच्चाई यह है कि इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड, जिसे एक बड़े सुधार के रूप में भी पारित किया गया था, पूरी तरह से विफल हो गया है। अब तक अधिनियम के तहत सीआईआरपी, कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए संदर्भित 3,312 मामलों में से केवल 190 को समाधान द्वारा बंद किया जा सका है। इससे पता चलता है कि मोदी जी का सुधार केवल कागजों पर है, जमीन पर नहीं है।

मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। यह सच है कि नये आयकर पोर्टल ने तकनीकी गड़बड़ियों के कारण सीए और करदाताओं दोनों के सामने भारी समस्या पैदा कर दी। यह महीनों में ठीक नहीं हुई। सुधार और नये पोर्टल का भी मतलब नहीं है, यदि वे जमीन पर काम करने में विफल रहते हैं। इस प्रकार मौजूदा कानूनों में सुधार की ज्यादा जरूरत है। मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार को मौजूदा कानूनों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): महोदय, दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दी कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एंड दी कंपनी सेक्रेटरीज (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरे पूर्व वक्ता, मेरे सहयोगी सुभाष बहेड़िया जी ने बिल और अमेंडमेंट की मेरिट्स के बारे में जो बातें कही हैं, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। बहेड़िया जी ने इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संस्था के बारे में कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं भी इस मत का हूँ कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक अच्छा काम किया है। हमारी महाराष्ट्र की बहन सुप्रिया सूले जी ने कहा कि जब अच्छा किया तो

आप इसे क्यों ला रहे हैं? जो अच्छा हो रहा है, उसमें और अच्छा करने का हमेशा स्कोप होता है, गुंजाइश होती है। देश के प्रधान मंत्री सम्माननीय मोदी जी हमेशा और अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बातें करते रहते हैं और वे स्वयं भी ऐसा करने का प्रयास करते हैं। इसका फल हम लोग वर्ष 2014 के बाद में देख रहे हैं। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, देश प्रगति कर रहा है और देश के लोगों का सरकार पर विश्वास बढ़ रहा है। यह जो विश्वास बढ़ रहा है, इसे और बढ़ाने का प्रयास इस बिल के माध्यम से वे कर रहे हैं।

सभापति महोदय, बिल के मुख्य बिंदु के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पेंडेंसी ऑफ केसेज जो डिसपोज नहीं होते हैं, उनके लिए अमेंडमेंट लाया गया है। इसमें 3:2 का रेश्यो था, तीन चार्टर्ड अकाउंटेंट के मेंबर्स और दो गवर्नमेंट के मेंबर्स होते थे। मैं ऐसा मानता हूँ कि पहले ही इसमें गलती हुई है। यह पहले से ही ऐट पार 3:3 का रेश्यो होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। उसे अभी और अच्छा करके आगे बढ़ना बुद्धिमान लोगों का काम है। इस बिल के माध्यम से सरकार वह प्रयास कर रही है तो मैं मानता हूँ कि हम सब लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए।

महोदय, बार-बार ऑटोनामी की बात आती है। मैं तीस साल से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में काम कर रहा हूँ। कॉरपोरेशन में हो, विधान सभा में हो या पार्लियामेंट में हो, यहां ऑटोनामी की बातें होती हैं। मैं हमेशा इस बात से सहमत हूँ कि ऑटोनामी को भी एक चौखट, एक स्क्वायर बॉक्स में रहकर ही काम करना है। किसी भी व्यक्ति को कोई सुपर पॉवर नहीं है कि वह कुछ भी कर सकता है। ऑटोनामी का मतलब ही यह होता है कि जो रूल्स, नीति-नियम बनाकर उनको काम करने के लिए दिए गए हैं, उसमें गवर्नमेंट के लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। ऑटोनामी का मतलब ही उतना होता है। ऑटोनामी यह नहीं है कि वह कुछ भी करेगा, तो चलेगा। कोई ऑटोनामी नहीं की गई है। मैं तो मानता हूँ कि ऑटोनामी को और मजबूत बनाने का प्रयास हो रहा है, ऑटोनामी को और स्वस्थ बनाने का प्रयास हो रहा है, इसलिए हम सबको इस बिल का समर्थन करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। कोऑर्डिनेशन कमेटी है, अमेंडमेंट जो आया वह कोऑर्डिनेशन कमेटी में आया है, डोमिनेशन कमेटी नहीं है। What is the meaning of coordination? मिलजुलकर काम करना

है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हमारे देश के प्रधान मंत्री कर रहे हैं। सेंटर और स्टेट के सहयोग से अच्छा काम चल रहा है। कोआर्डिनेशन जितना ज्यादा हो, जितना अच्छा हो, वह एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं मानता हूँ कि यह जो बदलाव आया है, इसका हम सबको समर्थन करना चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है। पहले हमारे देश में इंडस्ट्रीयल सेक्टर इतने बड़े पैमाने पर नहीं था। वर्ष 1991 में डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट के बाद देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उस रफ्तार से जितने बच्चे सीए पास होकर आने चाहिए, उतने नहीं आते, ऐसा मेरा मानना है। क्या यहां पर भी कोई मोनोपॉली क्रिएट करने का प्रयास होता है? इसके बारे में भी हम सभी लोगों को सोचने की आवश्यकता है। सरकार किसी की भी हो, ए की सरकार हो या बी की सरकार हो, सरकार चलाने के लिए टैक्स के माध्यम से आए हुए पैसे से सरकार चलाते हैं। सरकार अच्छे ढंग से चले और देश के लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए टैक्स ज्यादा कैसे आए, उसके लिए हम सब लोगों को मिल कर प्रयास करना चाहिए।

देश के प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने एक क्लिप देखा है। बीते साल का उन्होंने क्वोट किया कि 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग फॉरेन घूमने गए, कितने करोड़ लोगों ने नई गाड़ियां लीं, यह अच्छी बात है। हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति कर रहा है, लोग सुखी हो रहे हैं, लोग संपन्न हो रहे हैं, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन देश की तिजोरी में टैक्स के माध्यम से पैसा कितने लोग भर रहे हैं, क्या इसे देखने का काम सदन में बैठे हुए मंबर ऑफ पार्लियामेंट का नहीं है, क्या इस सेक्टर में बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है?

मैं मानता हूँ कि जो अच्छे चार्टर्ड अकाउन्टेंट हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, सभी लोग करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ, आने वाले दिनों में भी सम्मान करेंगे। लेकिन हर जमात में अच्छे और बुरे लोगों की संख्या है, ज्यादा या कम, उसके बारे में डीबेट या डिस्कशन हो सकता है। इस सेक्टर में जो गड़बड़ी हुई या घोटाले हुए या धांधली हुई, उनको मदद करने वाले भी इस सेक्टर के लोग थे। क्या उनके बारे में सरकार को कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए? हम मंबर ऑफ पार्लियामेंट को

देश के लोगों ने यहां चुन कर भेजा है। क्या हम लोगों को इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जो गलत काम करने वाले हैं, क्या उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर एक्ट में कोई प्राविजन नहीं है तो क्या उसके बारे में बदलाव नहीं होना चाहिए? मैं मानता हूँ कि इसमें बदलाव होना चाहिए और सभी लोग मानते हैं कि बदलाव होना चाहिए। इस बदलाव को लाने का प्रयास सरकार कर रही है।

सभापति महोदय, इस बिल में अमेंडमेंट्स में बदलाव लाने का सही समय है। देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एमएसएमई सेक्टर कितना तेजी से बढ़ रहा है। मैं मानता हूँ कि चार्टर्ड अकाउन्टेंट इंस्टीट्यूशन के लोगों को, आने वाले दिनों में, ज्यादा संख्या में बच्चे पढ़कर बाहर निकलें, इसका हमें प्रयास करना चाहिए। एक समय था जब दो-तीन परसेंट बच्चे पास होते थे। अब यह परसेंट बढ़कर आगे बढ़ा है। मैं मानता हूँ कि इसमें और आगे जाने की आवश्यकता है।

जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब पांचवीं और छठी क्लास में जो पढ़ाई करते थे, वह पढ़ाई आज हमारे घरों में नर्सरी के बच्चे पढ़ते हैं। हमको भी कभी-कभी आश्चर्य होता है कि यह क्या हो रहा है?

चार्टर्ड अकाउन्टेंट में ऐसा कौन सा इतना बड़ा टेक्नीक है, इसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी मोदी जी के जमाने में सब कुछ डिजिटल इंडिया के माध्यम से सारे पेपर्स आते हैं, उसको केलकुलेशन करके हिसाब करके कितना टैक्स भरना है, यह तय करना है, यह तय करना चाहिए।

इस देश में हम लोगों ने यह भी देखा, एक जो पेपर्स देते हैं, उसके हिसाब से कितना टैक्स भरना है, ग्राहक को बताता है। दूसरा, एक तरीका है, सीए आपसे पूछता है कि आपको इस साल में कितना टैक्स भरना है। यह हम सभी लोगों ने देखा है। हम सब इस दायरे में से गुजरे हुए हैं। सरकार जैसे चलती थी, सरकार को जैसे लोगों ने चलाया, वैसे चलने का प्रयास लोगों ने किया। अब बदलाव का समय आ गया है।

मैं मानता हूँ कि बड़े पैमाने पर जो छोटे-छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनको टैक्स के दायरे में लाने का प्रयास करना चाहिए। इसे लाने का प्रयास कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउन्टेंट लोगों को ही करना चाहिए। जब हमारे मत विस्तार में वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है तो चुनाव के पहले हम

लोग उसका नाम एनरॉल करते हैं ताकि ये हमको वोट दें देश में व्यवसाय करने वाले लोग हैं, अगर वे टैक्स नहीं भरते हैं तो उनको टैक्स के दायरे में लाने का काम चार्टर्ड अकाउन्टेंट लोगों का है। मैं मानता हूँ कि हमारे चार्टर्ड अकाउन्टेंट भाई बहुत जवाबदेही से काम करेंगे। मैं मानता हूँ कि इनको एक टारगेट देना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री होने के नाते हम सभी सांसदों को आदर्श ग्राम के नाम पर एक-एक एरिया काम करने के लिए दिया, हम सभी लोगों ने किया। उसकी संतुष्टि भी हमको मिली, हमको समाधान भी हुआ कि हम अपने मतदाता क्षेत्र से बाहर जाकर अन्य लोगों की भी सेवा कर पाएँ। चार्टर्ड अकाउन्टेंट इंस्टीट्यूशन के लोगों को नए टैक्स के दायरे में बड़े पैमाने पर लोगों को लाने की आवश्यकता है, जिससे बड़े पैमाने पर टैक्स आएगा, टैक्स जितना आएगा उतना ही हम बेहतर काम कर पाएँगे। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का दो साल से एमपीलैड बंद है, अभी फिर से चालू हुआ है। महाराष्ट्र में जो एमएलए होते हैं, उनको 5 करोड़ रुपये मिलता है। हम 6 विधान सभा के एमपी को 5 करोड़ रुपये मिलता है। मैं मानता हूँ कि टैक्स के माध्यम से अगर सरकार के पास ज्यादा पैसा तिजोरी में आएगा तो हम उसके भागीदार भी बनेंगे। *We can deliver the goods better than how we are delivering today.* हमें भी उसका लाभ मिलने वाला है। इस क्षेत्र में पोलिटिक्स को बाजू में रखकर सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है।

महोदय, इस बारे में डिबेट हो सकती है, डिसकशन हो सकती है, बदलाव हो सकता है, जो कि आने वाले दिनों में होगा। इन्सॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड और जीएसटी में हर सत्र में अमेंडमेंट लाकर सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता थी, मैं मानता हूँ कि वर्ष 2014 के बाद इस सरकार ने पूरा प्रयास किया है। पहले कायदा बनने के बाद 10-15 साल तक अमेंडमेंट नहीं आता था, चलाओ, चलने दो, कोई पूछता ही नहीं था। अब जो भी करेक्शन होती है, रिलेटिड लोग बता देते हैं कि इसमें यह सही है और यह सही नहीं है। सरकार ने इन्सॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड और जीएसटी में हर बार बदलाव करके आगे बढ़ने का प्रयास किया है।

महोदय, आने वाले दिनों में इसे और बेहतर करने का स्कोप होगा तो हम संसद में बैठे ही हैं और यह हो सकता है। इसमें इतना सोचने की क्या आवश्यकता है? मुझे नहीं लगता कि चार्टर्ड

एकाउंटेंट है तो वही चेयरमैन होना चाहिए। कभी-कभी आईएस अफसरों से मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट गाइडेंस लेते हैं, क्योंकि हम प्रेक्टिकल हैं। हमें पता चलता है कि मतदान क्षेत्र में लोग किस तरह से परेशान हैं। यह कोई मापदंड नहीं हो सकता है कि किसे क्या करना है और क्या नहीं करना है।

महोदय, पैनल में से मैम्बर ऑडिट करेगा, मुझे लगता है कि यह अमेंडमेंट सही है। कोई भी सर्जन कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन बीमार होने पर अगर ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है तो किसी और डॉक्टर के माध्यम से ही हो सकता है, वह स्वयं नहीं कर सकता है। हम सबको ओपन माइंड से सही बातों को स्वीकार करने की आवश्यकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। किसी को यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि यह बहुत बड़ा है, पढ़ा-लिखा है, बहुत बड़ी डिग्री है और वही सब कुछ कर सकता है। हम पार्लियामेंट में देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स किस प्रकार की परफार्मेंस देते हैं और महानगर पालिका के स्कूल से पढ़कर आने वाले लोग किस तरह की परफार्मेंस देते हैं। हमने संसद में और बाहर भी देखा है। हर व्यक्ति को काम करने का स्कोप देना चाहिए। यह सरकार हर आदमी को काम करने का स्कोप दे रही है। इसे समाधान मानकर हम सबको इस बिल का सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। आने वाले दिनों में जिस भी बदलाव की आवश्यकता होगी, मैं मानता हूँ कि सरकार उसका संज्ञान लेगी।

मैं चार्टर्ड एकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन के अच्छे सीएज का एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने बहुत लंबे समय तक इस सिस्टम को चलाया है। इस सिस्टम को और अच्छे ढंग से चलाने के लिए सरकार अमेंडमेंट लाई है और हम सबको इसे खुले मन से स्वीकार कर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।

महोदय, इसी भावना को व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Chairperson, Sir, for affording me this opportunity to take part in the discussion on the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021.

Sir, I rise to oppose the Bill. This Bill has come up for discussion only because of the statement of the hon. Prime Minister made at the ICAI Foundation Day. He told the Chartered Accountants that their signatures are more powerful than that of the Prime Minister, and also asked them to introspect and improve their standards. The hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji had also highlighted ICAI's embarrassing disciplinary record, where only 25 errant auditors had been prosecuted over the past 11 years, and 1,400 cases were pending. This is the root cause behind generating this Bill.

The only question which I would like to ask the hon. Minister is, whether the proposed amendment Bill is sufficient to meet the purpose or the observation of the hon. Prime Minister, made during the ICAI Foundation Day. According to me, 'No'. It is because all these three organisations, the Institute of Chartered Accountants of India, the Institute of Cost and Works Accountants of India, and the Institute of Company Secretaries of India, are the creation of different statutes of Parliament. They are independent, autonomous bodies. What is the proposed amendment in the Bill?

In the Bill, all these three professional bodies, that is, the Chartered Accountants, Cost and Works Accountants, and Company Secretaries have to be there and their powers have to be limited. There are Chartered Accountants

Act of 1949, Cost and Works Accountants Act of 1959, and Company Secretaries Act of 1980. All these three Acts have to be amended, regulating the professions of Chartered Accountants, Cost and Works Accountants, and Company Secretaries. So, the proposed amendments are with an intent to place chartered accounting under a considerable scrutiny with more regulatory control and thereby, to strengthen the disciplinary mechanism of the chartered accountants.

Sir, Chartered Accountants play a very important role in the country in the preparation of an audit of financial statements, whereas the Company Secretaries play a vital role in strict compliance of the statutes. That is the role of the Company Secretaries.

With regard to this Amendment Bill, I would like to express one major concern, which is, about the autonomy. Most of the hon. Members have already stated with regard to autonomy in this House. From 2014 onwards -- after the BJP-led NDA Government came to power -- they have been trying or attempting to encroach upon the autonomous bodies and all other independent autonomous organisations to have their authority on them. We have seen this in the case of National Medical Commission Act. Nowadays, everything is being controlled, guided, regulated, and decided by the Government of India because their representatives are controlling the National Medical Commission.

Similarly, this Executive is imposing and encroaching upon the various autonomous institutions. This is another typical example by which the Government of India is encroaching upon the autonomous character of all these

three organisations. So, that is the main apprehension or opposition which I would like to state.

Hon. Chairperson, Sir, these three institutions are having self-governing or self-professional institutes. They are self-professional institutes or bodies. As has been rightly pointed out, no money or no budgetary grant is from the Government. My concern is that the autonomy of the professional bodies is under attack. The Government is slowly taking over the control of all these institutions just like in the case of the National Medical Commission Bill. What is the role of self-governing professional bodies?

I would like to quote the speech or observations made by the hon. Chairperson of the Standing Committee on Finance, Shri Jayant Sinha Ji in the Standing Committee. I would like to quote it and I quote:

“The autonomy and independence of the professional institutions should not be interfered unnecessarily. The integrity associated with the financial reporting cannot be diminished in any way since it reflects the business standards and financial robustness for the entire country.”

This is the observation of the hon. Chairperson of the Standing Committee, Shri Jayant Sinha. I have got it from the records.

Sir, that has been the observation of the hon. Chairperson of the Standing Committee on Finance. They have scrutinised the Bill. How can the Standing Committee agree with the provisions of this Bill? That is a pertinent question which I would like to ask because autonomy shall never be interfered

unnecessarily. Here, interference or unnecessary interference of the Executive on the professional autonomous bodies is there. Shri Jayant Sinha -- as the hon. Chairperson of the Standing Committee on Finance -- is making a very clear observation regarding the autonomous character of all these organisations. But at the same time, supporting this Bill means a square contradiction to the observation which he has already made.

So, let us examine the crucial amendments which are being proposed in the Bill. I am confining to only three amendments. The first amendment is with regard to Section 9A. A new provision has been incorporated, that is, Section 9A, by which a Coordination Committee will be constituted. What is the composition of the Coordination Committee? The Coordination Committee will consist of the President, Vice-President, and the Secretaries of all these three organisations, that is, the Institutes of Chartered Accountants of India, the Cost Accountants of India and the Company Secretaries of India. The members of the Committee will be from all these three organisations.

Who is chairing the Committee? The chairman of the Coordination Committee is the Secretary of the Ministry of Corporate Affairs. It is shameful. Is it independent? Is it an autonomous character of an organisation? The Secretary of the Ministry of Corporate Affairs will be chairing this body comprising of all the three organisations, and the name of this committee is coordination. What is the purpose? What is the purpose of that Committee? It is for the development and harmonisation of the professions of chartered accountants, cost accountants and the company secretaries. Since I have no time, I will not go into

it. If you examine Section 9A, the powers and functions of all the three organisations are totally regulated by the executive. That is looked after by the Secretary, Ministry of Corporate Affairs. He is the Chairman.

He is regulating and he is not only regulating but also controlling. So, the first and strong objection is regarding Section 9A. In this, a new Section is incorporated. It is totally against the autonomy of all these organisations.

Number two, it is about the amendment of Section 21. Since I have no time, I am not going to read the sections. That is about the Disciplinary Directorate. I fully agree with that amendment because in that, the appointment of at least two new joint directors to deal with the disciplinary cases is there. I have no objection in this. It is because this will enhance the capacity of the Disciplinary Directorate to deal with the complaints and also fixing a timeframe by which the petitions or the complaints or the information have to be disposed of within a fixed time. I fully agree with that amendment.

Coming to another controversial amendment is amendment to Section 21A. Sir, you may kindly see the proposed amendment. Who will be the Chairman of the Board of Discipline? The Chairman and one member of the Board of Discipline will be nominated by the Central Government.

The Chairman and one member shall not be a member of the Institute. He shall never be a member of the institute.

Now, I will come to amendment to Section 21B. That is Disciplinary Committee. In this, it is said that the Presiding Officer and two other Members are nominated by the Central Government who are not the Members of the

Institute. Where is the independence and autonomous character of all these organisations? The Presiding Officer as well as two Members of this Disciplinary Committee who are not the Members of the Institute of Chartered Accountants of India will be governing this Disciplinary Committee. What is the role of this institution? Where is the independence and autonomy? The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is having a long tradition and having the largest strength. It has nearly 3.5 lakh members and 7.5 lakh students. I am aware of the main concerns of the ICAI. I have all the details. Since I have no time, I will not go into it. Their main concern is this. The Presiding Officer of the Disciplinary Committee should be a chartered accountant. In the present mechanism, there are five members – two from the ICAI, two from the Government of India and one is by the President. That means two Government nominees are already there. You may kindly see this. All the decisions during the last 72 years are taken unanimously.

Not even a single instance of dissent was there. The presence of the Government's nominee is mandatory for quorum.

As per the present provisions of the Act, even the presence of the Government nominee is a must for having the quorum of the meeting. The President and the Vice President of the CCM are elected representatives of the ICAI and are elected representatives of the ICAI and are accountable subject to public scrutiny.

In this Act, it is being stated that they are not having accountability. As they are elected representatives of the ICAI, they are subject to accountability and are also subject to public scrutiny.

Since 72 years, this practice is there without any complaint in the system. In all these cases, the Government nominees are acting as umpire. The Government nominees are acting as umpire. This was the position. This was the precedent.

So, the conduct of the professionals should be judged by the professionals only. This should be applicable to all the professionals. You are an eminent advocate. I am also from the legal profession. Who is judging the capacity or the conduct or misconduct of an advocate? It is the Chairman of the Bar Council or the Disciplinary Committee of Bar Council. It is to be done by the lawyers.

As far as the National Medical Commission is concerned, we have now enacted a law. In that, majority of the Disciplinary Committee Members are doctors. Why, in the case of chartered accountants alone, is it not applicable?

Here the conduct of the professionals should be judged by the professionals only. In the National Medical Commission Act, 2019, there is a disciplinary mechanism for the failure of the doctors by the majority of the doctors. In the Disciplinary Committee, according to the National Medical Commission Act, 2019, a majority of the disciplinary Committee Members are doctors.

17.00 hrs

Yes, it is absolutely right because professionals are to be judged by professionals only. Similar is the case with the Bar Council of India. What is the reason for this? The Government says it is conflict of interest. If Government says it is conflict of interest, then none of the autonomous organisations in the country can function independently.

The Government can say that there is conflict of interest everywhere. Many objections have been raised by the ICAI. I am not going to read all of these. They are suggesting that the Presiding Officer of the Disciplinary Bench should be a Chartered Accountant. If the Government has any amendments, I would request them to come with some positive amendments. The advantages of the present Disciplinary system have to be kept in mind.

The concern with regard to the proposed changes envisaged in the Bill is that audit and accounting require highly specialised skill and in such a scenario, the Government proposes to put a Secretary or a Joint Director or some Executive from the Ministry to perform all these functions. It is in violation of the basic principles of accounting and auditing which has been traditionally continued for the last 72 years.

My basic point is this. This is attacking the basic autonomy of the professional bodies like ICWAI and ICAI as well as the Institute of Company Secretaries of India . Since the provisions of this Bill is against the basic principles of autonomy, I strongly oppose this Bill.

With these suggestions, I once again thank you for giving me this much time.

Thank you.

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): सभापति महोदय, आपने मुझे चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने वाले विधेयक से संबंधित विषय पर बात रखने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

महोदय, यह बिल चार्टर्ड अकाउन्टेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव के क्षेत्र में लगे हुए व्यवसाय कर्मियों और संस्थाओं को रेगुलेट करता है। इन बिलों का मुख्य उद्देश्य अनुशासनात्मक कार्यवाही को समयबद्ध और मजबूती प्रदान करना है। कहने का आशय है कि चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इण्डिया, दी इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउन्ट्स ऑफ इण्डिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया से जो व्यक्ति या फर्म अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर अपनी सेवा प्रदान करता है, वह उस संस्था का सदस्य माना जाता है। यदि उस सदस्य के खिलाफ किसी के द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत की जाती है तो उस शिकायत का निर्धारित समय के अन्दर निस्तारण करना ही इस बिल का उद्देश्य है।

महोदय, इस बिल का उद्देश्य इन तीनों संस्थानों के लिए डिसिप्लिनरी डायरेक्टोरेट/बोर्ड की स्थापना करना है, जिसमें उस संस्था का एक डिसिप्लिनरी डायरेक्टर नामित किया जाना है, जो उसी संस्था का अधिकारी होगा। उसके बाद उस डायरेक्टर के नीचे कम से कम 2 जॉइंट डायरेक्टर्स नामित किए जाने हैं। अतएव तीनों संस्थानों में कम से कम 3-3 तथा इस प्रकार कुल 9 डायरेक्टर्स डिसिप्लिनरी और संयुक्त जॉइंट डायरेक्टर्स नामित किए जाने हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब किसी संस्था में किसी एक पद का सृजन होता है तो वहाँ पर आरक्षण अनुमन्य नहीं होता है, लेकिन एक से अधिक की संख्या में पद होते हैं तो भारतीय संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि आरक्षण के अनुसार पदों की भर्ती की जाए।

आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है कि सभी संस्थानों में जैसे चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इण्डिया, दी इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउन्ट्स ऑफ इण्डिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इण्डिया में कम से कम एक डायरेक्टर डिसिप्लिनरी और दो जॉइंट डायरेक्टर

नामित किए जाएं। उनमें यह व्यवस्था भी की जाए कि उन 3 पदों में से एक पद अनुसूचित जाति और एक पद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए, ताकि वंचित समाज के लोगों को भी यदि इन संस्थानों से संबंधित किसी सदस्य या फर्म के खिलाफ कोई विवाद या शिकायत प्राप्त होती है तो उसका निस्तारण बिना किसी भेद-भाव के स्वच्छ मानसिकता के साथ किया जा सके, अन्यथा इन दलित और ओबीसी वर्ग के लोगों का कैसे-कैसे आर्थिक शोषण और मानसिक शोषण किया जाता रहा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि मेरे द्वारा की गई मांग के संदर्भ में आवश्यक रूप से उनके मंतव्य को सदन में बताने का कष्ट करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, आज सदन में चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, कॉस्ट और वर्क अकाउण्टेंट्स तथा कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल, 2021 पर चर्चा हो रही है। सरकार का यह कहना है कि यह इस क्षेत्र में नीतिगत सुधार की तरफ बड़ा कदम है, लेकिन धरातल पर इसका क्रियान्वयन होगा, तब सच्चाई सामने आएगी। जब एनडीए की सरकार बनी थी, वर्ष 2014 से 2019 के बीच बहुत बड़ा प्रचार किया गया कि जो भी फालतू कानून हैं, उनको हम रिपील करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक-एक दिन के अंदर कई बार दो-दो, तीन-तीन बिल लाए गए, पारित कराए गए और फालतू के कई कानून इस सरकार ने बनाए। इस बिल की भी कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं थी। यह बिल चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 1949, कॉस्ट और वर्क अकाउण्टेंट्स, 1959 और कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, 1980 में संशोधन करके उनके अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करता है। अगर कोई सीए गलतियां करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कैसे हो, उसके लिए यह बिल लेकर आए हैं।

इसके प्रावधानों में जाने से पहले यह चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है कि नियामक संस्थाओं का भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कितना बड़ा योगदान है। आज भारत 2.66 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी साइज के हिसाब से विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। एमसीए के डेटा के अनुसार 31 मार्च, 2021 तक भारत में कुल 13 लाख 44 हजार से अधिक सक्रिय

कंपनियां हैं, जिनमें से 65 हजार 942 कंपनियां पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं और 6 हजार 740 स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं। आज देश में तीन स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिनका, 28 मई, 2021 तक के डेटा के अनुसार, बाजार पूंजीकरण लगभग 3.03 ट्रिलियन यूएस डॉलर है।

इस परिप्रेक्ष्य में दृढ़ नियामक संस्थान न केवल देश की कंपनियों को सुचारु रूप से चलाने में सहायता करते हैं, बल्कि देश की जनता के धन को घोटालों से भी बचाते हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था धोखाधड़ी और घोटालों से अछूती नहीं रही है। बड़े-बड़े घोटाले इस देश के अंदर हुए, चाहे वह यूपीए की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार हो। इस सरकार के सत्ता में आने से पहले हुए हर्षद मेहता सिक्योरिटीज स्कैम, 1992, ट्राई-शयोर इंडिया लिमिटेड स्कैम, 1975-76, द ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और केतन पारिख स्कैम्स, 2000-2001, सत्यम कम्प्यूटर्स लिमिटेड, 2008, रैनबैक्सी लेबोरेटरीज स्कैम, 2008, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) स्कैम, 2013 हो या इस सरकार के सत्ता में आने के बाद हुए जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैम, 2017, नीरव मोदी-पीएनबी स्कैम, 2018, आईएलएंडएफएस, 2018, यस बैंक, 2018-19, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) स्कैम, 2020 में और एबीजी शिपयार्ड द्वारा किया गया बैंक घोटाला हो, इनकी गूंज पूरे देश के अंदर सुनाई दी।

इन घोटालों ने स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा की भूमिका और प्रभावशीलता पर न केवल सवाल उठाया, बल्कि देश की जनता को यह संदेश भी दिया कि विपदा की घड़ी में कोई नियामक संस्था उनके साथ नहीं खड़ी है।

सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत की नियामक संस्थाएं इतनी काबिल हैं कि वे इन घोटालों को होने से रोक सकें, एक प्रि-एम्पटिव एप्रोच दिखाएं, न कि रिएक्टिव। उदाहरण के तौर पर, नीरव मोदी-पीएनबी घोटाले के उजागर होने के बाद सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) का गठन करके एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया, लेकिन आईसीएआई, जो सीए लोगों को विनियमित करता है और अपने सदस्यों के खिलाफ कम प्रभावशाली कार्रवाई करने की प्रतिष्ठा रखता है, ने एनएफआरए के गठन का विरोध किया। अफसोस की बात यह है कि

मार्केट रेग्युलेटर एसईबीआई तक के पास लिस्टेड कंपनियों के ऑडिटर्स के खिलाफ कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इससे इन सब घोटालों में शामिल सीए और सीएस बड़ी आसानी से, थोड़ा सा जुर्माना देकर छूट जाते थे। आईसीएआई के अधिकार में तो अधिकतम सजा तीन महीने का सस्पेंशन और एक लाख रुपये जुर्माना ही थी।

इसलिए मेरी मंत्री महोदय से मांग है कि आपने इस बिल में जो सजा का प्रावधान किया है, जैसे संस्थान के रजिस्टर से सदस्य का नाम हटाना या उसे फटकार लगाना, पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाना और अब यह बिल जुर्माने की अधिकतम राशि को 10 लाख रुपये करता है। मेरी मांग है कि जब आप दोबारा बिल लेकर आएंगे, तो इन प्रावधानों के साथ बिल लेकर आएंगे, जिनके बारे में मैं तीन-चार सुझाव देना चाहूंगा। इसमें क्रिमिनल लायबिल्टी भी जोड़ी जाए, ताकि बेलगाम हुए ऑडिटर्स के लिए कारावास एक डिटरेंट साबित हो। यह मेरी मांग है।

इसी के साथ, मैं सरकार से यह भी मांग करता हूँ कि सीए या स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स को मार्केट फिड्यूसरी का दर्जा दिया जाए, ताकि 'सेबी' जैसी संस्थाएं भी इन पर कार्रवाई कर सकें।

इस बिल के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आईसीएआई की केंद्रीय परिषद के सदस्य का वर्तमान में तीन वर्ष का कार्यकाल होता है। इस बिल के माध्यम से आप इस कार्यकाल को बढ़ाकर चार साल कर रहे हैं। कोई भी सीए अधिकतम तीन कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है, इसे बढ़ाकर चार वर्ष किया जा रहा है, इसलिए यदि वर्तमान में कोई सीए इसका सदस्य है और अगर वह तीन बार चुना गया तो 9 साल हो गए, उसको चार साल का कार्यकाल और दे देंगे तो कुल 13 साल हो जाएंगे। इसलिए यदि वर्तमान में कोई सीए इसका सदस्य है तो उसका वर्तमान कार्यकाल भी उसमें सम्मिलित रखा जाए ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप सभी और नए लोगों को भी मौका मिल सके। इस पर आज जवाब देते समय स्पष्टीकरण जरूर दें।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक सुझाव है कि आप जो अनुशासन बोर्ड बना रहे हैं, उसमें एक निदेशक सहित तीन सदस्य जिसमें एक लॉ या अनुशासनिक, दूसरा अर्थशास्त्री या व्यापारी और तीसरा काउंसिल का सदस्य होगा। मेरा सुझाव है कि आप इसको नए सिरे से लाएं, इसमें राजनैतिक

जन-प्रतिनिधि चाहे वे माननीय सांसद हों या जो भी जनप्रतिनिधि हों, उनको भी उसमें सदस्य बनाया जाए ताकि और पारदर्शिता से काम हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आरबीआई का सर्कुलर बैंक ब्रांच ऑडिट से संबंधित जिसमें पहला वर्ष 2020-21 तथा दूसरा वर्ष 2021-22 का है। पुराने प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक अपनी 20 करोड़ रुपए से अधिक एडवांस वाली शाखाओं की शत-प्रतिशत 20 करोड़ रुपए से कम एडवांस वाली शाखाओं में 1/5 शाखाओं की ऑडिट रोटेशन वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा कारवाई जाती थी। वर्ष 2020-21 की ऑडिट अलॉटमेंट के समय राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आरबीआई को कोरोना महामारी के हालातों के मद्देनजर करवाई जाने वाली ऑडिट के पैरामीटर में बदलाव करने का आग्रह किया, जिसको आरबीआई ने एडवांस को बेस मानते हुए, सिर्फ 90 प्रतिशत एडवांस की ऑडिट करने का प्रावधान कर दिया था। एडवांसेज के 90 प्रतिशत ऑडिट वाले प्रावधानों को भी 17 मार्च, 2022 को आपने संशोधित किया, एक सर्कुलर जारी करके घटा कर 80 प्रतिशत कर दिया गया है। इस नये प्रावधान से करीब 50 प्रतिशत शाखाएं बिना ऑडिट के रह गईं, ये घोटालों का प्रमुख कारण बन रही हैं, ये दायरे से बाहर हो गईं। इस प्रकार के निर्णय जो न तो देश के बैंकिंग और न ही वित्तीय स्वास्थ्य के अनुकूल है, न ही देश के जमाकर्ताओं के हितों के अनुकूल है। क्योंकि आज रोज बैंक घोटाले सामने आ रहे हैं, रोज बैंक लाइसेंस वित्तीय अनियमितताओं के कारण रद्द किए जा रहे हैं व जमाकर्ताओं की खून-पसीने की गाढ़ी कमाई व बुढ़ापे का सहारा बैंकों में डूबने के आसार बनते जा रहे हैं।

इसलिए मेरा आग्रह है कि कोरोना महामारी से पूर्व के प्रावधानों के अनुसार ऑडिट सिस्टम को रिस्टोर करवाने का भी आप आदेश करवाएं। अगर सरकार इस बिल को बहुत तैयारी के साथ लेकर आती, तो देश के आम आदमी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता था... (व्यवधान) रामकृपाल जी, आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो मैं आपकी जगह थोड़ा बोल दूंगा... (व्यवधान) हालांकि मैं सीए के संदर्भ में यह भी कहना चाहूंगा कि दुनिया में सीए एक ऐसा प्रोफेशन है, जो अपने क्लाइंट की उन्नति

से ही स्वयं की उन्नति करता है। इसलिए इनके प्रोफेशन से जुड़ी समस्याओं पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है।

सभापति महोदय, चूंकि आप आधा-अधूरा बिल लेकर आए हैं, जो सीए गलतियां करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप पूरी तैयारी के साथ इस बिल को वापिस लेकर आएंगे, जिसमें सजा का प्रावधान हो, पॉलिटिकल व्यक्ति की नियुक्ति भी हो, सारा कुछ सही ढंग से हो, तब लगेगा कि आप बिल सही रूप में लाए हैं। सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए रोज नए-नए कानून लाना और उन्हें पास करके रिकॉर्ड बनाना, इसके लिए आप यह नहीं करें। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ।

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Thank you, hon. Chairperson, Sir, for the opportunity to speak on the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021.

Sir, auditors, accountants, and company secretaries are considered the first gatekeepers of corporate governance and our legal framework lays considerable faith and confidence in this system. I am sure that with emerging technologies such as artificial intelligence etc., there is going to be a major transformation in the accounting sector which the accounting industry has to brace itself for. For example, automation, minibots, machine learning, and adaptive intelligence are becoming parts of the finance team at lightning speed.

Sir, on the one hand, it is a welcome development that the accounting sector is giving opportunities to several homegrown SAAS- based companies like Zoho operating out of Chennai to emerge as global cloud-based accounting companies and, on the other side, these changes like evolving smart and digital

technology, continued globalisation of reporting standards, and new forms of regulation are creating major challenges for the profession as well as the regulatory framework.

Sir, before I conclude, I wish to give three suggestions to the hon. Minister. First, the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) is the world's second largest professional accounting body and the largest professional accounting body of India which functions entirely on a self-financing and self-sustainable model.

The institute has nearly 165 branches spread across the nation with nearly 40 more chapters outside the country. At this juncture, I would request that these institutes may be elevated as approved training institutes by the Government of India to award 'employable certificates' similar to a diploma to Inter-passed Chartered Accountant students so that the huge industry shortage of trained professionals can be addressed. Since the infrastructure and finances are already available within the current system under the administrative and academic jurisdiction of ICAI, further investment and employment of trained teachers are not required.

Secondly, future accountants will increasingly need education in digital technology, globalisation, and evolving regulations and so on. Undoubtedly, the accountant of the future will need to be technology-savvy to evolve with the changing industry. So, our training and regulatory mechanism should also be ensured to adapt to this changing scenario.

Thirdly, with regard to participation in this area, reservation in the regional and central council should be ensured by properly tuning the Government policy. With the increasing presence of women in the CA profession, the women cell should be strengthened to work and help the women members in solving their work-related issues. The real purpose of women empowerment committee of ICAI should be taken up on priority.

Sir, this Bill has been brought to tighten the disciplinary mechanism and streamline the functioning of Chartered Accountants, Company Secretaries and Cost Accountants. The Bill aims to deal with the conflict of interest between administrative and disciplinary arms of the Institutes. It is also expected to result in quick decision making in disciplinary matters of professionals through this fixed timeframe of 90 days.

With these words, I support this, Bill.

SHRIMATI NAVNEET RAVI RANA (AMRAVATI): Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021.

सरकार ने समय-समय पर सीए प्रोफेशनल्स को एनकरेज किया है एवं हेल्प की है। सीए इंस्टिट्यूट्स ने भी पार्टनरशिप इन नेशन बिल्डिंग को अपनाया है एवं हर घड़ी सरकार की योजनाओं को एक्जिक्यूट करने के लिए हेल्प की है। टैक्स कलेक्शन की बात हो अथवा योजनाओं को लोगों के बीच ले जाने की बात हो, इन इंस्टिट्यूट्स ने हमेशा सरकार का साथ दिया है। सरकार की विविध कल्याणकारी योजनाओं- प्रधानमंत्री रोजगार योजना, सब्सिडी योजना, स्पेशल टैक्स ज़ोन प्रमोशन ई-योजना आदि को जनता तक पहुंचाने में हेल्प की है।

Sir, I would like to inform that some Chartered Accountants from my district, from the Vidharbha region, and from Nagpur have actually spoken to me about this Bill. When this Bill was introduced in this House, immediately all these Chartered Accountants came and gave some suggestions about the changes that are required in this Bill. I would like to give some suggestions here. I support the Ruling Party and the Ministry. The Chartered Accountants are serving our country for the last 74 years. They are working for the progress of our nation. The proposal to establish an Indian Institute of Accounting is an out of the box suggestion. It is a commercial proposal to destroy the world's best and cheapest course by privatising it through the IIA. In fact, there is no need to establish the IIA when we already have the world's best CA Institute. It is like demolishing a Nalanda-like institute just for competition which is not fair.

मैं यहां सिर्फ आज बोलने के लिए आई हूं। मैं अपने क्षेत्र और विदर्भ के सीए लोगों के लिए आवाज उठाने आई हूं। सीए दिन-रात प्रैक्टिस करते हैं और सरकार को अपना समय देते हैं, ताकि सरकार और हमारे देश की उन्नति हो। इस काम में वे साथ देते हैं, लेकिन उनके क्षेत्र में कुछ त्रुटियां हैं, जिनको हमें सजेशन के रूप में लेना चाहिए और कमेटी को भी बहुत बार एप्रोच किया गया है।

The CA (Amendment) Bill proposes to make changes in the disciplinary mechanism of the Institute of Chartered Accountants of India. The current mechanism is robust, useful, and was put in place only about a year ago. The Bill proposes to increase the number of Government nominees from two to three, and reduce the number of Members of the Council from three to two. This is the main pain, which the CA people are suffering.

कोई भी व्यक्ति जो मेडिकल प्रेक्टिस नहीं कर रहा है, अगर वह चेयर पर बैठता है, तो वह उस डॉक्टर को क्या न्याय देगा, जो डॉक्टर कोई समस्या लेकर चेयर के पास आएगा? अगर उसे पता नहीं है कि उस व्यक्ति ने किस जगह पर किस तरह की गलती की है और उसे किस तरह से सजा देनी चाहिए और किस तरह से नहीं देनी चाहिए, तो वह डॉक्टर उसकी समस्या कैसे समझेगा?

I am just mentioning about the recommendations given by the CAs. The current composition of the Disciplinary Committee is 'two Members appointed by the Government of India, and three Members of the ICAI Council.' The process, so far, has been smooth, practical and useful. So, the current system may be continued as there is no reason to change it in less than a decade.

Currently, a minimum of one Member of the Government should be present to form a quorum.

The Bill proposes that the Chairman of the Bench will be a Government nominee and not a CA.

Mr. Chairman, Sir, you also spoke about this; Mahtab-ji also spoke about it; and our Google Uncle from Bengal also spoke about it. Everybody is speaking about only this point. We do not have a problem about this Bill. It is just about the Chairperson, whom we are appointing. He should be a CA, who has actually practised in this field and not the non-Chartered Accountant practitioner.

The DC mechanism is a quasi-judicial function, and only persons who are from the same profession, should sit in judgment as facts are involved.

The change is akin to placing non-legal or non-medical professionals in the DC mechanism or Bar Council or Medical Council.

The Standing Committee while rejecting all the suggestions of the ICAS, has gone beyond its mandate, and proposed setting up a parallel accounting body by name, the Indian Institute of Accounting.

Sir, I always speak in support of the Government; and I am still here to support them. But these were just small suggestions which I wanted to give in this House on behalf the Chartered Accountants belonging to Maharashtra, particularly Vidharba.

With these words, I conclude. Thank you very much.

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to participate in this discussion on the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021.

Sir, I am proud to state that I am a practicing Chartered Accountant; and I am here in this profession for the last 40 years.

The Institute of Chartered Accounts of India is in place since 1949, and is under the administrative control of the Ministry of Corporate Affairs. It is being managed by a Council which has got 40 Members, out of which 32 are elected amongst the Members of the profession and eight are nominated by the Government of India. So, there is already a control by the Government. I do not know why the Government is bringing about such a Bill where they want its entire control for the bureaucrats. This is not fair.

About this profession, when it was started in 1949, at that time, there were only 1,450 Members; and now it has got 3,50,000 Members. Similarly, the total number of students, at the time when it was instituted in 1949, was less than 5,000; and now, it is more than eight lakhs.

Our former President of India applauded the profession stating that the Chartered Accountants are the partners in nation-building. This profession is working with the Government, whoever be in power, for the last 72 years. They have contributed immensely. For example, in 1985, the tax audit was brought in. The Chartered Accountants are doing the tax audit. This has increased the revenue of the Government of India to a large extent. Therefore, my humble request is that the Government should withdraw those provisions which will destroy this profession. They should not be implemented.

Sir, I would like to just go through the details of the provisions. As per Section 21B of the Chartered Accountants Act 1949, the Disciplinary Committee of the ICAI currently consists of five members in which three members are Council Members and the President or the Vice-President, ICAI, is the Presiding Officer of the Disciplinary Committee. As has been mentioned by most of the Members, the Disciplinary Committee is going to be headed by a bureaucrat. Is it correct?

Kindly go through the other provisions which have already been mentioned by other hon. Members. It is an insult to the profession. There is no doubt about it. The disciplinary mechanism is a quasi-judicial function, and the members should have adequate knowledge and functional experience in the

field of accounting standards, auditing standards, and all commercial laws like Income tax, GST, customs, money laundering, benami property transactions, banking mechanism, and cooperative society etc. When a person is coming from outside the profession, he does not have any experience about this profession. I would like to know whether the Secretaries to the Government have got any experience in accounting standards and auditing standards. It should not be allowed.

I would like to give an example of the legal profession which was mentioned by many Members. The proposed amendment is contrary to the system in other professional bodies like Bar Council of India, Council of Architecture and National Medical Commission wherein the Disciplinary Committees consist of members from the respective profession only.

As per Section 9 of the Advocates Act 1961, the Bar Council shall constitute one or more disciplinary committees, each shall consist of three members, out of which two shall be persons elected by the Council from its members and the third member shall be a person amongst advocates who possesses the qualifications specified in the proviso of sub-section (2) of section 3 and who is not a member of the Council. The senior-most advocate amongst the members of a disciplinary committee shall be the Chairman of the committee.

As per the Architects Act, 1972, all complaints against architects shall be investigated and all enquiries relating to misconduct of architects shall be held by a Committee of the Council consisting of three members, of whom one shall

be elected by the Council from among its members, one member from among the members nominated under clause (b), and one member from amongst the members referred to in clause (d) of sub-section 3 of section 3. The Chairman of the Disciplinary Committee shall be elected by the members of that Committee from among themselves. There also, only a member of that profession becomes the Chairman of the Disciplinary Committee.

Under the National Medical Commission Act, disciplinary matters against doctors are handled by Ethics and Medical Registration Board comprising of five doctors. Among them, one shall be the President, two whole time members and two part time members will be there.

In the proposed amendment to the Chartered Accountants Act, 1949, the majority would be Non-Chartered Accountants who do not have experience about the practical functions of the Chartered Accountants which is not appropriate and not acceptable to the profession.

The interference of the Central Government into the internal affairs of the Institute is an attack on the autonomy of the Institute. I recommend that the existing position regarding the composition of the Disciplinary Committee should be retained, and the Presiding Officer should be a Chartered Accountant, someone with a knowledge and expertise in the application of accounting.

With these words, I conclude. Thank you.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Thank you, hon. Chairperson Sir, for allowing me to speak on this very important Bill, that is, the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021.

Sir, I rise to oppose the Bill. As most of my colleagues have already mentioned the main issues, I do not want to repeat them in the light of the time available. In this Bill, changes have been proposed to existing legislations governing the apex Institutes of Chartered Accountants, Cost Accountants and Company Secretaries.

Sir, I was going through the Report of the Standing Committee. As regards the proposed constitution of a Coordination Committee, it has been explicitly mentioned;

“Constituting a Coordination Committee would amount to not only intruding the autonomy of the Institute but it may also hamper the decision-making authority of the Councils of the respective Institutes which is evident from the functions proposed to be assigned to this Committee under sub-section 4. A Coordination Committee of all the three Institutes is already in place as a Non-Standing Committee of the Institute under Section 17. This may be made a Standing Committee and its terms of reference should be to discuss and resolve common issues like Multidisciplinary Partnership, etc.”

So, this is the basic thing as regards Coordination Committee. Now, the revised Coordination Committee has a Secretary who is heading the Committee. I think, this is an attack on the autonomy. I was hearing my esteemed colleagues from the Treasury Benches. They were mentioning that this Bill has been brought in so that more autonomy could be given. But we have seen what happened in the case of Medical Council. They will do the same thing in Bar Council, Dental Council, etc. They are trying to attack each and every institution. At the same time, they have the guts to say that they are giving us more autonomy. This is a joke on all of us.

Sir, I will tell you a story. When we were in college, one of my friends was a topper in my batch. Except him, we all decided to get into Engineering course or medical line. But that person went into B.Com, and then he got into Chartered Accountancy. So, this Institute, through its legacy and history, is a very renowned Institute. It is nothing less than the IIMs or the IITs. We do not need IIA. The thing is, the ICAI has around 7.5 lakh students and 3.5 lakh members as of now. What we are doing now is that we are trying to dilute it just because our hon. Prime Minister made a speech that our signature is more important than that of his signature. What does this Parliament have to do? They have to bring in a Bill where they say that they will give us the autonomy but they take away our autonomy. The ICAI has flagged some issues like striking off names of the defaulting CA firms and approval of names of CA firms registered with the Institutes. Sir, when Satyam scam happened, at that time, I was working with an IT company, Infosys. When this scam happened, the owner said that it was

like riding a tiger without knowing when to jump off. But I do not think that it is the problem of the Chartered Accountants, the Disciplinary Committee or the Standing Committee. It is mainly because of the intentions of the Director or the owner who forced these guys to get into those kinds of mismanagement. That is the main issue. We should try how we can streamline this process and give them more power. Now, I come to the Board of Discipline. So, what has been requested to the Standing Committee is this. The unprecedented provisions of appointing two non-CAs as members out of three members in the Board may have a larger impact as the work of CAs would be majorly judged by non-CAs. Now, what we are doing is this. In the Medical Council, the Engineer would be the Head. Similarly, this is being done for the CA which is a major concern for them. Sir, there are two basic things. I do not want to take much of your time. As regards dilution of powers of the Chartered Accountant profession, the Institute of Chartered Accountants of India has raised concerns over the proposal to have a non-Chartered Accountant as the Presiding Officer of its Disciplinary Committee. At present, the President or the Vice President of ICAI acts as the Presiding Officer, and it is the practice that the Institute wants to continue. The second concern is regarding the vague terminology. The Chartered Accountants Act, 1949 left the definition of 'other misconduct' open-ended.

According to the ICAI, the old Act allowed reprimanding, imposing fines and even cancelling registration of members, if the former believed that the member's activities brought disrepute to the institute. In the recent past, ICAI

used this provision to arbitrarily censor the content that some Chartered Accountants posted on the social media. The new Bill does not address the issue of this whimsical censoring from ICAI.

Moreover, when we move to digital technology and the digital world, we should look at multiple ways of how we can utilize the digital technology in enabling the CAs to perform their work. So, we should move in that that direction rather than introducing Secretary as the head of the Coordination Committee. It would not help us in many ways.

I have one last point to mention. Under the Acts, in cases of professional or other misconduct the Committees may (i) reprimand or remove the member from the register of the Institute, or (ii) impose a fine of up to five lakh rupees. The Bill increases the maximum amount of fine to Rs.10 lakh. I am not sure what the calculation methodology was. I do not know whether this amount is a fair amount or not. We need to discuss it.

Sir, I would like to say that we should trust our CAs. They have been working for us for the last 75 years with much dedication. They are also the nation builders. So, let us give them more autonomy rather than using the jingoism and taking away the autonomy and saying that we are providing autonomy when we are encroaching on their field area.

With these words, I oppose the Bill. Thank you very much.

SHRI ANURAG SHARMA (JHANSI): Thank you, hon. Sir, for giving me this opportunity. I stand here in complete support of this Bill. There was some discussion earlier about how this Bill is going to change our lives, and lives of

my friends who are CAs and others. Sir, let me remind one thing to this House. हम लोग क्रिकेट बहुत खेले हैं तो मैं हिन्दी में बता देता हूँ यह तो वैसी बात हो गई कि जब दो टीमों क्रिकेट के मैदान में उतरती हैं और एक टीम 13 प्लेयर्स के साथ आ जाती है, 11 उसके खिलाड़ी हो गए और दो अंपायर्स भी वे साथ लेकर आते हैं। ये यूपीए के जमाने की लेगसीज हैं, जो यह इतने सालों से चलता आ रहा है। आज अगर सरकार यह बिल लेकर आई तो यह खाली दो ही चीजों में महत्वपूर्ण है। कहीं से भी इनकी स्वायत्तता खत्म नहीं की जा रही है। आज भी ये कोर्स सेट करते हैं, आज भी कितने लोग पास आउट होते हैं, क्या परसेंटेज पर पॉसिंग आउट होता है, वह सब सीएज के हाथ में ही रहता है। इसमें महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब हम स्वायत्तता की बात करते हैं तो इन संस्थानों की स्वायत्तता में किसी भी हालत में दखलंदाजी नहीं की गई है। इसमें एक डिसप्लनेरी बॉडी बनाई गई है। यहाँ पर खाली आप तीन-चार दर्जन केसेज पर इतने सालों से एक्शन ले पाए। Today, this is the need of the hour as India's economy is growing fast. आज भी उन्होंने जैसे कहा कि 7-7.5 लाख बच्चे सीए के एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हैं। 3-3.5 लाख सीएज इस देश में हैं, तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि हिन्दुस्तान में अमेरिका के बाद सबसे अधिकतम सीएज हैं। About three and a half lakh CAs work in India. But, unfortunately, none of our best practices is recognized internationally because of lack of a Disciplinary Committee or work in the Disciplinary Committee. Today when we talk about the big four companies, whether it is Deloitte, PwC, KPMG, E&Y, none of the big Indian companies have become of an international standard in this country. Today our people from software industry lead the world. When we have these many CAs, why are our audited statements not accepted in NASDAQ or accepted worldwide? It is only because certain best practices have not been followed. Sir, today I was happy to note that the global best practices in terms of accountancy adopted in US, UK, Australia, Canada and

South Africa have been studied by the Ministry. They have brought in some of these changes. Today in UK, lay members, that means, members who are not CAs, head the disciplinary panels. In UK, there are multiple bodies imparting education and regulating the accountancy profession unlike India where ICAI enjoys status of a statutory body. Even in US, State Boards of Accountancy regulate the profession and licence to practice is also given by them. Here, there is no way that the Government is impinging on their autonomy. The only thing is the disciplinary action.

यूपीए सरकार के दौरान और इन सब जगहों में हमेशा यह देखा जाता था कि एक बड़ा सिस्टम चलता था। आप भी सीए हैं, मैं भी सीए हूँ तो भइया इसको छोड़ देते हैं। प्रेशर लाया जाता था, इस देश में फोन बैंकिंग हुई है, इसलिए इतनी बड़ी-बड़ी कम्पनियां बंद हो गईं। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक से लेकर सत्यम कम्प्यूटर, आप किसी भी चीज का जिक्र कर लीजिए। यह इसलिए होता रहा, क्योंकि यह प्रेशर लिया जाता था। आज अगर एक कम्पलीटली इंडिपेंडेंट बॉडी क्रिएट की जा रही है, फोर डिस्प्लिनरी एक्शन। अभी मेरे एक मित्र मुझे बता रहे थे कि आज हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी ऑडिट बॉडी सीएजी अपने पास है। उसमें कोई सीए नहीं है, पर आज वह पूरे हिन्दुस्तान का ऑडिट करते हैं या नहीं? आज सीएजी ऑडिट कर सकती है, without a chartered accountant on its board. वे सब के सब एक एजाम देकर पास आउट किए होते हैं। आज अगर हम उसमें यह ला रहे हैं, तो यह अच्छी चीज होगी।

आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान की इकोनॉमी जिस रेट से बढ़ रही है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करना पड़ेगा। हमें बेस्ट प्रेक्टिसेस वर्ल्ड वाइड अडोप्ट करनी पड़ेगी। हम सभी को इन बॉडीज को इस तरीके से करना पड़ेगा कि आज हिन्दुस्तान की यूनिवर्सिटी इतनी सारी बड़ी-बड़ी कम्पनियां विदेशों में जाकर रजिस्टर करना चाहती हैं। इनकी बैलेंस शीट पर जब साइन हो, अगर हिन्दुस्तान की फर्म का साइन होगा तो हम सब को उस चीज पर गर्व

होगा। हम सब चाहते हैं कि इन चार बड़ी कम्पनीज़ के अलावा, चार और हिन्दुस्तान की कम्पनियां हों। सर, एक जमाने में हिन्दुस्तान की दो बड़ी कम्पनियां होती थीं- टीवी और मेरे ख्याल से बाटलीबॉया वे आज खत्म भी हो चुकी हैं। आज मेरे ख्याल से बहुत छोटी रह गई होंगी, if you consider them, as far as E&Y or Deloitte is concerned.

Today, these companies not only employ CAs, CSs or cost accountants; they also employ business managers. They are complete turnkey consultancies also. Today, when we talk about a coordination committee, where does a coordination committee come in? For large corporates even in India, where a medium scale to a large corporate company is concerned, it has to have the services of all three – a CA, a cost accountant as well as a CS. So, a coordination committee helps in making sure that the best practices are followed and the companies are rightly advised. This has been a major lacuna in our framework. So, I think, I would like to compliment the Ministry of Corporate Affairs for bringing this Bill. आप जो यह करने जा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण स्टेप था और बहुत जरूरी स्टेप था। हम कहीं पर भी यह नहीं कहना चाह रहे हैं कि हमारे सीए मित्रों ने इस देश की सेवा नहीं की है। हम कहीं पर भी यह नहीं कहना चाह रहे हैं कि जो कम्पनी सेक्रेटरीज़ हैं, वे कम काम करते हैं। हम कहीं यह नहीं कह रहे हैं कि cost accountancy is not important. गवर्नमेंट कहती है कि ये सब चीजें जरूरी हैं, पर इनकी एक ओवरसाइट भी होनी चाहिए।

आप खुद ही मैच खेलें और खुद अपने ही रेफरी बनाएं, वह गलत होता है। आज अगर हम किसी चीज में अपने स्पोर्ट्स में भी देखें तो रेफरी बाहर के ही आते हैं और बाहर के लोगों से ही विश्वास जागता है। अगर हिन्दुस्तान में मैच हो रहा होता है तो साउथ अफ्रीका के रेफरीज़ आते हैं। हमने अपनी ही पिच प्रिपेयर की और अपने ही रेफरीज़ रख लिए तो फिर इस चीज को कौन मानेगा? इसलिए यह जरूरी होता है। I would like to compliment the Government for following

some of the best practices, which are now being practised in India. I am happy to note that most of the advices given by the Standing Committee have been accepted and are there. The only tricky issue here that remains to be seen is whether the Chairman should be from among the CAs themselves or from outside. ... (*Interruptions*) Sir, if I can complete, you can please interject later. ... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No interference please. You have already spoken.

... (*Interruptions*)

SHRI ANURAG SHARMA: I did not interject when he was speaking, Sir. If he allows me that courtesy, I would be very grateful.

HON. CHAIRPERSON: Thomasji, when you were speaking, nobody interfered. You made your point clear. Please sit down.

... (*Interruptions*)

SHRI ANURAG SHARMA: I appreciate what the hon. Member had said. I appreciate your concern for the CAs. I have worked with CAs all my life. I have worked as a corporate with them. I appreciate the great work you have done, but there needs to be an oversight body. Your autonomy is nowhere being impinged by the Government. You are still deciding even the number of CAs who will pass the exam every year. In fact, we need to increase that because a lot of brilliant children get rejected during the exam. They actually face a lot of heartburn and heart failure. किसी को भी एग्जाम में फेल होने के बाद अच्छा नहीं लगता है। वे सब बच्चे ब्रिलिएंट होते हैं। जितने हम सीएस इस देश में तैयार करेंगे, क्योंकि आज जीएसटी में भी सीएस हमारे साथ काम करते हैं, आज कॉर्पोरेट टैक्स लॉ के लिए भी सीए साहब काम करते हैं। सीए साहब इनकम

टैक्स के लिए भी काम करवाते हैं। सारी चीजों में सीएस और सीए का काम रहता है। जब हमको एनर्जी ऑडिट की जरूरत पड़ती है तो ... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

श्री अनुराग शर्मा : इसीलिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि एटलीस्ट इस बॉडी की वजह से हिंदुस्तान के लिए आगे जो हमारे लोग प्रैक्टिस करेंगे, हमारी ऑडिटिड बैलेंस शीट्स जाएंगी, हमको वहां पर दूसरी बार जा कर उनको फिर से ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

With these few words, I would like to commend this Bill to the House and I hope the House passes it with a thumping majority. Thank you.

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH): Thank you, Chairperson Sir. I would like to opine on the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021.

I have listened to a lot of people who are experts, who are Chartered Accountants. One of the finest gentlemen, Anurag ji also spoke very well just now. I listened to him also. The fact remains that right now there is only one institute. I do not know why you are saying 'institutes'. There is only one institute right now. Indian Institute of Chartered Accountants is the only institute in the country. It is not like IIT and IIM where a number of institutes are there in different regions. Only one institute is there. As the hon. Member has rightly pointed out, out of 40 members of the Board, 32 are getting elected and 8 are being nominated by the Government.

What Anurag Sharma ji has expressed, I appreciate the point that he wants to upgrade the standards and all. Even we are supporting that idea. But the fact

remains that the autonomy of the institute is being intruded by the Government. What is the interest behind it? The Standing Committee itself has given a report in which they have categorically mentioned that appointing a Chairman or a President for the disciplinary committee from the bureaucracy is objectionable. The hon. Member has given an example that C&AG does not have a Chartered Accountant. I hope the hon. gentleman will go and clear it whether Chartered Accountants are there in C&AG or not. Why do you need a bureaucrat? That is one point.

Secondly, why do you need to interfere or intervene in the institute? Why do you want to destroy the autonomy of the institute? The institute has served the country for many years. You brought GST, you brought so many other things, you deal with SEBI, RBI. In every area, the Chartered Accountant Institute always help them, cooperates with them. Even in finalising the taxation also, they have come forward and helped the Government.

If you look at clause 9(a), it is mentioned that there shall be a coordination committee consisting of the President, Vice-President and the Secretary of the Council of each of the Institutes. I would like to know where are the others? There is only one institute. Are you going to form more institutes region-wise? Let it be very clear.

It also says: "...the Cost Accountants of India and the Company Secretaries of India for the development and harmonisation of the professions of Chartered Accountants, Cost Accountants and Company Secretaries." Is the harmony not there? I would like to know. ... (*Interruptions*)

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN: There is no competition between these institutes.

HON. CHAIRPERSON: Sawant ji, please address the Chair.

SHRI ARVIND SAWANT: I was really lucky to attend the convocation programme of the students in Mumbai. They were outstanding, meritorious students, as the hon. Member rightly pointed out. They went for Chartered Accountant exam. When I was speaking with them, I told them in the entire education system, Chartered Accountants are the only Eklavyas. There is no college. You show me a Chartered Accountant college in the country. There is no college. The students are studying on their own and appearing for the exam. I told them you are Eklavyas. Outstanding and brilliant students are coming out. And when they are doing something, you have lost the trust in them.

I do remember in 2017, the hon. Prime Minister had addressed them. He had a concern. Definitely, he had a concern about certain irregularities being done by some of the businessmen and by so many other people. So many industrialists have run away from the country.

Talking about NCLT, somebody had referred to it. Look at the NCLT's decisions. Look at the way the NCLT is working. I would like to know from the hon. Minister that after the formation of the NCLT, what are the decisions given by the NCLT? How many cases have been dealt with by the NCLT? Look at them. The company which is having a capital of around thousands of crore of rupees is being sold for a few crores of rupees. Then they ask the bankers. Who are the bankers? They are our own PSU banks. They ask them, 'do you have

any objection?' They simply say, 'no'. Why? Who is advising them to say 'no'. They had given the loans; the debt is on the PSU banks. And in front of the NCLT court, when they ask, 'do you have any objection if you get Rs. 300 crore or Rs. 400 crore, they say, 'no'. This is what is happening, and there we need a Chartered Accountant.

As far as other issues are concerned, ... (*Interruptions*) Please give me one minute. ... (*Interruptions*). I know a lot of Members have talked about it, and I support their ideas. I will request the hon. Minister to look at the Standing Committee's report. Where is the attention? They can enlighten me on this issue because what I heard is that the Institute is having Rs. 15,000 crore with them. ... (*Interruptions*). Is it correct or not? ... (*Interruptions*), Sorry, it is Rs. 1,500 crore. I am correcting it. Rs. 1500 crore are with them. Now, the Government's Committee will come in. Now, who will intervene? Where will the money be spent? Nothing is mentioned about it in this Bill. ये कह रहे हैं कि उन्हें पैसे नहीं देना है। उनके पास पैसे हैं। क्या आपका ध्यान उस पैसे पर है, यह भी तो बताएं, हमें भी तो मालूम हो।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude your speech.

SHRI ARVIND SAWANT: Your attention is over there. That is what I feel, and therefore, I request the hon. Minister, through you, to please send this Bill to a Select Committee. Let us discuss it elaborately and let us come up with a very good Bill which will protect the investors and which will serve the Institute also.

श्री रवि किशन (गोरखपुर): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का मौका दिया। मैं इस संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूँ और समर्थन करता हूँ। जैसा कि विधेयक के 'उद्देश्यों और कारणों का कथन' में लिखा गया है, जो बहुत ही पारदर्शिता और क्लैरिटी के साथ लिखा गया है।

महोदय, मैं सारे माननीय सदस्यों को सुन रहा था, पर ये सारे माननीय सदस्य यह नहीं जान रहे हैं कि यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी की सोच है – ट्रांसपैरेंसी, पारदर्शिता, और इस देश में अब वह समय आ गया है, जब हम लोग साफ-साफ सभी चीजों को देश के सामने रखें। यह देश एक नया भारत बन रहा है, एक नई सोच का भारत बन रहा है। वर्ष 1949 में क्या हुआ, वर्ष 1959 में क्या हुआ, उन सबको मद्देनजर रखते हुए तंत्र को मजबूत करना है, उन्हें सिक्क्योर करना है। इस संस्थान के जो सदस्य हैं, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों में एक समय-सीमा के भीतर इसे निपटाना, जवाबदेही तथा पारदर्शिता को बढ़ावा देने संबंधी संस्थानों के प्रति परिषद् को स्वायत्तता प्रदान करना इत्यादि शामिल है, जो बहुत ही क्लियरली बताता है कि अब यह देश बदल रहा है, चीजों को बदलना जरूरी है। देश को जानना है, देश की जनता को जानना है कि सत्य क्या है, लोग क्या है, लोग कैसे काम कर रहे हैं? Whether they are CAs, whether they are into Income Tax Department, whether they are in the Government sector, people want to know कि क्या हो रहा है? हमारे देश का क्या हो रहा है, हमारे देश की जनता का क्या हो रहा है, मेरे टैक्स के पैसे का क्या हो रहा है, लोग कैसे इसे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे मेरा देश बढ़ेगा? कैसे 135 करोड़ की आबादी मजबूत होगी, कैसे हम सुपर पावर बनेंगे, इन सारी पॉकेट्स को, सारी संस्थाओं और सारे संस्थानों को मजबूत करने के लिए यशस्वी प्रधान मंत्री मोदी जी की जो सोच है, उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं और यह बिल उसी पर आधारित है, उसी के अनुसार है। अब ऑपोजीशन को भी यह जानना जरूरी है कि यह देश बदल रहा है, ट्रांसपैरेंसी और ऑनेस्टी के साथ अपने आप को मजबूत कर रहा है।

सभापति जी, मेरा ऐसा मानना है कि आज के बदलते परिवेश में जवाबदेही, पारदर्शिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर इंसान चाहता है कि जीवन में क्या हो रहा है। भईया, मेरे पैसों का क्या हो रहा है। भईया, मेरा देश कहाँ जा रहा है? ये संस्थान वर्ष 1949 से चल रहे थे। उस समय कुछ बना था, हम लोग अंग्रेजों से कुछ प्रभावित थे। वे सारे बिल्स गए, वे नियम क्या थे, वे कानून क्या थे, अब वे लद चुके हैं। अब लोग निकलना चाह रहे हैं। लोग वर्ष 2021 में मोदी जी के साथ विश्व को देख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व के सबसे बड़े नेता बने हैं। भारत पर पूरे विश्व की नज़र है। पूरा भारत ग़ो कर रहा है। भारत ही एक ऐसा देश है, जो अब ग्रोथ की तरफ है और पूरे वर्ल्ड की निगाहें उसकी तरफ हैं। उसमें हमें उनका साथ देना चाहिए।

महोदय, चूंकि मैं सिनेमा इंडस्ट्री से जुड़ा रहा। मैं सी.ए. और एकाउन्टेन्ट्स के साथ भी जुड़ा रहा। सी.ए. एक ऐसी संस्थान है, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऐसे रहे हैं, जिन्होंने मुझे पहली बार लॉ सिखाया। Do you know that you have to pay the tax? जब मैं कुछ पैसे कमाने लगा तो मुझे बोला गया कि आपको यहाँ पर टैक्स देना है। इसके बारे में मुझे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ने बताया। तब मुझे अहसास हुआ कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कहीं सरकार का आदमी तो नहीं है और वह सरकार के लिए काम करता है। यह व्यक्ति क्या है, यह संस्था क्या है, ये लोग कौन हैं? जो पूरा पैसा, मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ, उसने मुझे बताया कि यह पैसा देश के विकास के लिए जाएगा। आप जो पैसा सिनेमा की शूटिंग से कमाते हैं, जो आप टैक्स भरते हैं, मैं करीब 30-35 साल से टैक्सपेयर हूँ। I am a tax payer. मैं जो भी कमाता था, मेरा सी.ए. आता था, हमको समझाता था कि ये पैसे ऐसे जाएंगे। तब मुझे पता चला कि नेशन बिल्डिंग में ये संस्थान काम कर रहे हैं, the Chartered Accountants are so strong. ये लोग इतने महत्वपूर्ण हैं, वे इस देश के स्तम्भ हैं। इनको सिक्योर्ड करना, उनको पारदर्शिता में लाना, उनको प्रोटेक्ट करना, यह भारत सरकार का काम है। यह अब सोचा गया, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूँ।

भाई, आप लोग इसे समझ रहे हैं? हम बिल्कुल सही बता रहे हैं। हम एकदम सही तरीके से जा रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। दिक्कत यह है कि उस कुर्सी पर चले जाने के बाद आधी बुद्धि बंद हो जाती है... (व्यवधान)

सर, यह कुर्सी का दोष है। आप यह देखिए कि यह देश कहाँ जा रहा है। आप लोग भी गर्व करते हैं। आप लोग भी महसूस करते हैं कि अब भारत कैसा हो गया। आप लोग विदेश भी जाते हैं।

HON. CHAIRPERSON: Please wind up.

श्री रवि किशन: सभापति महोदय, मैं क्षमा चाहता हूँ। I am concluding now. I just want to say कि इन संस्थानों को प्रोफेशनल बनाया जाए। इनके साथ निर्णय में जो भी मदद मिलेगी, देश की आर्थिक प्रगति के लिए कानून में परिवर्तन आवश्यक होता है। लेखापाल अधिनियम, 1980 के लिए सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। आज की परिवेश में जवाबदेही और पारदर्शिता को हर विभाग के केन्द्र में लाया जाए। यह देश के लिए सख्त जरूरी है और यही यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं... (व्यवधान)

महोदय, I am concluding now. इन प्रस्तावित संस्थानों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। मैं यह चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। इस देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सत्य हमेशा सामने रहे। धन्यवाद।

HON. CHAIRPERSON: Kunwar Danish Ali, please be brief. You have only three minutes.

... (*Interruptions*)

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): सभापति महोदय, आपने मुझे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, दी कॉस्ट एंड दी कंपनी सेक्रेटरीज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2021 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, यह सरकार झूठ बड़े कंफिडेंस के साथ बोलती है। मुझे इस बात की ताज्जुब है कि जो सरकारी कंपनियाँ थीं, जो पीएसयूज थीं, यह सरकार उनका निजीकरण करने में

लगी है और दूसरी तरफ, जितनी स्वायत्त संस्थाएं हैं, जितनी ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, जो प्रोफेशनल्स की ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, उनका सरकारीकरण करने में लगी है। इस सरकार का यह जो कंट्राडिक्शन है, यह इतना भयंकर है कि यह देश को कहाँ ले जाएगा?

सभापति महोदय, वर्ष 1949 की यह संस्था है, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की है, उसका सरकारीकरण करने में लगे हैं। हर चीज में आपको सरकारीकरण करना है। मुझे ताज्जुब होता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था कि इस देश में जो बाबू है, हमें रेड टेपिज्म को खत्म करना है। सब कुछ बाबू तय करते हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जो ऑटोनॉमस बॉडी है, जो खुद की ऑटोनॉमस बॉडी है, वह इतनी अच्छी आर्गनाइजेशन है, उसको खत्म करके आप वहाँ बाबुओं को बैठा रहे हैं। वह बात अलग है कि परसों इनका भी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल बना। वहाँ भी बाबुओं को बैठाया गया। अभी वक्त आने वाला है कि आप पोलिटिकल लोग भी मंत्री नहीं बनेंगे।

18.00 hrs

आप मंत्री नहीं बनेंगे। बाबू ही आएंगे और बाबू ही मंत्री बनेंगे। सभापति महोदय, इस सरकार ने क्या किया? यह हर आर्गनाइजेशन पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना कब्जा करना चाहती है। इतनी अच्छी आर्गनाइजेशन चल रही है, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आप कंट्रोल कर रहे हैं, कल आप कहेंगे कि बार काउंसिल को भी कंट्रोल करना है, परसों किसी और को कहेंगे। बाकी तो कोई आर्गनाइजेशन आपने छोड़ी नहीं है। जितनी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ थीं, सबको ध्वस्त करने का काम आपने कर दिया है। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से इन प्रोफेशनल्स ने, इस आर्गनाइजेशन को खड़ा किया है, उसको आप कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए।

महोदय, साढ़े तीन लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। सरकार के तो कितने पेपर्स लीक होते हैं, सरकार जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के टेस्ट्स का आज तक का आप नहीं कह सकते कि कहीं कोई पेपर लीक हुआ हो या कहीं कोई कंप्रोमाइज हुआ हो। ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी को आप कंट्रोल करवाना चाहते हैं। अभी सत्ता पक्ष के एक वरिष्ठ सांसद अनुराग जी बोल रहे थे, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। वे बोल रहे थे कि आप खुद तय करेंगे, खुद ही

खेलेंगे, खुद ही खिलाड़ी होंगे और खुद ही अंपायर होंगे। सरकार में क्या होता है? क्या सरकारी बाबू, अगर किसी के खिलाफ शिकायत आती है तो क्या सेक्रेटरी अपने जॉइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर के खिलाफ इंकवायरी नहीं करता है, क्या वहां पर उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है?

यह कहां का तर्क है कि वह ऑटोनामस बॉडी है तो वह अपनी डिसिप्लिनरी कमेटी नहीं बना सकती है। सरकार के अंदर तो जो सीनियर आफिसर होता है, वही जूनियर आफिसर के खिलाफ कार्रवाई करता है। यह कंट्राडिक्शन है।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, one more Member, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, is there to speak on the Bill. Thereafter, the House may adjourn.

I want to know the sense of the House. If the House agrees, let the time of the House be extended by ten minutes or till Shri Adhir *ji* completes his speech.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: The time of the House is extended.

कुंवर दानिश अली: यह कानफिलक्ट ऑफ इंटरैस्ट की बात करते हैं। क्या सरकार में यह कानफिलक्ट ऑफ इंटरैस्ट नहीं है। मेडिकल कमीशन बना। जब उसका बिल आया था, तब हमने भी सपोर्ट किया था कि शायद कुछ अच्छा होगा। हम देख रहे हैं कि सब कुछ सरकार के कंट्रोल में आ गया है। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ऐसी ऑटोनामस बॉडीज़ पर इंटरूजन न करे, उनकी स्वायत्ता के साथ कंप्रोमाइज न करे। जो स्वायत्त बॉडी है, जो ऑटोनामस बॉडी है, उनकी ऑटोनामी ग्रांट होनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का विरोध करता हूं।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I raise to make a short intervention to the legislative document which is absolutely a voluminous document consisting of 106 clauses under the nomenclature of the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021. I know there is paucity of time. I shall be very brief on

my deliberations. मुझे एक चीज यह लगती है कि – we are getting wise after the event. That means, एक के बाद एक फ्रॉडस्टर देश को लूटकर भाग रहे हैं, तो हम उनके पीछे-पीछे दौड़ रहे हैं। आज आप खुद देखिए कि कैरेबियन सी के बगल में बैठकर नीरव मोदी साहब हिंदुस्तान का पैसा लूटकर मस्ती मना रहे हैं और वह सब हम फेसबुक पर देख रहे हैं। ... (व्यवधान) यह मोदी नहीं, नीरव मोदी। हो सकता है कि कोई ताल्लुकात भी हो, लेकिन यह अलग मोदी हैं, वह अलग मोदी हैं। ... (व्यवधान) कोई ताल्लुकात है या नहीं, मुझे पता नहीं। कैरेबियन सी के किनारे बैठते हुए एक मोदी मस्ती मार रहे हैं और हमारे यहां दूसरे मोदी जी के नेतृत्व में हम कानून बना रहे हैं। मेरा यही कहना है कि we are getting wise after the event.

According to the Companies Act, 2013, every company has to appoint a Chartered Accountant or a CA in order to audit its accounts. In the case of certain companies, the Central Government can direct conduct of cost audits by Cost Accountants. The Companies Act, 2013 also requires certain classes of companies to appoint a Company Secretary (CS) to ensure compliance with provisions of the Act. This is the background of this Act.

In India, Chartered Accountants, Cost Accountants, and Company Secretaries are regulated according to the provisions of the Chartered Accountants Act, 1949, the Cost and Works Accountants Act, 1959, and the Company Secretaries Act, 1980, respectively. The three Acts provide for setting up of the Institute of Chartered Accountants of India, the Institute of Cost and Works Accountants of India, and the Institute of Company Secretaries of India. The affairs of the Institutes are managed by their respective Councils.

In recent years, India has seen several frauds and scandals. In the backdrop of a major fraud - that took place during the NDA regime – at Punjab

National Bank in 2018, the Central Government setup the National Financial Reporting Authority (NFRA) under the Companies Act, 2013. The NFRA is empowered to investigate matters of professional or other misconduct by Chartered Accountants or firms of Chartered Accountants.

This was a move away from self-regulation of the profession of Chartered Accountancy as was followed so far. I will focus simply on five issues in regard to this legislative document. While the Bill reduces the role of the three professional Institutes with respect to representation on the Board of Discipline and the Disciplinary Committee, it continues to rely on the Councils for nominating the external members. Note that under the current framework, the external members on the Disciplinary Committee of the three professions are nominated by the Central Government independently. Under the CA Act, the Central government independently nominates one member on the Board of Discipline. It is unclear – I would also like to flag the attention of the Government and the concerned Ministry - how the conflict of interest between the disciplinary and administrative functions will be addressed if the Councils continue to be involved in recommending who could be on such disciplinary entities.

The Bill provides for setting up a Coordination Committee, chaired by the Secretary of the Ministry of Corporate Affairs, to coordinate functions of the three Institutes and align cross-disciplinary regulatory mechanisms for inter professional development. The functions proposed for the Coordination Committee may overlap with the current mandate of the three Institutes and the Councils. For instance, the Coordination Committee will ensure quality

improvement in academics, research, and all related works of the Institutes. It will also focus on coordination and collaboration among the professions. These activities are currently undertaken by the respective Councils and Institutes. As the three Institutes also have committees for coordinating among themselves, it is still unclear as to why there is a need to set up another Coordination Council. It is simply an overlapping legislative document whereby the Government is going to set up another coordinating committee as proposed under the Bill. Further, the proposed Coordination Committee will be chaired by the Secretary of the Ministry of Corporate Affairs. This provision may certainly impinge on the independence of the three Institutes.

The Bill seems to be turning the position of President in the three Councils into a non-executive role. The Secretaries of the respective councils are being designated as Chief Executive Officers. However, the Bill holds the respective Presidents responsible for implementing the decisions taken by the Councils.

It is unclear how the President will ensure that the decisions taken by the Council are implemented when at the same time, the Secretary is proposed to carry out the administrative functions of the Institute as its Chief Executive Officer.

The Bill seems to be separating the responsibility for governance and execution by prescribing separate roles for the President and Secretary of the Council. However, holding the President responsible for implementing decisions, which is an executive role, may be against the framework of separation of powers as proposed in the Bill.

Sir, there is many a slip between the cup and the lip. It is evidently manifested in this Bill. The Government is trying to hoodwink the people that, yes, they are trying to take some proactive measures in order to stem the rot insofar as fraud and other issues are concerned. But in actuality, there is a serious flaw in the legislative document.

18.12 hrs

(Hon. Speaker *in the Chair*)

The Bill provides for disclosure of pending complaints or actionable information against members of the Institutes and firms registered with them. For the three professions, the Board of Discipline or the Disciplinary Committee decide whether a member is guilty of an alleged misconduct. Publishing details of members or firms found guilty, and imposition of any penalty, may be useful information for prospective and current clients. However, recording details of actionable information or pending complaints in the register of members and register of firms before they are found guilty may adversely impact their reputation.

That means, 'Chartered Accountants' may be called '... * Accountants'. So, certainly, we have to be very much cautious and tread the path very cautiously so as to dispel any kind of misapprehension.

Regulators of other professions, such as doctors, publish details only of those blacklisted or suspended from practice. According to the National Medical Commission Act, 2019, the Ethics and Medical Registration Board and State

* Not recorded

Medical Councils are required to maintain the National Register and State Register respectively.

These registers contain details such as the name, address, and all recognised qualifications of licensed medical practitioners. While the Indian Medical Register contains details of doctors who have been blacklisted along with dates of suspension and revocation of suspension, it does not contain details of pending complaints against doctors.

So, Sir, I am reiterating that this Bill appears as progressive but in actuality and practice, it is nothing but a retrogressive step only to hoodwink the common people of our country.

सर, सीए की जरूरत है, यह सब मानते हैं कि हमारे देश में सीए की जरूरत है। सीए की जरूरत है, यह स्टैंडिंग कमेटी ने भी माना। मल्टीपल अथॉरिटीज़ की जरूरत है, यह भी स्टैंडिंग कमेटी ने माना, लेकिन ये स्टैंडिंग कमेटी की बात नहीं सुनते।

That is why, finding no alternative, I have to oppose the legislative document. With these words, I am concluding my speech.

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही बुधवार, 30 मार्च, 2022 को प्रातः ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.13 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday,
March 30, 2022/Chaitra 9, 1944 (Saka).*

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjourn of the House.